दृष्टि The Vision

करैंट अफेयर्स टुडे

वर्ष 6 | अंक 10 | कुल अंक 70 | अप्रैल 2021 | ₹120

UPSC-2020 परीक्षा में पूछे गए निबंधों के मॉडल उत्तर

यूपीएससी मुख्य परीक्षा-2020

में पूछे गए 80-85 प्रतिशत प्रश्न प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से मैगज़ीन से : प्रमाण सहित विवरण

टारगेट प्रिलिम्स-2021 तीसरी कड़ी

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

महत्त्वपूर्ण लेख

- सोशल मीडिया का विनियमन : आवश्यकता एवं चिंताएँ
- बजट 2021-22 : समग्र विश्लेषण
- ग्लेशियर्स और इससे संबंधित मुद्दे

टॉपर से बातचीत

अभय प्रताप सिंह

(UPPSC/PFS-2018 परीक्षा में सहायक वन संरक्षक (ACF) पद पर चयनित)

फैक्टशीट

महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट, सर्वेक्षण, शोध तथा सूचकांकों पर आधारित

संपूर्ण 'योजना', 'कुरुक्षेत्र' (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) समेत महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का सार

माइंड मैप एवं महत्त्वपूर्ण निबंध	प्रिलिम्स एवं मुख्य परीक्षा के हल सहित अभ्यास प्रश्न-पत्र	मानचित्रों से सीखें (भारत एवं विश्व)

PCS करेंट अफेयर्स मैगज़ीन

(एकदिवसीय परीक्षाओं के लिये भी उपयोगी)

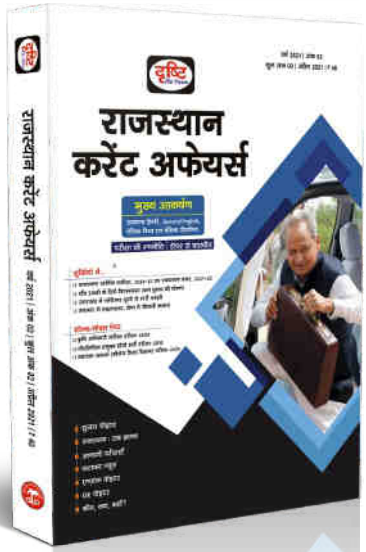

- राज्य विशेष से जुड़ी महत्त्वपूर्ण घटनाओं का संकलन
- देश-विदेश के करेंट अफेयर्स की पूरी जानकारी
- विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर
- आगामी परीक्षाओं के लिये मॉडल पेपर्स

आपके नज़दीकी बुक स्टॉल, दृष्टि लर्निंग ऐप एवं drishtiias.com पर उपलब्ध

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485516, 87501-87501, 011-47532596

दृष्टि आई.ए.एस. की अभूतपूर्व प्रस्तुति

ऑनलाइन सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स

आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म दृष्टि लर्निंग ऐप पर

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स

(प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा)

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के निर्देशन में

मोड : पेन ड्राइव

अब घर बैठे कीजिये आई.ए.एस. की संपूर्ण तैयारी क्योंकि हम आ रहे हैं आपके घर

एडमिशन प्रारंभ

कोर्स की प्रमुख विशेषताएँ

1. डॉ. विकास दिव्यकीर्ति तथा देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम द्वारा अध्यापन।
2. डॉ. विकास दिव्यकीर्ति द्वारा एथिक्स (संपूर्ण), राजव्यवस्था (व्यापक अंश) और समाज (सैद्धांतिक पक्ष) का अध्यापन।
3. कुल 1200+ घंटों की 500+ कक्षाएँ।
4. प्रत्येक कक्षा को 3 बार तक देखने की सुविधा। कोर्स की वैधता बैच शुरू होने से 3 वर्षों तक।
5. कक्षाओं में अवधारणाएँ स्पष्ट करने व उत्तर-लेखन की तकनीक विकसित कराने पर विशेष बल। पूर्व-परीक्षाओं में पूछे जा चुके और भविष्य में संभावित सैकड़ों प्रश्नों पर चर्चा व अभ्यास।
6. संशय निवारण के लिये एकेडमिक सपोर्ट टीम की सुविधा उपलब्ध। नियमित रूप से डाउट क्लासेज़ तथा ऑनलाइन मीटिंग्स की भी व्यवस्था।
7. दृष्टि के किसी भी सेंटर (दिल्ली, प्रयागराज, जयपुर) पर सामान्य अध्ययन के क्लासरूम कोर्स में एडमिशन लेने पर शुल्क में 20% की विशेष छूट (शर्तें लागू)।

नोट्स व अन्य पाठ्यसामग्री भेजने की प्रक्रिया

1. आपके एडमिशन लेने के बाद क्रमशः 7-8 महीने में आपके घर तक 8 पेन ड्राइव्स और पाठ्यसामग्री भेज दी जाएगी।
2. इस कोर्स से संबंधित सभी नोट्स आपके पास एक निर्धारित शेड्यूल के अनुसार भेजे जाएंगे। जैसे ही आप इस कोर्स के शुल्क का भुगतान करेंगे, उसके 1-2 दिनों में हम आपके पते पर नोट्स का पहला सेट स्पीड पोस्ट या कूरियर सर्विस से भेज देंगे। 7-10 दिनों में आपके पास नोट्स का पहला पैकेट पहुँच जाएगा। (नोट : वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण नोट्स पहुँचने में कुछ अधिक समय लग रहा है।)

सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की 500+ कक्षाओं के साथ आपको मिलेंगी ये सुविधाएँ एकदम निशुल्क

3 वर्षों तक प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़	~~₹24000/-~~
3 वर्षों तक प्रिलिम्स क्रैश कोर्स	~~₹15000/-~~
सभी टॉपिक्स के प्रिंटेड नोट्स	~~₹15000/-~~ (DLP)
मुख्य परीक्षा के 24 टेस्ट	~~₹10000/-~~
3 वर्षों तक करेंट अफेयर्स टुडे	~~₹4320/-~~
प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ (6 बुक्स)	~~₹1815/-~~
मेन्स कैप्सूल सीरीज़ (5 बुक्स)	~~₹1240/-~~

निशुल्क

अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406442 नंबर पर कॉल करें या GS लिखकर मैसेज या वाट्सएप करें

इंस्टॉलमेंट्स पर भी उपलब्ध !
लॉग-इन कीजिये : www.drishtiIAS.com

अपने एंड्रॉयड फोन पर इंस्टॉल करें
Drishti Learning App

दृष्टि The Vision

BPSC सीरीज़ की पुस्तकें

आपके नज़दीकी बुक स्टॉल, दृष्टि लर्निंग ऐप एवं drishtiias.com पर उपलब्ध

IAS मेन्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़-2021

सामान्य अध्ययन

प्रारंभ

24 टेस्ट्स

16 सेक्शनल टेस्ट्स | **8** संपूर्ण पाठ्यक्रम टेस्ट्स

हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों माध्यमों में

वैकल्पिक विषय

प्रारंभ

हिंदी साहित्य	इतिहास	भूगोल
16 टेस्ट्स	16 टेस्ट्स	16 टेस्ट्स

केवल हिंदी माध्यम में

कहाँ क्या है?

संपादक की कलम से... 5
क्योंकि ठोकरें हमें बेहतर इंसान बनाती हैं....

टॉपर से बातचीत 7
अभय प्रताप सिंह
UPPSC/PFS-2018 परीक्षा में
सहायक वन संरक्षक (ACF) पद पर चयनित (7)

लेख खंड 10
राजनीतिक लेख
- *सोशल मीडिया का विनियमन: आवश्यकता एवं चिंताएँ (11)*

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित लेख
- *बजट 2021-22 : समग्र विश्लेषण? (14)*

ऑडियो लेख
- *ग्लेशियर्स और इससे संबंधित मुद्दे (17)*

यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2020 19
में पूछे गए 80-85 प्रतिशत प्रश्न प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से मैगज़ीन से : प्रमाण सहित विवरण

करेंट अफेयर्स 27
- *अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम (29)*
- *संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम (32)*
- *आर्थिक घटनाक्रम (40)*
- *अंतर्राष्ट्रीय संबंध (48)*
- *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (54)*
- *पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (59)*
- *भूगोल एवं आपदा प्रबंधन (65)*
- *भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय (73)*
- *कला एवं संस्कृति (77)*
- *आंतरिक सुरक्षा (81)*
- *अन्य चर्चित खबरें (83)*

जिस्ट 97
उपयोगी पत्र-पत्रिकाओं के लेखों का सार
- *संपूर्ण योजना (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार (98)*
- *संपूर्ण कुरुक्षेत्र (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार (111)*
- *राजव्यवस्था एवं समाज (119)*
- *अर्थव्यवस्था (122)*
- *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (125)*
- *पर्यावरण (128)*

फैक्टशीट 131
- *महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट, सर्वेक्षण, शोध तथा सूचकांकों पर आधारित (131)*

निबंध खंड 135
- *UPSC-2020 परीक्षा में पूछे गए निबंधों के मॉडल उत्तर (135)*
- *निबंध प्रतियोगिता (147)*

मानचित्रों से सीखें 148
मानचित्र-1 (148)
मानचित्र-2 (149)

माइंड मैप 151
- *मूल अधिकार (151)*

करेंट अफेयर्स से जुड़े संभावित प्रश्न-उत्तर 152
- *मुख्य परीक्षा के लिये संभावित प्रश्न तथा उनके उत्तर (152)*

टारगेट प्रिलिम्स-2021: तीसरी कड़ी 157
- *भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था (157)*

आपके पत्र 210

अप्रैल 2021 ■ मासिक ■ वर्ष-6 ■ अंक-10 ■ कुल अंक-70

टीम दृष्टि

- **प्रधान संपादक:** डॉ. विकास दिव्यकीर्ति
- **डायरेक्टर:** डॉ. तरुणा वर्मा
- **कार्यकारी संपादक:** पुरुषोत्तम 'प्रतीक'
- **वरिष्ठ संपादक:** आलोक कुमार अग्रवाल, शशि भूषण तिवारी, निधि सिंह।
- **समाचार संपादक:** कवीन्द्र कुमार यादव, अंकित कुमार सिंह।
- **प्रबंधन परामर्श:** अजय कड़ाकोटी, मो. आफताब आलम, अभिषेक सिंह, विवेक तिवारी, अमृत उपाध्याय, अजय शर्मा, चंद्रप्रकाश राय, अमित कुमार श्रीवास्तव, जितेन्द्र रोहिला, आनंद शुक्ला, दिलीप कुमार, राजू प्रसाद, गोपाल राय।
- **संपादन सहयोग:** सुशांत कुमार, सुरेश पाल सिंह, सूर्य कुमार द्विवेदी, जगदीश पांडेय, पीयूष कांत गांगुली, पुष्पा कुमारी, प्रवेश चौधरी, कृष्ण कुमार सिंह, श्यामवीर सिंह झझोरिया, नीरज कुमार, विवेक सिंह, दीपक तिवारी, आभा प्रजापति, रोहित नंदन मिश्रा, देवेन्द्र कुमार, अमरजीत पासवान, हरि किशोर यादव, गायत्री, शिवानी सिंह, रविकांत, राकेश राजपूत, श्रवण कुमार सुमन, संत विजय, महिमा राजपूत, अवनिन्द्र जयसवाल, एजाज़ अनवर, सूर्य प्रकाश, राहुल कश्यप, सिद्धार्थ कुशवाहा, रवि गोले, मनीषा यादव, पंकज तिवारी, निखिल चौहान, कुमार रविशंकर, यशोधरा, स्मिता वर्मा, रामहंस यादव, राहुल गिरी, प्रदीप मौर्या, मो. फैजुल इसलाम, रामबाबू यादव, अभिषेक पांडेय, अजीत कुमार सिंह, प्रियेष कुमार, नीरज कुंदन, दीपाली तायडे, रमंत झंड, वशिष्ट नारायण, कृष्ण कुमार साह, विवेक कुमार सिन्हा, निशां शर्मा, प्रियंका सिंह, रेखा वर्मा, श्रद्धा भदौरिया, मो. रिज़वान, खुशबू, संजूर आलम, अर्चना शर्मा, जितेन्द्र, हेमंत गुलपाडिया, धीरेन्द्र कुमार बागरी, अंकित त्यागी, चित्राँशु पांडेय, अजीत कुमार पटेल, हिमाँशु सिंह, करिश्मा, मनीषा, बबीता, खुशहाल, केवल कृष्ण पांडेय, आशुतोष सिंह, लोकेश कुमार, सलमान अहमद, हरीश कुमार, आभा कुमारी, ज्योति, किशोर कुमार झा, विकास कुमार, निशा शाहीन, शिल्पी सरकार, ऋतुराज कुमार, दिनेश, नेहा कुमारी, अमित कुमार, नेहा लक्ष्यकर, वर्षा तारण्या, उद्याभान सिंह, प्रीति झा, अमित कुमार, विवेक दिवाकर, आशुतोष कुमार यादव, राजेश कुमार, पिंकी कुमारी, निर्मल कुमार राजू, राम प्रवेश यादव, आँचल वसनीक, आरती सिरोही, राहुल कुमार, सौरभ कुमार गोयल, योगेश कुमार सिंह, आतिफा काज़ी, राजेश्वर प्रसाद पटेल, मनीष कुशवाहा, विकास तिवारी, अतुल, दीपिका, पूजा उपाध्याय, दीपिका परिहार नेगी, राजदीप चौहान, मनीष कुमार सिंह, प्रेम चंद्र, रोहित सिंह, रोहित कुमार पाठक, अक्षय शुक्ला, साधना सनौडिया, विपिन कुमार यादव, मो. रकीब, मधुबाला, जितेन्द्र कुमार राय, हिमांशु शर्मा, अनुराग सिंह, अखिलेश कुमार पांडेय, सिद्धांत शुक्ला, साहिल कुमार चौहान, रोशनी, दिपेश कुमार, पंकज कुमार वर्मा, जितेन्द्र चौहान, हर्षवर्धन, भावेश द्विवेदी, सिद्धार्थ पटले, अंकित कुमार, कपिल वर्मा, दीपिका जिंदल, पिंकी शर्मा, गुलअफ़शाँ, जितेन्द्र कुमार पटेल कलाल, प्रियंका, सोनम साहू, राजीवेश कुमार, सुशील कुमार, राजेश कुमार, पीयूष कुमार, शशाँक चौबे, सत्य प्रकाश, विनोद कुमार मिश्रा, प्रनेंद्र कुमार राय, आशुतोष शेखर, अभिषेक तिवारी, मोना, राहुल कुमार यादव, अराधना, कंचन, अमन गुप्ता, कन्हैया कुमार झा, अंकित यादव, अतुल पांडे, गीतांजली शुक्ला, सुधीर कुमार पांडे, दादा बसंत पाटिल, राहुल मौर्या, अभिषेक राय, अमित कुमार उपाध्याय, सुषमा यादव, सोनाली चौपड़ा, योगेश वर्मा, सुमित पाल, सविता यादव, मनजीत, हसन मुजतबा।
- **टाइपसेटिंग और डिज़ाइनिंग सहयोग:** लोकेश पाल, जीतेश, अनिल कुमार, विवेक कुमार पाल, पूनम सक्सेना, करुणा अग्रवाल, मेधा, संजू वर्मा, राजो कामती, चेतन कुमार, अमित कुमार बंसल, अखिलेश कुमार, समरजीत सिंह, अजय गुरंग, संदीप कुमार, तारा कुमारी, लोकेश कुमार, पुनीत मंडल, अनुज कुमार, भुपेंद्र पाल सिंह, आसीन, करण भारद्वाज, हिम्मत सिंह, चंदन राम, विशाल, सागर सैनी, वैभव कौशिक, रज़ीउद्दीन, धीरज पाल, विवेक कुमार, धीरज पाण्डेय, तरुण।
- **वेब सहयोग:** अविनाश कुमार, अनु राज, रवि शंकर, सुनील कुमार यादव, जया जोशी, शिप्रा, रिमझिम, ब्रिजेश कुमार यादव, जसवंत सिंह रावत, पायल, प्रिया, सरोज शर्मा, मेघा, अमित कुमार।
- **प्रबंधन सहयोग (वरिष्ठ):** राजेश धस्माना, राजेश कुमार झा, श्रीकांत कुकरेती।
- **प्रबंधन सहयोग:** मोहित वालिया, नितेश कुमार झा, मोहित मिश्रा, राकेश सिंह चौहान, कुंदन कुमार, शिव कुमार, वेद प्रकाश, मुकेश कुमार पाठक, असीम करन, अंशुल तिवारी, सुनील शेलके, संजीत कुमार, विपिन गुप्ता, मनीष जैन, संदेश कुमार डोगरा, मनवीर नेगी, शुभम वर्मा, गीता पाल, प्रीति चौधरी, राकेश ठाकुर, अनिता जसवाल, गीता शर्मा, किरण मल्होत्रा, नीरज शर्मा, अभिषेक शुक्ला, तब्बसुम मलिक, इरफान खान, श्वेता, रविशंकर, रहमत, अनुराग मिश्रा, यश कुमार मौर्य, सौरभ कुमार, रंजीत कुमार कुशवाहा, सौरभ कुमार, गौरव मिश्रा, रजनीश कुमार त्रिपाठी, सबिता गिरी, सौरभ अहिरवार, रवि कुमार, अंकुर कुमार, पूजा द्विवेदी, आशीष गुप्ता, मो. आसीम, सिद्धार्थ तिजौरिया, हन्नी शर्मा, दीपक कुमार, दिनेश जैन, राजीव कुमार, विवेक मिश्रा, सचिन पाल, शिवानी जैस्वाल, गरिमा अरोड़ा।
- **मीडिया सहयोग:** राजकुमार कोले, श्रवण कुमार, संदीप रावल, अतुल सिंह, तरुण ग्रोवर, लक्ष्मण कुमार, धीरज कौशिक, अनिल स्टिफन, देवेन्द्र सिंह, मनोज कुमार, लवनीत सिंह, अनिल कुमार पटेल, रोहित कुमार, कमलेश कुमार, पवन दुआ, मनदीप रावत, दुर्गेश कुमार सिंह, नंद किशोर, कमलेश कुमार कमल, सुनील कुमार सिंह, राम नायक तिवारी, रोहित कुमार, रवीन कुमार जी, शिवकांत शुक्ला, वीरू निशद, अजय सिंह मेहता, अर्जुन कुमार चौरसिया, खुर्रम, आशुतोष सिंह, अमित वर्मा, नीरज चौहान, रोहित कुमार, दीपक सिंह, आशिफ अली, राहुल कुमार, नितिन त्रिपाठी, विशाल, दीप्ति रावत।
- **दैनंदिन सहयोग:** गजेन्द्र, रवि कुमार, भावेश गिरी, महेश कुमार, दिलीप तिवारी, विकेश कुमार, पंचानन मिश्रा, पुनीत कांगड़ा, राहुल कुमार, मनोज कुमार, अविनीश श्रीवास्तव, सलमान, मो. शकील, सुरेन्द्र रॉय, अमित कुमार रोहिला, दीपक पाल, ऋषभ कुमार, साहिल, सुभाष कुमार, राम सूरत यादव, राजू शर्मा, मनीष कुमार, दीपक कामती, ज्ञान प्रकाश मौर्या, प्रवीण, सूरज प्रकाश, अजीत कुमार, बलवंत सिंह, विश्वेंदर चौधरी, इम्तियाज़ अंसारी, मनोज सिंह, मन्नु कुमार, मुन्ना, सतीश, दिनेश कुमार मिश्रा, सुजीत यादव, विनय कुमार, कैलाश मल्होत्रा, नरेश राय, संतोष कुमार कामत, मनु चौधरी, श्रवण कुमार, सुमित कुमार, अभिषेक, सुजीत कश्यप, तरुण, नरेंद्र कुमार, हरे राम, अतुल शर्मा, नेत्रपाल, राजेश कुमार, नीशु रोहिला, शिव शंकर पटेल, मो. अरमान, आशु मिश्रा, आशीष, सोचिन कुमार यादव, राजेश कुमार, अमित कुमार रे, सौरभ कुमार, पुष्पेन्द्र कुमार, जशवंत सिंह भकुनी, बेचन चौधरी, पंकज कुमार शर्मा, गौरव कुमार, उमेश, जितेन्द्र कुमार, विपिन कुमार, हिमांशु कुशवाह, ऋषिकेश तोमर, सुनील कुमार शुक्ला, लाल बाबू यादव, मोनू (1), सचिन कुमार, पप्पू कुमार, प्रियांशु, ममता, सचिन लाहुडकर, भीकू, गौतम कुमार, अवधेश कुमार, अमन कुमार, तुलसी कुमार, योगेन्द्र सिंह, मो. अख्तर, हरीनाथ, आशीष, रोहित कुमार, निक्की कुमार, मुकेश कुमार, राजेश कुमार यादव, राम आशीष मिश्रा, सद्दाम हुस्सैन, पप्पू चौधरी, अतुल कुमार, रंजीत, सचिन कुमार, चंद्र भान, सचिन, गोपाल कुमार, दिगम्बर कुमार पासवान, भावेश कुमार, पवन कुमार साहू, संजय कुमार, बोआ झा, राजबीर, रविन्द्र कुमार, विक्रांत सिंह, परवेज़, किशन कनौजिया, सुरेश चंद्रा, रामकिशन बिंशकर, अंकित मिश्रा, कौशल शर्मा, नीरज कुमार, लीलावती, श्याम कुमार सौराष्ट्रिया, जितेन्द्र कुमार, उमाकांत शर्मा, धर्मेन्द्र कुमार, दिलीप, उदय पासवान, अमरजीत कुमार, मनीष, आकाश चौहान, अनिकेत कुमार साह, पुनीत कुमार मिश्रा, विजय, छाया देवी नरेंद्र, अरविंद द्विवेदी, प्रकाश सिंह, अभिषेक कुमार, अर्जुन, अनिल कुमार, पवन कुमार मोदी, योगेश सिंह, सुरेन्द्र, रवि, दिलीप चौधरी, ललित मोहन उपाध्याय, मोहित कुमार तिवारी, प्रिंस कुमार, रोहित, अभिषेक, अंकुश, शिवम, मनीष कुमार, अभिमन्यु कुमार, संदीप, संजय कुमार शर्मा, अभिषेक कौशल, कुमार पाल, विष्णु कांत मिश्रा, मनोज कुमार, सूरज कुमार, पवन कुमार, राहुल, सुनील कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, निहाल तिवारी, अंकित कुमार, विनय, सनोज पासवान, अरविंद, अवनीश कुमार, संजीव, विवेक कुमार, नीतू चौहान, सोनू, मोहित, शिव बहादुर, सुनील, नवीन कुमार मिश्रा, आदर्श प्रजापति, ब्रिजेश कुमार, धर्मराज सिंह, गौतम राज सिंह, श्याम कुमार वर्मा, अतुल, जय प्रकाश मौर्य जावेद, अवध राज शुक्ला, राकेश, देवेंद्र सिंह, हन्नी, उदय भान यादव, ब्रिज मोहन सिंह, राम नरेश पंडित, आशीष कुमार, मनीष कुमार शर्मा, परवीन, मोनू कुमार रावत, मो. आफ़ताब, सुमन देवी, दीपक भकुमी, अविनाश, रवि शंकर कुमार, राजू राजन, पप्पू कुमार यादव, शुभव कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार पांडेय, सुनील कुमार, आलोक कुमार तिवारी, लाला राम, अभिषेक कुमार सिंह।

संपादकीय पत्र व्यवहार

कार्यकारी संपादक,
दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे,
दृष्टि पब्लिकेशन्स,
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि संपादक या प्रकाशक का दृष्टिकोण भी वही हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि विभिन्न विचारधाराओं वाले लेखकों के लेख शामिल करें ताकि पाठकों को किसी विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण मिल सकें।
- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पत्रिका में छपे लेख लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखे गए हैं। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो लेखक को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- **© कॉपीराइट:** दृष्टि पब्लिकेशन्स, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

पत्रिका की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों व सुझावों तथा वितरण और विज्ञापन के लिये संपर्क (Whatsapp) करें-
अजय कड़ाकोटी (सी.एफ.ओ.)
(8130392355)

पत्रिका के सब्सक्रिप्शन के लिये संपर्क करें-
9599084248

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक विकास दिव्यकीर्ति द्वारा 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 से प्रकाशित एवं एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।
संपादक- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

संपादक की कलम से...

क्योंकि ठोकरें हमें बेहतर इंसान बनाती हैं....

हम सब चाहते हैं कि हमें जीवन के हर संघर्ष में सफलता हासिल हो। हम जो भी सपना देखें, वह एक झटके में पूरा हो जाए। हमारे पास दुनिया को अपने कदमों में झुका सकने वाली ताकत हो, बेशुमार दौलत और ऊँची सामाजिक हैसियत हो। सच तो यह है कि हमारी भूख इससे भी ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि हम जीवन के किसी भी युद्ध में पराजित न हों और हमें चुनौती देने वाला हर व्यक्ति हमसे हार जाए।

गौर से देखें तो जीतने की इस भूख के फायदे भी हैं और नुकसान भी, हालाँकि लोगों का ध्यान प्राय: इसके फायदों पर ही जाता है। यही कारण है कि हमारे माँ-बाप और अध्यापक बचपन से ही हमारे भीतर यह भूख भर देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसी 'किलर इंस्टिंक्ट' की बदौलत व्यक्ति सफलता के चरम स्तर को छू पाता है। इसलिये वे बच्चों को सिकंदर, नेपोलियन और पृथ्वीराज चौहान की झूठी-सच्ची कहानियाँ सुनाते हैं। वे बच्चों को बचपन से ही अव्वल स्थान पर पहुँचने और बने रहने का संस्कार देते हैं।

पर इस भूख को रात-दिन महिमामंडित करने के समानांतर हमें यह भी सोचना चाहिये कि क्या यह भूख सचमुच इतनी शुभ है? भूलना नहीं चाहिये कि जीतना एक तुलनात्मक स्थिति या 'रेलेटिव पोज़ीशन' है। 'कोई जीतेगा' कहने में ही निहित है कि कोई हारेगा भी। आमतौर पर जब एक व्यक्ति जीतता है तो सौ-पचास लोग हारते भी हैं। किसी कक्षा में जब एक बच्चा पहला स्थान हासिल करके गर्वोन्माद में डूबा होता है तो ठीक उसी समय बाकी बच्चे पराजय बोध से तिलमिला रहे होते हैं, भले ही उनकी पीड़ा पर किसी की नज़र न जाए। अत: इस बात पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिये कि क्या एक व्यक्ति को आत्ममुग्धता का मौका देने के लिये बाकी 99 को कुंठा में धकेलना उचित है?

यह हमारे समाज का भयानक सच है और विद्यार्थी जीवन में तो इसकी कड़वाहट का अहसास सबसे तीखा होता है। इस नाजुक उम्र में यह समझना बेहद ज़रूरी है कि हार हमेशा बुरी नहीं होती, उसे भी जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से की तरह लिया जाना चाहिये। सच यह है कि लगातार मिलने वाली पराजय भले ही इंसान को तोड़ देती हो; पर कभी-कभार लगने वाली ठोकरें इंसान को बेहतर ही बनाती हैं, उसे ठीक से मांज देती हैं। थोड़ी बहुत ठोकरें खाने का पहला फायदा यह है कि इससे व्यक्ति में 'धैर्य' और 'जुझारूपन' जैसे चारित्रिक गुणों का विकास होता है। आजकल कई मनोवैज्ञानिक मानने लगे हैं कि व्यक्ति की सफलता में बौद्धिक क्षमता (इंटेलिजेंस) और भावनात्मक समझ (इमोशनल इंटेलिजेंस) से ज़्यादा बड़ी भूमिका 'लगन' या 'परज़ेवरेंस' (Perseverance) की होती है। 'परज़ेवरेंस' का अर्थ है- कठिनाइयों से डरे बिना अपने उद्देश्य की साधना में लगातार जुटे रहना।

इसके उदाहरण दुनिया में भरे पड़े हैं। याद रखिये कि थॉमस एडिसन लगभग एक हज़ार विफल प्रयोग करने के बाद बल्ब का आविष्कार कर पाया था। आइंस्टीन को तो मंदबुद्धि बालक बताकर स्कूल से ही निकाल दिया गया था। इन सब की ताकत यही थी कि विफलता के इन क्रूर क्षणों में भी ये टूटे नहीं बल्कि अपनी ज़िद पर अड़े रहे। आज तो यह कल्पना करने से ही कँपकँपी छूटती है कि हर विफलता के बाद इन महापुरुषों ने अपना आत्मविश्वास कैसे बनाए रखा होगा?

विफल होने का दूसरा फायदा यह है कि व्यक्ति के पैर ज़मीन पर टिके रहते हैं। उसके मन में यह अहसास बना रहता है कि वह दुनिया का मालिक नहीं है, बल्कि समाज में और भी लोग हैं जिन्हें ईश्वर या प्रकृति ने योग्यता बख्शी है। यह अहसास व्यक्ति को सफलता के चरम स्तर पर भी घमंडी नहीं बनने देता, उसे विनम्र और संवेदनशील बनाए रखता है।

हार का तीसरा फायदा यह है कि व्यक्ति दुनिया को ठीक से पहचानने की योग्यता विकसित कर लेता है। वह देख पाता है कि दोस्ती का दावा ठोकने वाले कई लोग संकट की घड़ी में तुरंत किनारा कर लेते हैं जबकि कुछ लोग अप्रिय या अजनबी होने के बाद भी संकट में हाथ थाम लेते हैं। अंग्रेज़ी की पुरानी कहावत है- *"A friend in need is the friend indeed"* यानी असली दोस्त वही है जो संकट के दौर में साथ दे। समझदार लोग विफलताओं के दौर में हताश होने की बजाय अपने परिचितों के मन को पढ़ने-समझने में ऊर्जा लगाते हैं।

हार का एक और भी फायदा है जो समय के लंबे अंतराल में समझ आता है। जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद अंतिम रूप से विफल हो जाता है तो एकबारगी उसे हर तरफ अंधेरा महसूस होता है। धीरे-धीरे उसे किसी नए क्षेत्र में कदम रखना पड़ता है। कई बार वह नए क्षेत्र में सफलता का ऐसा परचम लहरा देता है जो पुराने क्षेत्र में संभव ही नहीं था। बाद में वह उसी विफलता को याद करके खुश होता है जो उस समय उसे अंधेरे का अहसास करा रही थी; क्योंकि अब समय के लंबे कैनवास पर वह देख पाता है कि इस बुलंदी पर पहुँचने के लिये वह हार कितनी ज़रूरी थी। कल्पना कीजिये कि अगर फेसबुक ने ब्रायन ऐक्टन को नौकरी देने से मना न किया होता तो आज हमारे पास 'वाट्सएप' जैसी सुविधा भी न होती।

हार के इतने सारे फायदे गिनाने का प्रयोजन न तो उसे महिमामंडित करना है और न ही यह कहना कि हमें हारने की कामना करनी चाहिये। बात सिर्फ इतनी है कि ज़िंदगी को खेल भावना से खेलते हुए जीने की कोशिश करनी चाहिये। व्यक्ति को अपनी पराजय पूरी गरिमा से स्वीकार करते हुए सफलता की नई परिभाषा या रणनीति गढ़नी चाहिये। आखिर किसी परीक्षा में सफल हो जाना ही तो ज़िंदगी नहीं है!!

शुभकामनाओं सहित,

(विकास दिव्यकीर्ति)

दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध प्रमुख कोर्सेज़

IAS Foundation Course

सामान्य अध्ययन

प्रिलिम्स + मेन्स

- 1200+ घंटों की 500+ कक्षाएँ
- सभी टॉपिक के लिये प्रिंटेड नोट्स
- 3 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

IAS Foundation Course

General Studies

Prelims + Mains

- 400+ Classes of 1000+ hrs.
- Printed Notes of All Segments
- Other special facilities for 3 years

IAS Prelims Course

सामान्य अध्ययन

केवल प्रिलिम्स

- 500+ घंटों की कक्षाएँ
- 'क्विक बुक सीरीज़' की 9 पुस्तकें
- 2 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

IAS + UPPCS + BPSC Optional Subject

हिंदी साहित्य

द्वारा– डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

- 400+ घंटों की कक्षाएँ
- पाठ्यक्रम में शामिल सभी पाठ्य-पुस्तकें तथा प्रिंटेड नोट्स
- 145 दैनिक अभ्यास प्रश्न और 18 टेस्ट पेपर (मॉडल उत्तर सहित)

BPSC Prelims Course

बिहार PCS

- 500+ घंटों की कक्षाएँ
- 'BPSC सीरीज़' की 8 पुस्तकें
- 2 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

RAS/RTS Prelims Course

राजस्थान PCS

- 500+ घंटों की कक्षाएँ
- 'RAS सीरीज़' की 8 पुस्तकें
- 2 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

एथिक्स (पेपर-4)

द्वारा– डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

- कुल 70 कक्षाएँ
- IAS के साथ-साथ UPPCS के लिये पूर्णतः सटीक
- मूल्यांकन की सुविधा के साथ 6 टेस्ट

निबंध

द्वारा– डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

- कुल 13 कक्षाएँ
- IAS के साथ-साथ PCS के लिये पूर्णतः सटीक
- मूल्यांकन की सुविधा के साथ 20 टेस्ट

अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406442 नंबर पर कॉल या वाट्सएप करें

विज़िट करें www.drishtiIAS.com

अपने फोन पर इंस्टॉल करें **Drishti Learning App**

टॉपर से बातचीत

अभय प्रताप सिंह

UPPSC/PFS-2018 परीक्षा में सहायक वन संरक्षक (ACF) पद पर चयनित

टॉपर का परिचय

नाम: अभय प्रताप सिंह
पिता का नाम: श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (वन दरोगा)
माता का नाम: श्रीमती बिन्दु सिंह (गृहिणी)
जन्म-तिथि: 24/08/1991
शैक्षिक योग्यताएँ: हाई स्कूल- केंद्रीय विद्यालय बस्ती
12th- केंद्रीय विद्यालय बस्ती, 2010
स्नातक: B.Sc (Honours) Mathematics-2013 (Delhi University)
आदर्श व्यक्तित्व: अटल बिहारी वाजपेयी, मेरे पिता, अजय भैया
व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष: संवेदनशीलता, सहयोग की भावना, जुझारूपन, दृढ़ निश्चयी, कड़ी मेहनत
व्यक्तित्व के नकारात्मक पक्ष: अति भावुकता
रुचियाँ: क्रिकेट खेलना, खाना बनाना, बातें करना

परिणाम से संबंधित कुछ जानकारियाँ
परीक्षा का नाम: UPPSC/PFS-2018
अनुक्रमांक: 566004
रैंक: 7th
परीक्षा का माध्यम: हिंदी
वैकल्पिक विषय: पर्यावरण विज्ञान, उद्यान विज्ञान
प्रयास संख्या: 2

दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे: सिविल सेवा परीक्षा में उच्च रैंक पर चयनित होने पर आपको 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' की ओर से हार्दिक बधाई। चयनित होकर आपको कैसा लग रहा है?

अभय प्रताप सिंह: धन्यवाद, बहुत अच्छा, सपने सच होने जैसा, क्योंकि हमारे बाबा स्वर्गीय धनपत सिंह वन विभाग में अर्दली थे एवं पिताजी वन दरोगा। अत: मैं इसी विभाग के उच्चाधिकारियों को देख बड़ा हुआ एवं स्वयं वहीं पहुँच जाना सपने सच होने जैसा है।

दृष्टि: क्या इस परीक्षा में सफल होना ही आपके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था? यदि नहीं, तो आगे आपकी निगाह किन उद्देश्यों पर लगी है?

अभय: सिविल सेवा में सफल होना ही एकमात्र लक्ष्य था पर सिविल सेवाओं की अनिश्चितता को देखते हुए मैं समीक्षा अधिकारी एवं UPSSSC द्वारा आयोजित परीक्षाएँ भी दे रहा था।

दृष्टि: सिविल सेवाओं में ऐसा क्या है कि लाखों युवा इनकी ओर आकर्षित होते हैं? आपके लिये इन सेवाओं में जाने का क्या आकर्षण था?

अभय: सिविल सेवा एकमात्र ऐसी सेवा है जो आपको न सिर्फ जनहित के कार्य करने का मौका देती है वरन् यह समाज के सबसे निचले तबके से आने वाले व्यक्ति को भी प्रतिष्ठा प्रदान करती है।

दृष्टि: अक्सर कहा जाता है कि एक-डेढ़ वर्ष तक कठोर मेहनत करने के बाद भी इस परीक्षा की तैयारी संतोषजनक तरीके से पूरी नहीं हो पाती। क्या यह सच है? क्या आप अपनी तैयारी से संतुष्ट थे एवं सफलता के प्रति आशावान थे?

अभय: एक-डेढ़ साल की तैयारी उनके लिये पर्याप्त होती है जिनकी अकादमिक पृष्ठभूमि सुदृढ़ होती है। अत: 2 साल का कठोर परिश्रम अनिवार्य है। मैं अपनी तैयारी से संतुष्ट था एवं सफलता के प्रति आशावान भी।

दृष्टि: यूँ तो कोई भी सफलता कई कारकों पर निर्भर होती है, पर हर सफल व्यक्ति के पास कुछ विशेष सूत्र होते हैं। आपकी सफलता के मूल में कौन से सूत्र रहे?

अभय: सफल व्यक्ति का विशेष सूत्र यही होता है कि वह अपनी गलतियों से सीखता है। सामान्य अध्ययन पर मेरी मज़बूत पकड़ थी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने के कारण एवं गणित की पृष्ठभूमि होने से मुझे 300+ मार्क्स प्राप्त होते थे। इसके अलावा, मैंने सामान्य अध्ययन तथा वैकल्पिक विषय के साथ निबंध एवं सामान्य हिंदी की भी तैयारी की।

दृष्टि: आपकी सफलता में निस्संदेह आपके साथ-साथ कुछ अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं का भी योगदान रहा होगा। अपनी योग्यता और परिश्रम के अलावा आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे?

अभय: किसी भी व्यक्ति को सफल बनाने में अनेक लोगों का योगदान होता है। मैंने सामान्य अध्ययन की कोचिंग दृष्टि संस्थान से की थी एवं चूँकि PCS में मेरा विषय हिंदी साहित्य था तो मुझे विकास सर का भी सान्निध्य मिला एवं निबंध लेखन में मैंने विकास सर के नोट्स पढ़े। इसके अलावा मेरी सफलता में मेरे माता-पिता, अजय भैया, गुंजन भैया, बहन प्रतिमा सिंह, मित्र अभिषेक, नम्रता, आशुतोष यादव, मेघना एवं बाला जी बुक शॉप (बबलू एवं हरिओम फोटोस्टेट) का विशेष योगदान रहा।

दृष्टि: आपके वैकल्पिक विषय क्या थे? क्या आपने इनकी पढ़ाई स्नातक या आगे के स्तर पर की थी? यदि नहीं, तो इनके चयन का आधार क्या था?

अभय: मेरे वैकल्पिक विषय पर्यावरण विज्ञान एवं उद्यान विज्ञान थे। मैंने स्नातक गणित से कर

लेख खंड

शोधपरक, सारगर्भित और परीक्षोन्मुखी लेखों का संग्रह

11 **राजनीतिक लेख**

- सोशल मीडिया का विनियमनः आवश्यकता एवं चिंताएँ

–अंकित 'ममता' त्यागी

14 **आर्थिक मुद्दों पर आधारित लेख**

- बजट 2021-22 : समग्र विश्लेषण?

–शशि भूषण (विवेक राही)

17 **ऑडियो लेख**

- ग्लेशियर्स और इससे संबंधित मुद्दे

–श्रद्धा भदौरिया

सोशल मीडिया का विनियमनः आवश्यकता एवं चिंताएँ

अंकित 'ममता' त्यागी

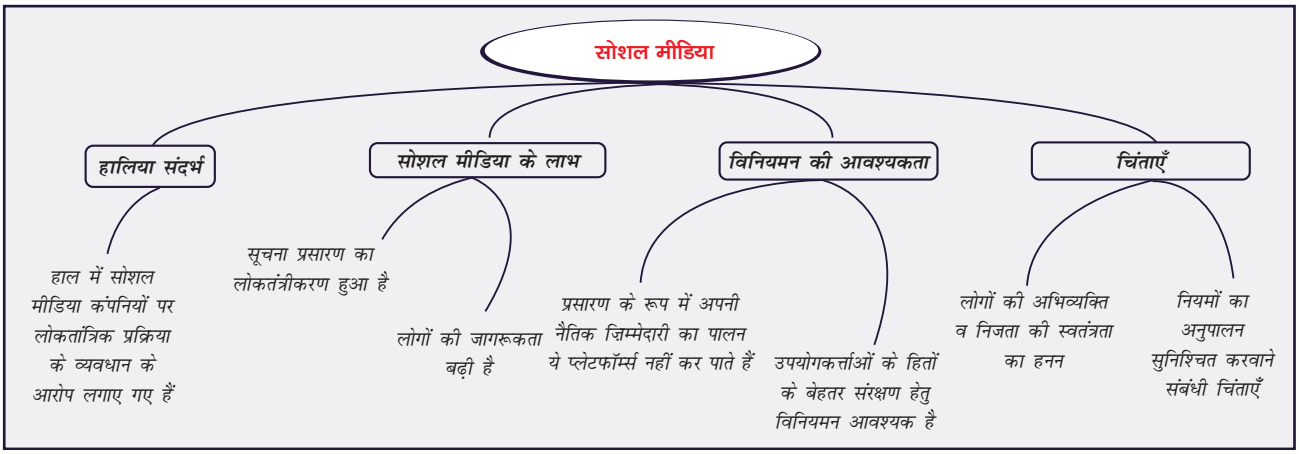

6 जनवरी, 2021 को अमेरिकी कॉन्ग्रेस द्वारा जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन की पुष्टि किये जाने के दौरान दुनिया के हालिया लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे अप्रिय घटना देखने को मिली। दरअसल नवंबर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव मतदान व संभावित नतीजों की घोषणा के बाद से ही निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चुनावों में धांधली की बात कर रहे थे। ऐसे में जब जनवरी में सत्ता-हस्तांतरण का समय आया तब उनके समर्थकों ने वाशिंगटन की प्रसिद्ध कैपिटल हिल बिल्डिंग के बाहर हिंसक प्रदर्शन किया, जिसमें लोग हताहत भी हुए। इसी हिंसक प्रदर्शन के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्प अपने समर्थकों से ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से अपील कर रहे थे। उनकी अपीलों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हिंसा भड़काने वाले संदेश करार देते हुए अपने प्लेटफॉर्म्स से हटा लिया और बाद में ट्विटर ने तो राष्ट्रपति ट्रम्प का अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया। इसके बाद भारत में जारी किसान आंदोलन के दौरान भी ट्विटर पर कुछ एकाउंट्स द्वारा फेक न्यूज़ संबंधी एक ट्रेंड चलाए जाने के पश्चात् भारत सरकार ने ट्विटर से उन एकाउंट्स को सस्पेंड करने का आग्रह किया, जिसका ट्विटर द्वारा पूर्णतः पालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, व्हाट्सएप द्वारा नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी किये जाने के बाद उपयोगकर्त्ताओं में इस प्लेटफॉर्म पर निजता को लेकर गंभीर संशय उत्पन्न हुए। बीते 2-3 महीनों की इन प्रमुख घटनाओं के प्रभावस्वरूप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर कुछ सवाल उत्पन्न हुए हैं, जैसे- क्या सोशल मीडिया कंपनियाँ राष्ट्रीय सरकारों पर भी अधिभावी शक्तियाँ प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं? क्या वर्तमान दौर में सोशल मीडिया उपयोगकर्त्ताओं की निजता बिलकुल सुरक्षित नहीं रही? और, क्या इन आसन्न संकटों को देखते हुए सोशल मीडिया को सुचारु रूप से विनियमित नहीं किया जाना चाहिये? प्रस्तुत लेख में हम उक्त सभी प्रश्नों की पड़ताल करते हुए वर्तमान समाज में सोशल मीडिया की भूमिका, इसके विनियमन की आवश्यकता और विनियमन के प्रयासों से उपजने वाली चिंताओं का समग्र विश्लेषण करेंगे।

सोशल मीडिया और इसके लाभ

वर्तमान में 'सोशल मीडिया' अपने आप में इतना व्यापक पद बन गया है कि इसकी एकल व्याख्या या परिभाषा दे सकना संभव नहीं है। फिर भी, मोटे तौर पर सोशल मीडिया को उपयोगकर्त्ता-सृजित सामग्री, उपयोग की सुगमता, सहभागिता की संस्कृति तथा अंतर्प्रचालनीयता को बढ़ावा देने वाली वेबसाइट्स के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो ऐसी वेबसाइट्स जहाँ उपयोगकर्त्ता स्वयं कंटेंट की रचना कर उसे साझा कर सकें व दूसरे उपयोगकर्त्ताओं के साथ स्वतंत्र रूप से अंतर्क्रिया कर सकें, वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं। यह इंटरनेट के आरंभिक दौर की उन वेबसाइट्स से भिन्न है जहाँ एक ही सिरे से कंटेंट प्रसारित किया जाता था और शेष उपयोगकर्त्ता केवल पाठक की भूमिका में होते थे।

ज़ाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया के आविर्भाव ने इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं का तेज़ी से सशक्तीकरण किया है। सोशल मीडिया की आधारशिला लोगों की अपने आसपास के लोगों से जुड़ने व समूह का भाग बनने की मूल प्रवृत्ति पर रखी गई है, किंतु पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया केवल लोगों के आपस में जुड़ने का ज़रिया नहीं रह गया बल्कि यह मार्केटिंग, समाचार रिपोर्टिंग, सामाजिक सक्रियतावाद, मनोरंजन व राजनीतिक पहुँच इत्यादि हेतु एक टूल के रूप में कार्य करने वाली बहुमुखी संरचना बन गया है। इससे समाज को कई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त हुए हैं। सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग से सुशासन व लोगों के राजनीतिक सशक्तीकरण में सहायता मिली है। इसे भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने हेतु चलाए गए स्वीप कार्यक्रम के उदाहरण से समझा जा सकता है। इसके अलावा 'हैशटैग एक्टिविज़्म' के द्वारा सामाजिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने में भी सोशल मीडिया ने बड़ी सहायता की है। इसके सबसे प्रमुख उदाहरण भारत के निर्भया मामले और #MeToo अभियान के रूप में देखे जा सकते हैं। साथ ही, सोशल मीडिया के माध्यम से नवाचार व नए आर्थिक अवसरों के सृजन, शिक्षण संस्थाओं द्वारा सोशल मीडिया

बजट 2021-22 : समग्र विश्लेषण

शशि भूषण (विवेक राही)

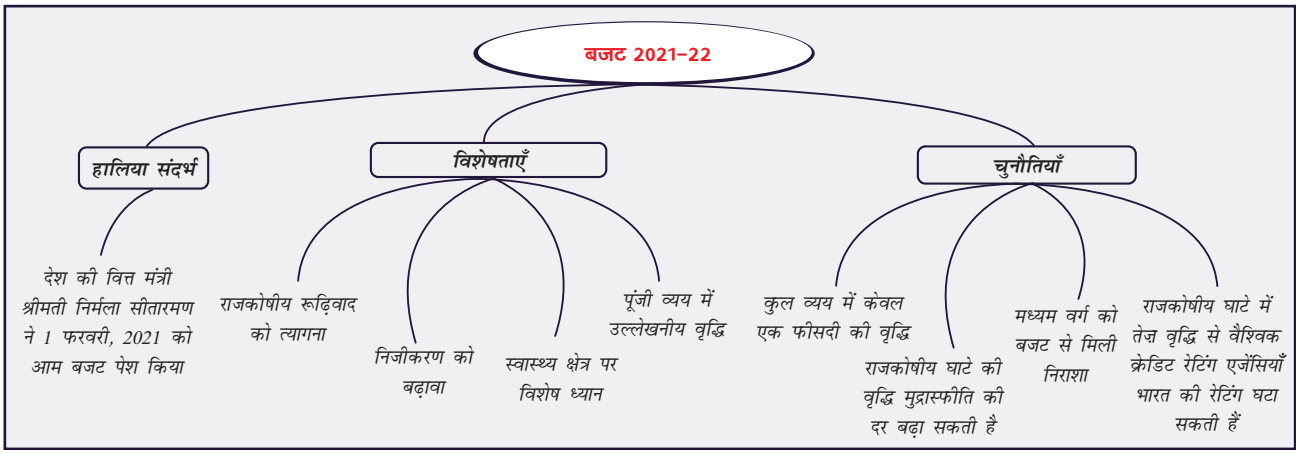

चूँकि बजट पूरे वित्त वर्ष का वित्तीय विवरण होने के साथ-साथ देश के आर्थिक हालात की दशा और दिशा बतलाने वाला दस्तावेज़ भी होता है, अतः सभी की निगाहें इस ओर लगी रहती हैं। इस बार का बजट और भी ध्यानाकर्षक था, क्योंकि यह ऐसे समय में प्रस्तुत किया गया है जब कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में है, कल-कारखाने सुस्त पड़े हैं, लोगों की आमदनी में भारी गिरावट आई है, रोज़गार के अवसर सीमित हैं और सरकार की राजस्व आय बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार के सामने यह बड़ी चुनौती थी कि वह एक ऐसा बजट प्रस्तुत करे जो बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था को न सिर्फ रफ्तार दे बल्कि लंबे समय तक तेज़ विकास दर भी हासिल होती रहे। इन चुनौतियों के बीच देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2021 को आम बजट पेश किया जो कि छह स्तंभों पर आधारित है-

- स्वास्थ्य व कल्याण
- भौतिक व वित्तीय पूंजी संरचना
- आकांक्षी भारत के लिये समावेशी विकास
- मानव पूंजी में नवजीवन का संचार
- नवाचार और अनुसंधान व विकास तथा
- न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।

अब जबकि इस साल का बहुप्रतीक्षित बजट पेश किया जा चुका है तो ज़रूरी है कि यह विश्लेषण किया जाए कि यह मौजूदा आर्थिक चुनौतियों से पार पाने हेतु कौन-सी विशेषताएँ समेटे हुए है और अभी भी वे कौन-सी चुनौतियाँ बची हैं जिनसे पार पाया जाना बाकी रह गया है।

क्या खास रहा बजट में?

गंभीर संकट का समय विशिष्ट उपायों की मांग करता है। कोरोना संकट से त्रस्त भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये यह आवश्यक हो गया था कि सरकार एक परिवर्तनकारी बजट प्रस्तुत करे। सरकार ने अपनी क्षमता भर ऐसा किया भी, जिसके कारण इस बजट में कुछ ऐसी खास विशेषताएँ दिखलाई पड़ती हैं जो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मददगार साबित हो सकती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है राजकोषीय रूढ़िवाद को त्यागना। गौरतलब है कि मौजूदा सरकार अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही राजकोषीय दृढ़ता के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करती आ रही है और उसका स्पष्ट मानना रहा है कि राजकोषीय प्रबंधन अधिनियम के तहत तय की गई राजकोषीय घाटे की सीमा को पार न किया जाए। नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद जब अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ने लगी थी और निजी क्षेत्र के निवेशक निवेश करने से बच रहे थे तब भी कई आर्थिक विशेषज्ञों ने सरकार को राय दी थी कि सरकारी निवेश में वृद्धि करने हेतु सरकार राजकोषीय घाटे की सीमा का ध्यान न रखते हुए अपना व्यय बढ़ाए, किंतु तब भी उसने राजकोषीय रूढ़िवाद का पालन करते हुए अपना व्यय सीमित रखा। किंतु कोरोना संकट ने सरकार की राजस्व आय के सम्मुख जो अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया उसके बाद उसके पास दो ही विकल्प बचे थे, पहला यह कि सरकार कर की दरों में वृद्धि करके या कोई नया कर आरोपित करके अपनी राजस्व आय में वृद्धि करे और दूसरा यह कि सरकार राजकोषीय रूढ़िवाद की नीति त्यागकर बाज़ार से बड़ी मात्रा में उधार ले। चूँकि कोरोना महामारी ने देश के आमजन को त्रस्त कर रखा था, ऐसे में करों में वृद्धि कहीं से भी वाजिब विकल्प साबित नहीं होता, अतः सरकार ने दूसरा विकल्प चुना। बजट में वित्त मंत्री ने वर्ष 2020-21 के दौरान राजकोषीय घाटे के 9.5 फीसदी के ऐतिहासिक स्तर पर पहुँचने की बात कही। चूँकि सरकार यह भी जानती है कि कोरोना संकट से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को सुधरने में कुछ वर्षों का समय लग सकता है, इसलिये अगले कुछ वर्षों के लिये भी राजकोषीय मोर्चे पर ढिलाई बरती गई है। ऐसे में सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.8 प्रतिशत रखते हुए यह संभावना व्यक्त की कि वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा 4.5 प्रतिशत तक लाया जा सकता है। अब अगर बात करें कि सरकार द्वारा राजकोषीय रूढ़िवाद को त्यागने का लाभ क्या होगा तो सबसे बड़ी बात यही है कि कोरोना जैसे संकट के समय में भी सरकार द्वारा पिछले बजट में व्यय संबंधी जो घोषणाएँ की गई थीं, उन पर राजस्व आय में कमी का असर नहीं होगा।

ग्लेशियर्स और इससे संबंधित मुद्दे

श्रद्धा भदौरिया

(ऑडियो आर्टिकल शृंखला दृष्टि के यूट्यूब चैनल 'Drishti IAS' पर प्रसारित की जाती है जिसमें महत्त्वपूर्ण विषयों पर अंग्रेज़ी अखबारों और पत्रिकाओं में छपे लेखों का सार प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत ऑडियो आर्टिकल Indian Express में प्रकाशित लेख, "Uttarakhand disaster : An early warning system for glaciers is needed" और "How to tackle a glacial burst and how is India prepared" के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं।)

प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इससे होने वाले नुकसान और इसके आने की आवृत्ति को कम ज़रूर किया जा सकता है। यह बात हाल ही में उत्तराखंड में ग्लेशियर के ज़रिये हुई तबाही के मद्देनज़र सटीक बैठती है। दरअसल, बीते 7 फरवरी को उत्तराखंड में नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने की वजह से हिमस्खलन और जल प्रलय की स्थिति बनी। इससे तपोवन-विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट और ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट को काफी नुकसान पहुँचा। वहाँ टनल में काम कर रहे मज़दूरों में से कई जानें चली गईं और कई सारे लोग अभी भी लापता हैं।

इसके बाद से ही ग्लेशियर्स के विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लेशियर्स से संबंधित आपदाओं के लिये उचित वॉर्निंग सिस्टम होना चाहिये। जब ऐसी तकनीकें उपलब्ध हैं तो हम क्यों इस तरह की आपदाओं से अपने जान-माल की रक्षा नहीं कर पा रहे।

इस लेख में हम ग्लेशियर, इसके प्रकार और महत्त्वपूर्ण ग्लेशियर्स की अवस्थिति पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा ग्लेशियर्स से बनने वाली संरचनाओं तथा ग्लेशियर्स के लाभ और इससे जुड़ी आपदाओं पर भी बात करेंगे। साथ ही, इन आपदाओं से निबटने के लिये किये जा रहे प्रयासों की भी चर्चा करेंगे।

ग्लेशियर यानी हिमनद क्या है?

'ग्लेशियर' शब्द को फ्रेंच शब्द 'GLACE' (ग्लासे) से लिया गया है। ये पृथ्वी पर परत के रूप में धीमी गति से प्रवाहित होने वाले बर्फ के बड़े पिंड होते हैं। जल की तुलना में इनका बहाव धीमा होता है। एक दिन में इनका बहाव कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक या इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ग्लेशियर्स मुख्यत: गुरुत्व बल की वजह से गतिमान होते हैं। ग्लेशियर्स को 'रिवर्स ऑफ आइस' भी कहा जाता है। जब एक ही स्थान पर 'स्नो' यानी हिमपात धीरे-धीरे इकट्ठा होकर बर्फ में तब्दील हो जाता है तो ग्लेशियर का निर्माण होता है। साल दर साल हिमपात की एक परत दूसरी परत को संपीडित करती जाती है। दबाव बढ़ने के साथ-साथ बर्फ में सघनता बढ़ती जाती है और इसके क्रिस्टल एक समान आकार के होते जाते हैं। एक बिंदु पर इसकी सघनता पानी की तुलना में दो तिहाई रह जाती है। अधिकांश ग्लेशियर्स के लिये यह प्रक्रिया सौ से अधिक सालों तक चलती है।

अब उन भागों को देख लेते हैं जिनके निर्माण में ग्लेशियर की मुख्य भूमिका है। ग्लेशियर्स 'क्रायोस्फीयर' का हिस्सा होते हैं। 'क्रायोस्फीयर' की बात करें तो 'ये पृथ्वी पर कुछ ऐसे हिस्से हैं जो इतने ठंडे हैं कि वहाँ पर पानी जम जाता है। इन क्षेत्रों का तापमान साल के किसी समय पर 32 डिग्री फारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ज़मीन पर पाई जाने वाली बर्फ 'क्रायोस्फीयर' का एक हिस्सा है। इसमें आइसकैप्स, ग्लेशियर और बर्फीले क्षेत्र के अलावा परमाफ्रॉस्ट शामिल होता है। इसके दूसरे हिस्से में पानी के अंदर पाई जाने वाली बर्फ शामिल होती है। ध्यातव्य है कि परमाफ्रॉस्ट कोई भी ऐसा क्षेत्र है जो कम-से-कम लगातार दो सालों तक 32 डिग्री फारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह जमा हुआ हो। इससे पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा ढँका होता है। उत्तरी गोलार्द्ध में लगभग एक चौथाई क्षेत्र परमाफ्रॉस्ट से जमा है। इसमें मिट्टी, चट्टान और रेत बर्फ के ज़रिये जुड़े होते हैं। परमाफ्रॉस्ट मिट्टी में बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन होता है।

ग्लेशियर्स के प्रकार एवं इनकी अवस्थिति

ग्लेशियर्स को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है- 'अल्पाइन ग्लेशियर' और 'आइस शीट्स'। 'अल्पाइन ग्लेशियर' पर्वतों के किनारे बनते हैं और घाटी के ज़रिये नीचे की ओर बहते हैं। धूल, मिट्टी और अन्य पदार्थों को अपने रास्ते से हटाते हुए ये घाटियों को और गहरा कर देते हैं। ये ग्लेशियर ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर हर महाद्वीप के ऊँचे पर्वतों में पाए जाते हैं। अल्पाइन ग्लेशियर्स को वैली ग्लेशियर या माउंटेन ग्लेशियर भी कहते हैं।

'आइस शीट्स' ग्लेशियर अल्पाइन की तरह केवल पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं। ये अपने केंद्र से चारों तरफ प्रसारित होते हैं। ये प्रसारित होते-होते अपने आस-पास के क्षेत्र चाहे वह घाटी हो या मैदान या फिर पूरा पर्वतीय क्षेत्र, को बर्फ की चादर से ढंक देते हैं। सबसे बड़े आइस शीट्स को महाद्वीपीय ग्लेशियर (Continental Glaciers) कहा जाता है। ये काफी बड़े क्षेत्र में विस्तृत होते हैं।

अगर ग्लेशियर्स की अवस्थिति की बात करें तो आमतौर पर ये स्नोलाइन के ऊपर पाए जाते हैं। सर्दियों में उच्च स्नोफाल वाले क्षेत्र और गर्मियों में कम तापमान वाले क्षेत्र में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। इस वजह से सर्दियों में इकट्ठी होने वाली बर्फ गर्मियों में पिघलने वाली बर्फ की तुलना में अधिक होती है। इसीलिये अधिकांश ग्लेशियर्स पर्वतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

सबसे ज़्यादा ग्लेशियर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। वर्तमान में पृथ्वी का 10 फीसदी क्षेत्र 'ग्लेशियल आइस' से घिरा है। दुनिया का 69 फीसदी ताज़ा पानी ग्लेशियर्स में पाया जाता है।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2020

में पूछे गए 80-85 प्रतिशत प्रश्न प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से मैगज़ीन से : प्रमाण सहित विवरण

प्रिय पाठको,

UPSC मुख्य परीक्षा 2020 में पूछे गए प्रश्नों का 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' मैगज़ीन से मिलान कर हर्ष का अनुभव हो रहा है। आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है कि हर बार की तरह इस वर्ष भी UPSC मुख्य परीक्षा में मैगज़ीन से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 80-85 प्रतिशत प्रश्न पूछे गए हैं। अपने दावों को ठोस आधार प्रदान करने के लिये हम इस अंक में प्रश्नों से संबंधित मैगज़ीन के उस विशेष पृष्ठ और खंड का भी ज़िक्र कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रमाण सहित विवरण में हमने मूलत: एक से डेढ़ वर्ष की मैगज़ीन को कवर किया है। UPSC द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति को देखते हुए प्रश्नों के हू-ब-हू मिलान का दावा करना तो अतिशयोक्ति ही होगी; लेकिन इसके बावजूद अधिकांश प्रश्न एवं उससे मिलती-जुलती अवधारणाएँ जिनसे प्रश्न को आसानी से लिखा जा सकता हो, के प्रत्यक्ष मिलान का दावा हम अवश्य कर सकते हैं। आशा है कि हमारा यह दावा मैगज़ीन के प्रति आपके भरोसे को और प्रगाढ़ करेगा। *धन्यवाद*

सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-1

प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 1 लेख खंड	मैगज़ीन स्रोत 2 जिस्ट	मैगज़ीन स्रोत 3 न्यूज़ खंड	मैगज़ीन स्रोत 4 सप्लीमेंट	मैगज़ीन स्रोत 5 मुख्य परीक्षा प्रश्न	मैगज़ीन स्रोत 6 अन्य
1. शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्त्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। विवेचना कीजिये।				April 2020 Pg-186		
2. भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्त्वपूर्ण चरण है। विश्लेषण कीजिये।				Feb 2021 Pg-161		
3. लॉर्ड कर्ज़न की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिये।						
4. परि-प्रशांत क्षेत्र के भू-भौतिकीय अभिलक्षणों का विवेचन कीजिये।						
5. 'मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायविक सीमाएँ नहीं होती हैं। उदाहरणों सहित औचित्य सिद्ध कीजिये।		November 2019 Pg-115	June 2020 Pg-58			
6. हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल-संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा?					December 2020 Pg-142	

करेंट अफेयर्स

(21 जनवरी- 21 फरवरी, 2021 तक कवरेज)

अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम 29-31

- *स्वच्छ ईंधन हाइड्रोजन* ★★★ 29
- *प्रतिष्ठा का अधिकार बनाम गरिमा का अधिकार* ★★★ 30
- *भारत नवाचार सूचकांक-2020* ★★★ 31

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 32-39

- *रोहिणी आयोग और OBC उप-श्रेणीकरण* ★★★ 32
- *पदोन्नति में आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निदेश-पत्र* ★★★ 33
- *15वें वित्त आयोग की सिफारिशें: संसाधन आवंटन* ★★★ 34
- *मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021* ★★ 36
- *राजद्रोह कानून* ★★ 37
- *डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट* ★★ 38
- *जल जीवन मिशन (शहरी)* ★★ 39

आर्थिक घटनाक्रम 40-47

- *परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी* ★★★ 40
- *घरेलू प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक* ★★★ 41
- *15वें वित्त आयोग की सिफारिशें : राजकोषीय प्रबंधन* ★★★ 42
- *ब्लू इकॉनमी नीति का मसौदा* ★★★ 43
- *NBFC के विनियमन के लिये 4-स्तरीय ढाँचा* ★★ 44
- *खाद्य प्रणाली और पोषण पर दिशा-निर्देश* ★★ 45
- *प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक-2020* ★★ 46

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 48-53

- *भारत की वैक्सीन कूटनीति* ★★★ 48
- *म्याँमार में सैन्य तख्तापलट* ★★★ 49
- *पश्चिम एशिया शांति सम्मेलन* ★★★ 50
- *कतर-मिस्र संबंध* ★★★ 51
- *IEA के साथ समझौता* ★★★ 52
- *'न्यू स्टार्ट संधि' का विस्तार* ★★ 52
- *हॉन्गकॉन्ग के निवासियों को ब्रिटिश वीज़ा* ★★ 53

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 54-58

- *नासा का मंगल 2020 मिशन* ★★★ 54
- *स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप* ★★★ 55
- *हंटर सिंड्रोम: एमपीएस II* ★★★ 56
- *भू-स्थानिक क्षेत्र का उदारीकरण* ★★ 57
- *स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन* ★ 58

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 59-64

- *वैश्विक अनुकूलन शिखर सम्मेलन* ★★★ 59
- *रामसर अभिसमय की 50वीं वर्षगाँठ* ★★★ 60
- *नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (NUE)* ★★★ 61
- *विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन 2021* ★★★ 62
- *मिशन इनोवेशन 2.0* ★★★ 63
- *'सीवीड मिशन'* ★★ 64
- *कोयला दहन से प्रदूषण: IEACCC* ★★ 64

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 65-72

- *उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बदलती प्रवृत्ति : जलवायु जोखिम सूचकांक* ★★★ 65
- *उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड* ★★★ 66
- *लिटिल अंडमान विकास योजना* ★★★ 68
- *बांध सुरक्षा: संबंधित मुद्दे एवं चुनौतियाँ* ★★★ 69
- *राष्ट्रीय कोयला सूचकांक* ★★★ 70
- *पारगमन उन्मुख विकास* ★★ 71
- *नेशनल बेसलाइन जियोसाइंस डेटा जेनरेशन प्रोग्राम* ★★ 72
- *ओडिशा-आंध्र प्रदेश सीमा विवाद* ★★ 72

भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय 73-76

- *द इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट: ऑक्सफैम* ★★★ 73
- *मानसिक स्वास्थ्य और पुरुष* ★★★ 74
- *दिव्यांगता और प्रलिपिक की सुविधा* ★★★ 75
- *विवाह के लिये समान न्यूनतम आयु* ★★ 76

कला एवं संस्कृति 77-80

- *चौरी चौरा कांड के सौ वर्ष* ★★★ 77
- *श्री नारायण गुरु* ★★★ 78
- *असम का जेरेंगा पोथर और ढेकियाजुली टाउन* ★★ 78
- *थोलपावाक्कूथु* ★★ 79
- *जगन्नाथ मंदिर* ★★ 80

आंतरिक सुरक्षा 81-82

- *अरुणाचल सीमा पर अवसंरचना विकास* ★★★ 81

अन्य चर्चित खबरें

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 83

- स्कूल बैग नीति-2020
- श्रमशक्ति पोर्टल

आर्थिक घटनाक्रम 83-87

- कोच्चि-मंगलुरू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना
- वर्चुअल एग्री-हैकथॉन-2020
- मोनपा हस्तनिर्मित कागज़
- मोरिंगा पाउडर
- 100वीं किसान रेल
- हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना
- फ्रेट बिज़नेस डेवलपमेंट पोर्टल
- टॉयकथॉन 2021
- कोयला क्षेत्र के लिये एकल खिड़की निकासी पोर्टल
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
- दावोस संवाद
- नियामक अनुपालन पोर्टल
- नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड
- 'फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम' का चौथा संस्करण
- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण
- न्यूयॉर्क कन्वेंशन
- उपभोक्ता कल्याण कोष
- ब्रेंट और WTI के बीच अंतर

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 87-88

- क्यूबा आतंकवाद प्रायोजक राज्य के रूप में नामित
- लीजन ऑफ मेरिट
- 'द लाइन' शहर
- भारत-जापान के बीच सहभागिता समझौता
- GAVI बोर्ड में भारत
- भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक
- भारत-सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की 5वीं वार्त्ता

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 88-89

- भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव-2020
- मॉक एग
- 'हाइपरसोनिक विंड टनल' परीक्षण सुविधा
- 'ASMI' मशीन पिस्तौल
- कोलैबकैड सॉफ्टवेयर
- BBX11 जीन
- उत्परिवर्तित कोरोना वायरस
- ट्रांस फैटी एसिड
- द्विविमीय इलेक्ट्रॉन गैस
- हेमरिज सेप्टीसीमिया (HS)
- विज़ुअल इंटेलिजेंस टूल: तेजस

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 89-92

- भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट
- ब्लू फ्लैग प्रमाण-पत्र
- E20 ईंधन
- कैराकल या सियाह-गोश बिल्ली
- उत्तराखंड में प्रथम बाघ स्थानापन्न
- हिमालयन ट्रिलियम
- प्रथम पॉलीनेटर पार्क
- कोलार लीफ-नोज़्ड बैट
- चिल्लई कलान
- फायर पार्क
- प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (MEE)
- चर्चा में रहे वन्य-जीव संरक्षित स्थल
- चर्चा में रहीं प्रजातियाँ

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 92-93

- लिथियम का घरेलू अन्वेषण
- डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म
- ग्रैंड रेनेसां डैम
- ग्रेट ग्रीन वॉल (GGW) पहल
- रतले पनविद्युत परियोजना
- भारत की पहली भू-तापीय बिजली परियोजना
- नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट

भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय 93-94

- मन्थू पद्मभन
- भीमा-कोरेगाँव युद्ध की 203वीं वर्षगाँठ
- 'वन स्कूल, वन आईएएस' कार्यक्रम

कला एवं संस्कृति 94-95

- विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला
- खुदीराम बोस
- वाघई-बिलिमोरा हेरिटेज लाइन
- रिसा
- कला उत्सव-2020
- महाराजा सुहेलदेव

आंतरिक सुरक्षा 95-96

- मिशन सागर-III
- तेजस का अधिग्रहण
- अर्जुन मेन बैटल टैंक 'MK-1A'
- प्रमुख युद्धाभ्यास

पुरस्कार 96

- पद्म पुरस्कार 2021
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

1 अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम

स्वच्छ ईंधन हाइड्रोजन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (IIT-D)** के शोधकर्त्ताओं द्वारा कम लागत पर **जल से स्वच्छ ईंधन हाइड्रोजन** उत्पन्न करने की एक तकनीक विकसित की गई है।

प्रमुख बिंदु

- यह दुनिया भर में **हरित एवं स्वच्छ** ऊर्जा स्रोतों की तलाश के लिये किये जा रहे प्रयासों के क्रम में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- हाइड्रोजन गैस जीवाश्म ईंधन के नवीकरणीय विकल्प के रूप में एक **व्यवहार्य विकल्प** है और प्रदूषण को कम करने के लिये उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती है।
- आईआईटी-दिल्ली के शोधकर्त्ताओं ने **सल्फर-आयोडीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन चक्र** के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया द्वारा जल को सफलतापूर्वक विभाजित किया है। इस प्रक्रिया से प्राप्त स्वच्छ ईंधन हाइड्रोजन का उपयोग औद्योगिक गतिविधियों हेतु किया जा सकेगा।

सल्फर-आयोडीन चक्र

- सल्फर-आयोडीन चक्र (SI चक्र) एक त्रि-चरणीय थर्मोकेमिकल चक्र है जिसका उपयोग हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिये किया जाता है। इस चक्र में सभी रसायनों का पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। सल्फर-आयोडीन चक्र की प्रक्रिया को पर्याप्त ताप की आवश्यकता होती है।
- ताप, हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने के प्रारंभिक चरण में उच्च-तापमान एंडोथर्मिक रासायनिक अभिक्रियाओं (High Temperature Endothermic Chemical Reactions) के चक्र में प्रवेश करता है और अंतिम चरण में न्यून-ताप एक्सोथर्मिक अभिक्रिया (Low-Temperature Exothermic Reaction) चक्र से बाहर निकलता है।

खोज का महत्त्व

हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

- इस खोज के माध्यम से कम लागत वाले हाइड्रोजन की उपलब्धता के परिणामस्वरूप हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में वृद्धि होगी।
- यह विद्युत वाहन, प्राथमिक और विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक व्यवस्था के लिये बैकअप पॉवर, औद्योगिक एवं आवासीय भवन और एयर टैक्सी जैसी भविष्य की तकनीकों हेतु एक स्वच्छ तथा विश्वसनीय वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत प्रदान कर सकता है।
- हाइड्रोजन ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक जेनरेटर है जो उप-उत्पादों के रूप में ऊष्मा और जल प्रदान कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से विद्युत उत्पादन करता है।

उत्सर्जन लक्ष्य

यह भारत को पेरिस जलवायु समझौते में अपनी प्रतिबद्धता और लक्ष्य का पालन करने में मदद कर सकता है तथा यह सुनिश्चित कर सकता है कि भविष्य में शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

FAME इंडिया योजना का पूरक

यह हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों के बाज़ार के विकास और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू की गई FAME इंडिया योजना के कुशल कार्यान्वयन हेतु एक पूरक साबित हो सकता है।

ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के लाभ

पर्यावरण के अनुकूल

- हाइड्रोजन को एक ऊर्जा वाहक के रूप में उपयोग करने का लाभ यह है कि जब यह ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो केवल **जल और ऊष्मा** ही उपोत्पाद होते हैं।
- हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग से ग्रीन हाउस गैस या अन्य पार्टिकुलेट मैटर उत्पन्न नहीं होते हैं।

अविषाक्त

हाइड्रोजन एक **अविषाक्त पदार्थ** है जो ईंधन स्रोत के लिये दुर्लभ है। यह पर्यावरण के अनुकूल है और इससे मानव स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है।

अत्यधिक कुशल

हाइड्रोजन **ऊर्जा का एक कुशल रूप** है क्योंकि यह डीज़ल या गैस की तुलना में **अत्यधिक दक्ष** होता है।

आदर्श अंतरिक्षयान ईंधन

हाइड्रोजन ऊर्जा की दक्षता और शक्ति इसे अंतरिक्षयान के लिये एक आदर्श ईंधन स्रोत बनाती है जो अन्वेषण मिशनों के लिये तीव्रता से रॉकेट भेजने में सक्षम है।

ईंधन के रूप में हाइड्रोजन से हानि

- हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील और वाष्पशील पदार्थ है। इसकी ढुलाई तथा भंडारण को एक गंभीर चुनौती के रूप में देखा जाता है।
- **हाइड्रोजन में गंध का अभाव** होता है, जो किसी भी रिसाव का पता लगाना लगभग असंभव बना देता है। ■■■

2 संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

रोहिणी आयोग और OBC उप-श्रेणीकरण ★★★

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये **रोहिणी आयोग** (Rohini Commission) के कार्यकाल को 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दिया है।

प्रमुख बिंदु

- रोहिणी आयोग का गठन **अक्तूबर 2017** में संविधान के **अनुच्छेद-340** के तहत किया गया था। उस समय आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये 12 सप्ताह का समय दिया गया था, हालाँकि इसके बाद से कई बार आयोग के कार्यकाल में विस्तार किया जा चुका है।
- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 340** के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जाँच करने तथा उनकी दशा में सुधार करने से संबंधित सिफारिश प्रदान के लिये एक आदेश के माध्यम से आयोग की नियुक्ति/गठन कर सकता है।

OBC के उप-श्रेणीकरण के लिये समिति की आवश्यकता

- **समानता सुनिश्चित करने के लिये:** इस आयोग का गठन केंद्रीय OBC सूची में मौजूद 5000 विषम जातियों को उप-वर्गीकृत करने के कार्य को पूरा करने हेतु किया गया था। नियम के मुताबिक अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को केंद्र सरकार के तहत नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण दिया जाता है।
  - उप-श्रेणीकरण की आवश्यकता इस धारणा से उत्पन्न होती है कि OBC की केंद्रीय सूची में शामिल कुछ ही संपन्न समुदायों को 27% आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। उप-श्रेणीकरण से केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अवसरों का अधिक समान वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NBFC) की सिफारिशें:** ध्यातव्य है कि सर्वप्रथम वर्ष 2015 में 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' (NCBC) ने OBC को अत्यंत पिछड़े वर्गों, अधिक पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों जैसी तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किये जाने की सिफारिश की थी।
- OBC आरक्षण के लाभ का अधिकांश हिस्सा प्राय: प्रभावशाली OBC समूहों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, इसलिये OBC के भीतर अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिये उप-श्रेणीकरण को मान्यता देना अति आवश्यक है।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NBFC) के पास सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिकायतों और उनसे संबंधित कल्याणकारी उपायों के क्रियान्वयन की जाँच करने का अधिकार है।

आयोग के विचारार्थ विषय (ToR)

- **असमानता की जाँच करना:** केंद्रीय OBC सूची में शामिल जातियों या समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण तथा उनकी सीमा की जाँच करना।
- **मापदंडों का निर्धारण:** OBC के भीतर उप-वर्गीकरण के लिये वैज्ञानिक तरीके से एक आवश्यक तंत्र और मापदंडों का निर्धारण करना।
- **वर्गीकरण:** उप-वर्गीकरण के दायरे में आने वाली जातियों या समुदायों या उप-जातियों की पहचान करना और उन्हें उनकी संबंधित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत करना।
- **मौजूदा त्रुटियों को समाप्त करना:** OBC की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना और किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विसंगति तथा वर्तनी या प्रतिलेखन की त्रुटि में सुधार करने के संदर्भ में सलाह देना।

आयोग के समक्ष चुनौतियाँ

- **आँकड़ों की कमी:** केंद्र सरकार की नौकरियों और विश्वविद्यालय में प्रवेश में विभिन्न OBC समुदायों के प्रतिनिधित्व तथा उन समुदायों की आबादी की तुलना करने के लिये आवश्यक डेटा की उपलब्धता अपर्याप्त है।
- **सर्वेक्षण में देरी:** वर्ष 2021 की जनगणना में OBC से संबंधित डेटा एकत्र करने को लेकर घोषणा की गई थी, हालाँकि इस संबंध में अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है।

आयोग द्वारा अब तक की गई जाँच

- वर्ष 2018 में, आयोग ने पिछले पाँच वर्ष में OBC कोटा के तहत दी गई केंद्र सरकार की 1.3 लाख नौकरियों का विश्लेषण किया था।
- आयोग ने पूर्ववर्ती तीन वर्षों में विश्वविद्यालयों, IIT, NIT, IIM और AIIMS समेत विभिन्न केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में OBC प्रवेशों से संबंधित आँकड़ों का विश्लेषण किया था। आयोग के मुताबिक,
  - OBC के लिये आरक्षित सभी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों की सीटों का 97% हिस्सा OBC के रूप में वर्गीकृत सभी उप-श्रेणियों के केवल 25% हिस्से को प्राप्त हुआ।
  - उपरोक्त नौकरियों और सीटों का 24.95% हिस्सा केवल 10 OBC समुदायों को प्राप्त हुआ।
  - नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 983 OBC समुदायों (कुल का 37%) का प्रतिनिधित्व शून्य है।
  - विभिन्न भर्तियों एवं प्रवेश में 994 OBC उप-जातियों का कुल प्रतिनिधित्व केवल 2.68% का प्रतिनिधित्व है।

3 आर्थिक घटनाक्रम

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ★★★

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2021-22 में **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी** (Asset Reconstruction Company-ARC) को राज्य के स्वामित्व वाले और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है तथा कहा गया है कि सरकार इसमें कोई इक्विटी योगदान नहीं देगी।

प्रमुख बिंदु

ARC जो कि खराब परिसंपत्तियों के प्रबंधन और बिक्री के लिये परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी होगी, 70 बड़े खातों में ₹2-2.5 लाख करोड़ की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करेगी। सरकार द्वारा इसे **'बैड बैंक'** का संस्करण माना जा रहा है।

बैड बैंक

- बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- तकनीकी रूप से बैड बैंक एक **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी** (ARC) या **परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी** (Asset Management Company-AMC) है जो वाणिज्यिक बैंकों के बैड ऋणों को अपने नियंत्रण में लेकर उनका प्रबंधन और समय के साथ धन की वसूली करती है।
- बैड बैंक ऋण देने और जमा स्वीकार करने की प्रकिया का भाग नहीं होता है, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों की बैलेंस शीट ठीक करने में मदद करता है।
- अमेरिका स्थित **मेल्लोन बैंक** (Mellon Bank) द्वारा वर्ष 1988 में **पहला बैड बैंक** बनाया गया था जिसके बाद स्वीडन, फिनलैंड, फ्राँस और जर्मनी सहित अन्य देशों ने इस अवधारणा को अपनाया।
- अमेरिका में इसके लिये **तनावग्रस्त परिसंपत्ति राहत कार्यक्रम** (Troubled Asset Relief Programme-TARP) व्यवस्था की गई है।
- आयरलैंड में वित्तीय संकट से उबरने के लिये वर्ष 2009 में **राष्ट्रीय परिसंपत्ति प्रबंधन एजेंसी** (National Asset Management Agency) की स्थापना की गई थी।

बैड बैंक की भारत में ज़रूरत

- **आर्थिक सुधार हेतु:** RBI ने आशंका जताई है कि बैंकिंग क्षेत्र में महामारी के कारण बैड लोन्स में वृद्धि हो सकती है।
- **सरकारी सहायता:** निजी उधारदाताओं द्वारा वित्तपोषित और सरकार द्वारा समर्थित व्यावसायिक रूप से संचालित बैड बैंक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) से निपटने के लिये एक प्रभावी तंत्र हो सकता है। बैड बैंक में सरकार की भागीदारी को बैड लोन से निपटने की प्रक्रिया को तेज़ करने के साधन के रूप में देखा जाता है।

बढ़ता NPA

- **वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट:** RBI ने अपनी इस रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि बैंकिंग क्षेत्र का सकल NPA सितंबर 2020 की तुलना में 7.5% से बढ़कर सितंबर 2021 में 13.5% तक हो सकता है।
- **के. वी. कामथ कमेटी:** भारत के कॉरपोरेट क्षेत्र में COVID-19 महामारी के बाद ₹15.52 लाख करोड़ के कर्ज़ के कारण तनाव की स्थिति देखी जा रही है; हालाँकि इस क्षेत्र पर महामारी के पहले से ही ₹22.20 लाख करोड़ का कर्ज़ था।
- समिति ने कहा कि खुदरा व्यापार, थोक व्यापार, सड़क और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में कंपनियों को तनाव का सामना करना पड़ रहा है।
- कोविड महामारी से पहले से ही तनावग्रस्त क्षेत्रों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, बिजली, स्टील, रियल एस्टेट और निर्माण शामिल हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण:** वित्तीय प्रणाली में तनाव की समस्या से निपटने के लिये कई अन्य देशों ने संस्थागत तंत्र की स्थापना की थी।

चुनौतियाँ

- **गतिशील पूंजी:** महामारीग्रस्त अर्थव्यवस्था में बैड संपत्ति के लिये खरीदारों को ढूंढ़ना एक चुनौती होगी, खासकर जब सरकारें राजकोषीय घाटे के मुद्दे का सामना कर रही हैं।
- **आधारभूत मुद्दे की अनदेखी:** शासन सुधारों के बिना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (कुल NPA में से 86% के लिये ज़िम्मेदार हैं) अतीत की तरह व्यवसाय कर सकते हैं और खराब ऋणों को पुन:समाप्त कर सकते हैं।
- बैड बैंक का विचार सरकारी क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों) से दूसरे (बैड बैंक) को ऋण स्थानांतरित करने जैसा है।
- **पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से निपटने का प्रावधान:** केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बैंकों में पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से लगभग ₹2.6 लाख करोड़ का निवेश किया है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि सरकार द्वारा बैंकों की बैलेंस शीट को ठीक करने के लिये पुनर्पूंजीकरण की व्यवस्था की गई है इसलिये बैड बैंक की आवश्यकता नहीं है।
- **बाज़ार से संबंधित मुद्दे:** वाणिज्यिक बैंकों से बैड बैंक में बैड संपत्ति का स्थानांतरण बाज़ार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाएगा।
- **नैतिक जोखिम:** RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा था कि बैड बैंक NPA को कम करने की प्रतिबद्धता के बिना एक नैतिक खतरा पैदा कर सकता है और बैंकों द्वारा दिये जाने वाले उधार को जारी रख सकता है।

पूर्व के प्रस्ताव

- मई 2020 में भारतीय बैंक संघ (IBA) के नेतृत्व में बैंकिंग क्षेत्र ने सरकार और बैंकों से न्यायसंगत योगदान का प्रस्ताव करते हुए NPA समस्या के समाधान के लिये एक बैड बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

4 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत की वैक्सीन कूटनीति ★★★

चर्चा में क्यों?

भारत अपने पड़ोसी और प्रमुख साझेदार देशों को **कोरोना वायरस (COVID-19)** वैक्सीन प्रदान कर रहा है।

वैक्सीन कूटनीति

- वैक्सीन कूटनीति वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति का हिस्सा है, जिसमें एक राष्ट्र अन्य देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने के लिये टीकों के विकास या वितरण का उपयोग करता है।
- **सहयोगात्मक प्रयास:** इसमें जीवनरक्षक टीकों और संबंधित तकनीकों का संयुक्त विकास किया जाना भी शामिल है, जहाँ विभिन्न देशों के वैज्ञानिक, राजनयिक संबंधों को ज़्यादा महत्त्व दिये बिना सहयोग के लिये एक साथ आते हैं।
- **भारत के लिये लाभप्रद:** भारत द्वारा उठाया जा रहा यह कदम पड़ोसी देशों और संपूर्ण विश्व के साथ विदेश नीति तथा राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने का एक अभिनव अवसर प्रदान कर सकता है।
  - ज्ञात हो कि इससे पूर्व भारत ने दुनिया के कई देशों को महामारी से निपटने के लिये बड़ी संख्या में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, रेमेडिसविर और पैरासिटामोल जैसी दवाइयाँ तथा साथ ही डायग्नोस्टिक किट, वेंटिलेटर, मास्क, दस्ताने और अन्य मेडिकल उपकरण प्रदान किये थे।
  - भारत ने कई पड़ोसी देशों के लिये क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी आयोजन किया है।

भारत की वैक्सीन कूटनीति का महत्त्व

सामरिक महत्त्व

- **दीर्घावधिक ख्याति अर्जित करना:** महामारी के कारण आर्थिक मोर्चे पर संकट का सामना कर रहे पड़ोसी देशों के लिये भारत द्वारा दी जा रही वैक्सीन की खेप कई मायनों में काफी महत्त्वपूर्ण है और इससे भारत अपने निकटवर्ती पड़ोसी देशों व हिंद महासागर के देशों के मध्य दीर्घकालिक ख्याति अर्जित कर सकेगा।
  - यह भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के अनुरूप है।
- **चीन की तुलना में रणनीतिक बढ़त:** हाल ही में चीन ने नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ बहुपक्षीय वार्त्ता करते हुए उन्हें कोरोना वायरस वैक्सीन देने की पेशकश की थी।
  - पाकिस्तान के अतिरिक्त अन्य सभी देशों में भारत से जल्द वैक्सीन पहुँचने के कारण चीन की वैक्सीन और मास्क कूटनीति का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है।
- **पश्चिमी देशों की तुलना में लाभ:** जहाँ एक ओर समृद्ध पश्चिमी देश, विशेष रूप से यूरोप के देश और अमेरिका अपनी विशिष्ट समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वहीं अपने पड़ोसियों और अन्य विकासशील तथा अल्पविकसित देशों की सहायता करने के लिये भारत की सराहना की जा रही है।

आर्थिक लाभ

- **वैश्विक आपूर्ति केंद्र के रूप में भारत:** भारत के निकट पड़ोसियों के अलावा दक्षिण कोरिया, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, मोरक्को और दक्षिण अफ्रीका आदि देशों ने भी भारत से वैक्सीन खरीदने की इच्छा व्यक्त की है, जो कि आने वाले समय में भारत को वैश्विक वैक्सीन आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र बना सकता है।
- **भारत के फार्मा विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ोतरी:** यदि भारतीय टीके विकासशील देशों की तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं, तो यह भारतीय फार्मा बाज़ार के लिये दीर्घकालिक अवसर उपलब्ध करा सकता है।
- **अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मददगार:** यदि भारत कोरोना वैक्सीन के उत्पादन का केंद्र बन जाता है, तो इससे आर्थिक विकास पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

'वैक्सीन शीत युद्ध' से बचाव

अमेरिका और चीन के बीच चल रहे 'व्यापार युद्ध' में कोरोना वायरस वैक्सीन को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, जिसके कारण वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम में देरी हो रही थी। इस प्रकार भारत द्वारा टीकों की शुरुआती शिपमेंट को इस द्विध्रुवी विवाद से बचाव के रूप में देखा जा सकता है।

नैतिक अधिकार प्राप्त करने में सहायक

भारत द्वारा वैक्सीन वितरण कार्यक्रम ऐसे समय में संचालित किया जा रहा है, जब **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के महानिदेशक ने विकसित देशों के दवा उत्पादकों के नैतिक भ्रष्टाचार की आलोचना की है। ऐसे में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक-से-अधिक नैतिक अधिकार मिल सकते हैं।

वैक्सीन राष्ट्रवाद को रोकने में कारगर

- **'वैक्सीन राष्ट्रवाद'** का आशय उस तंत्र से है, जिसके माध्यम से कोई देश **पूर्व-खरीद समझौतों (Pre-purchase Agreements)** का प्रयोग करते हुए खुद के लिये वैक्सीन की खुराक को सुरक्षित करता है और अन्य देशों को वैक्सीन देने से पूर्व अपने घरेलू बाज़ारों को प्राथमिकता देता है।
- वैक्सीन राष्ट्रवाद का मुख्य दोष यह है कि इसके कारण प्राय: कम संसाधन वाले देशों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। ज़रूरतमंद देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराकर भारत ने 'वैक्सीन राष्ट्रवाद' तंत्र को बाधित करने का प्रयास किया है।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

नासा का मंगल 2020 मिशन ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **'नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन' (NASA)** का **'पर्सिवरेंस रोवर (Perseverance Rover)** मंगल पर उतरा है।

प्रमुख बिंदु

- इस मिशन को मंगल ग्रह के भू-विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने तथा जीवन के प्राचीनतम साक्ष्यों का पता लगाने, भविष्य में रोबोट और मानव संबंधी अन्वेषण के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
- **अवधि:** इस मिशन की अवधि कम-से-कम **एक मंगल वर्ष** (पृथ्वी के 687 दिन के बराबर) होगी।

मिशन के विभिन्न चरण

- **नमूने एकत्रित करना:** कठोर चट्टानों एवं मिट्टी के नमूनों को एकत्र किया जाएगा जिसे मिशन के अगले चरणों के तहत पृथ्वी पर लाया जाएगा।
- **नमूने वापस लाना: 'मार्स फेच रोवर'** (यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा निर्मित) मंगल की सतह से एकत्रित इन नमूनों को **'मार्स एसेंट व्हीकल'** में स्थानांतरित करेगा।

पर्सिवरेंस रोवर

पर्सिवरेंस रोवर के बारे में

- पर्सिवरेंस मंगल ग्रह पर भेजी गई अत्यधिक उन्नत, अत्यधिक लागत वाली तथा एक जटिल चलायमान प्रयोगशाला है।

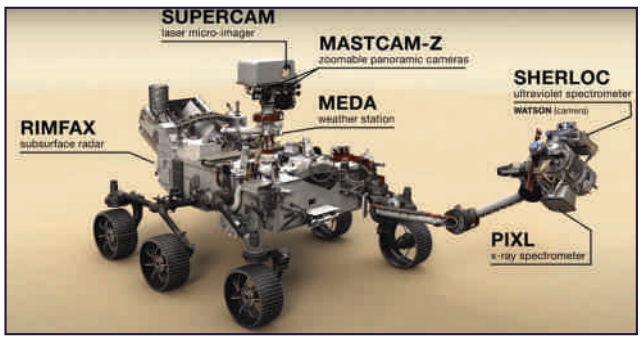

- यह मिशन पिछले मिशनों से भिन्न है, क्योंकि यह चट्टानों और मिट्टी की खुदाई करने तथा नमूने एकत्रित कर मंगल की सतह पर सुरक्षित रखने में सक्षम है।
- **प्रक्षेपण:** 30 जुलाई, 2020
- **लैंडिंग:** 18 फरवरी, 2021

लैंडिग का स्थान

जेजेरो क्रेटर (एक प्राचीन नदी डेल्टा जिसमें चट्टानें और खनिज विद्यमान हैं। ऐसे डेल्टा का निर्माण केवल पानी की वजह से ही होता है)।

ऊर्जा का स्रोत

रोवर में विद्युत आपूर्ति हेतु एक **'मल्टी-मिशन रेडियोआईसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर' (Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator-MMRTG)** का प्रयोग किया गया है जो प्लूटोनियम (प्लूटोनियम डाइऑक्साइड) के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय के कारण उत्पन्न गर्मी को बिजली में परिवर्तित करता है।

उपकरण

यह रोवर मंगल ग्रह पर विज्ञान तथा नई तकनीक के अभूतपूर्व परीक्षण करने के उद्देश्य से भेजा गया है। इसमें कुल सात उपकरण, दो माइक्रोफोन और 23 कैमरे प्रयुक्त किये गए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

मार्स ऑक्सीजन इन-सीटू रिसोर्स यूटिलाइजशन एक्सपेरिमेंट (MOXIE)

- इसके द्वारा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर ऑक्सीजन उत्पादन करने हेतु विद्युत का उपयोग किया जाएगा।
- यदि यह उपकरण सफल रहता है तो साँस लेने हेतु ऑक्सीजन और पृथ्वी पर वापस आने हेतु रॉकेट ईंधन जैसी दो और महत्त्वपूर्ण आवश्यकताएँ आसानी से हासिल की जा सकेंगी।

रडार इमेजर फॉर मार्स सबसर्फेस एक्सपेरिमेंट (RIMFAX)

RIMFAX **हाई रिज़ॉल्यूशन मैपिंग (High Resolution Mapping)** करेगा तथा मंगल ग्रह की ऊपरी सतह पर पानी की खोज करेगा।

मार्स हेलीकॉप्टर

दरअसल यह परीक्षण हेतु एक छोटा ड्रोन है जो इस बात का पता लगाएगा कि क्या मंगल ग्रह के विरल वातावरण में एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने में सक्षम है। मंगल ग्रह के वायुमंडल का घनत्व एक हेलीकॉप्टर या विमान के उड़ान भरने के लिये आवश्यक घनत्व से बहुत कम है।

मास्टकैम-Z

यह **पैनोरमिक (Panoramic)** और **त्रिविमीय चित्रण (Stereoscopic Imaging)** क्षमता वाली एक उन्नत कैमरा प्रणाली है जो खनिजों का निर्धारण करने में मदद करेगी।

सुपरकैम

यह चित्र लेने, रासायनिक संरचनाओं के विश्लेषण और दूर से ही खनिजों का पता लगाने में सक्षम है।

6 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

वैश्विक अनुकूलन शिखर सम्मेलन ★★★

चर्चा में क्यों?

जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन (Climate Adaptation Summit-CAS), 2021 का आयोजन 25-26 जनवरी को **नीदरलैंड** की मेज़बानी में आभासी रूप से आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह ऐसा प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो पूरी तरह से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिये **अनुकूलन (Adaptation)** पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - अनुकूलन से तात्पर्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण अवनयन के प्रति **पारिस्थितिक तंत्र और सामुदायिक लोचशीलता** को बढ़ाने से है।
  - **प्रकृति आधारित अनुकूलन (NbA)** को जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का उपयोग समग्र अनुकूलन रणनीति के एक भाग के रूप में किया जाता है।
- भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भी सम्मेलन को संबोधित किया गया तथा वैश्विक स्तर पर लोचशील बुनियादी ढाँचे की दिशा में **'आपदा प्रतिरोधी लोचशील अवसंरचना के लिये गठबंधन'** (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure-CDRI) को **वैश्विक कमीशन** के रूप में अपनाने का आह्वान किया गया।

प्रकृति आधारित समाधान (NbS)

NbS ऐसे समाधान हैं जिनमें वैश्विक जलवायु परिवर्तन जनित चुनौतियों का सामना करने में **पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका** को स्वीकार किया जाता है। वे अनुकूलन की दिशा में एक स्थायी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प प्रदान करते हैं। नीति निर्माताओं को स्थानीय समुदायों के लिये महत्त्वपूर्ण **प्राकृतिक पूंजी**, जैसे- मैंग्रोव और अन्य पारिस्थितिकी प्रणालियों के मूल्य को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है, परंतु वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन में NbS क्षमता काफी हद तक **अप्रयुक्त** बनी हुई है। NbS को बढ़ावा देने के लिये निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। साथ ही, NbS को डिज़ाइन करते समय **स्थानीय ज्ञान** को इसका अभिन्न अंग माना जाना चाहिये तथा NbS को **अधिकार-आधारित, स्थान-विशिष्ट** दृष्टिकोण से तैयार किया जाना चाहिये।

CAS 2021

- CAS एक **बहु-हितधारक** आयोजन है, जिसमें सभी महाद्वीपों के राजनीतिक और पेशेवर प्रतिनिधियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज और युवा प्रतिनिधियों द्वारा भागीदारी की जाती है।
- CAS 2021 के दौरान **'अडैप्टेशन एक्शन एजेंडा'** (Adaptation Action Agenda-AAA) को अपनाया गया जो आने वाले वर्षों में अनुकूलन कार्रवाई में तेज़ी लाने की दिशा में एक मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाएगा।
  - AAA के अनुसार सभी भागीदार देश वर्तमान दशक (वर्ष 2021-2030) में अनुकूलन की दिशा में उठाए गए कदमों का **डेटाबेस तैयार कर** CAS के **मंच पर साझा** कर सकते हैं। प्रत्येक अनुकूलन कार्रवाई को **एसडीजी** के साथ संरेखित किया जाएगा और समग्र प्रगति की **एक वार्षिक रिपोर्ट जारी** की जाएगी।
- सम्मेलन के दौरान 115 से अधिक देशों के युवाओं ने **'हमारे भविष्य के लिये अनुकूलन' (Adapt for our Future)** कार्रवाई का भी आह्वान किया।

CAS 2021 के तहत निम्नलिखित प्रमुख पहलों को अपनाया गया

- **अनुकूलन वित्त मेनस्ट्रीमिंग कार्यक्रम (Adaptation Finance Mainstreaming Program-AFMP):** इस कार्यक्रम को मध्यम और निम्न आय वाले विकासशील देशों में **जलवायु जोखिम** को **समझने** और **प्रबंधित** करने की क्षमता में सुधार करने के लिये लॉन्च किया गया।
- **'जलवायु लोचशीलता में निवेश हेतु गठबंधन' (Coalition for Climate Resilient Investment-CCRI):** लोचशील अवसंरचना में निवेश निर्णय संबंधी समाधानों के विकास और परीक्षण की दिशा में **निजी क्षेत्र** के समर्थन पर आधारित इस गठबंधन को शुरू किया गया।
- **'वैश्विक पारिस्थितिकी आधारित अनुकूलन निधि' (Global Ecosystem based Adaptation Fund-GEAF):** 15 मिलियन यूरो के शुरुआती पूंजीकरण के साथ एक नवीन निधि का गठन किया गया। इसे **जर्मनी** द्वारा समर्थित एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम **(UNEP)** और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ **(IUCN)** द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
- **'अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि' (International Fund for Agricultural Development-IFAD):** ग्रामीण क्षेत्रों और लघु जोत आधारित **कृषि में अनुकूलन** को बढ़ाने की दिशा में **IFAD नामक** नवीन **अम्ब्रेला निधि** की स्थापना की गई है।
- **प्रकृति आधारित अवसंरचना (Nature based Infrastructure-NBI) निधि:** वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) के विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF) में प्रकृति आधारित अवसंरचना (NBI) के समर्थन हेतु 2 मिलियन डॉलर की विशेष निधि की व्यवस्था की गई है। **NbS शिखर सम्मेलन** के दौरान चर्चा किये गए **प्रमुख विषयों** में से एक था।

CAS के तहत अन्य पहल

- नीदरलैंड द्वारा 1000 शहरों के लिये **'अडैप्ट नाउ'** कार्यक्रम की घोषणा की गई।
- स्थानीय संस्थाओं में अनुकूलन को बढ़ावा देने वाले सिद्धांतों को अपनाया गया।

7 भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बदलती प्रवृत्ति : जलवायु जोखिम सूचकांक ★★★

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में पर्यावरणीय थिंक टैंक **'जर्मनवाच'** द्वारा वैश्विक **'जलवायु जोखिम सूचकांक' (Climate Risk Index- CRI)-2021** जारी किया गया।
- इस सूचकांक के अनुसार, वर्ष 2019 में **चरम मौसमी घटनाओं** (Extreme Weather Events-EWEs) जनित जनहानि और आर्थिक नुकसान के लिये **चक्रवात एवं इससे संबंधित घटनाएँ** (यथा- वर्षा, बाढ़ और भू-स्खलन) मुख्यत: ज़िम्मेदार रहीं।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2019 में चरम मौसमी घटनाओं के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य **दस में से छ: देश** मुख्यत: चक्रवात से प्रभावित रहे।
- चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित होने वाले इन देशों में **भारत** के अलावा **मोज़ाम्बिक, ज़िम्बाब्वे, मलावी, बहामास और जापान** शामिल हैं।

जलवायु जोखिम सूचकांक (CRI)-2021

- CRI चरम मौसमी घटनाओं (EWEs) से होने वाले नुकसान (आपदाओं के कारण होने वाली **जनहानि** तथा **आर्थिक नुकसान**) का विश्लेषण करता है।
- वर्ष 2019 में EWEs से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देश हैं- **मोज़ाम्बिक, ज़िम्बाब्वे और बहामास**।
- वर्ष 2000 से 2019 के बीच **प्यूर्टो रिको, म्याँमार** और **हैती** EWEs से सबसे अधिक प्रभावित रहे।
- जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार, **भारत** चरम जलवायु घटनाओं से बुरी तरह प्रभावित होने वाला **7वाँ प्रमुख** देश है।
- वर्ष 2019 में बाढ़ के कारण 14 राज्यों में 1800 लोगों की मृत्यु हुई, वहीं 1.8 मिलियन लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा तथा अनुमानित 10 बिलियन डॉलर की आर्थिक क्षति हुई।
- वर्ष 2000 से 2019 के बीच 11000 से अधिक EWEs से प्रत्यक्षत: 4,75,000 से अधिक जनहानि तथा 2.56 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (PPP के अनुसार) का आर्थिक नुकसान हुआ।
- 2019 में तूफान और इससे संबंधित घटनाएँ जनहानि तथा आर्थिक नुकसान के लिये मुख्यत: ज़िम्मेदार रहीं।
- चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में भारत के अलावा मोज़ाम्बिक, ज़िम्बाब्वे, मलावी, बहामास और जापान शामिल हैं।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से विशेष रूप से **विकासशील देश** प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इन देशों की आपदाओं के प्रति सुभेद्यता बहुत अधिक और **अनुक्रिया क्षमता कमज़ोर** होती है।
- EWEs से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले शीर्ष **10 देशों में से 8 निम्न या निम्न-मध्यम** आय श्रेणी के देश हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात

निर्माण

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान होते हैं, जिनकी उत्पत्ति **उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्रों** पर होती है और ये सामान्यत: तटीय प्रदेशों की तरफ गतिमान होते हैं।
- इन चक्रवातों को ऊर्जा **संघनन की प्रक्रिया** से प्राप्त होती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति होने पर ये तूफान अधिक प्रबल हो जाते हैं। परंतु चक्रवातों के स्थल पर पहुँचने पर **आर्द्रता की आपूर्ति** रुक जाती है जिससे ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं।

आदर्श दशाएँ

- **बृहत् समुद्री सतह**, क्षोभमंडल के निम्न एवं मध्य स्तरों में **उच्च आर्द्रता** तथा **समुद्री सतह का तापमान** (समुद्र तल से 50 मीटर नीचे) **26.5°** सेल्सियस से अधिक हो।
- वातावरण में **अस्थिरता** होनी आवश्यक है यानी संवहन की प्रक्रिया के लिये विभिन्न ऊँचाई पर वायु के **तापमान में महत्त्वपूर्ण अंतर** होना चाहिये। इसके विपरीत ऊर्ध्वाधर वायु कर्तन **(Wind Shear) न्यूनतम** होना चाहिये।
- **पर्याप्त कोरिऑलिस** बल का उपस्थित होना आवश्यक है। भू-मध्य रेखा पर कोरिऑलिस बल नगण्य होता है इस कारण भूमध्य रेखा के पास तूफान शायद ही कभी बनते हैं।
- समुद्री सतह के पास **निम्न दाब क्षेत्र में वायु का क्षैतिज प्रवाह (अभिसरण)** तथा क्षैतिज परिसंचरण (Vorticity) और ऊपरी **क्षोभमंडल** में **वायु का अपसरण।**

> **नोट:** दक्षिणी अटलांटिक महासागर में वायु कर्तन बहुत अधिक होने के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का बनना अत्यंत दुर्लभ है।

संरचना

चक्रवात के केंद्र में **'चक्रवात चक्षु'** होती है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में **शांत मौसम** का एक क्षेत्र है। 'चक्षु' के बाहरी क्षेत्र- जहाँ वर्षा की तीव्रता अधिकतम होती है, को **'चक्षु भित्ति'** के रूप में जाना जाता है। सबसे बाहरी क्षेत्र **'रेनबैंड'** (जो बादलों तथा तड़ित-झंझावात वाला क्षेत्र है) होता है।

> **नोट:** सामान्यत: एक चक्रवात में एक ही 'चक्षु' होती है लेकिन विशाल तूफान में कई 'चक्षु' हो सकती हैं।

क्षेत्रीय नाम

- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विभिन्न महासागरीय क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है।
- इसे हिंद महासागर में **चक्रवात**, पश्चिमी अटलांटिक तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में **हरीकेन**, पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में **टाइफून** तथा ऑस्ट्रेलिया में **विली-विली** के रूप में जाना जाता है।

8 भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय

द इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट: ऑक्सफैम ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने **'द इनइक्वलिटी वायरस' (The Inequality Virus)** नामक एक रिपोर्ट जारी की है।

प्रमुख बिंदु

ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि COVID-19 महामारी ने भारत समेत दुनिया भर में मौजूदा **असमानताओं को बढ़ावा** दिया है।

महामारी का अमीरों और गरीबों पर तुलनात्मक प्रभाव

- भारत ने महामारी के शुरुआती दौर में ही लॉकडाउन को कठोरता से लागू किया। इस लॉकडाउन के प्रवर्तन के कारण अर्थव्यवस्था में ठहराव की स्थिति पैदा हो गई जिससे बेरोज़गारी, भुखमरी और संकटकालीन पलायन जैसी समस्याएँ देखी गईं।
- एक तरफ जहाँ अमीर लोग महामारी के सबसे बुरे प्रभाव से बचने में सक्षम थे; वहीं दूसरी तरफ औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों ने खुद को आइसोलेट करते हुए घर से काम किया, साथ ही कुछ अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों ने अपनी आजीविका खो दी।
- भारतीय अरबपतियों की **संपत्ति में लॉकडाउन के दौरान 35% की वृद्धि** हुई जो कि वर्ष 2009 के बाद पहली बार 90% की वृद्धि के साथ 422.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई। इससे भारत अरबपतियों की संपत्ति के मामले में अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्राँस के बाद विश्व में छठी रैंकिंग पर आ गया।

अनौपचारिक क्षेत्र पर प्रभाव

- भारत के अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यबल पर COVID-19 का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में **122 मिलियन नौकरियों** में से लगभग 75% समाप्त हो गई।
- अनौपचारिक श्रमिकों के लिये घर से काम करने के अपेक्षाकृत कम अवसर थे। इसी कारण औपचारिक क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र में अधिक नौकरियाँ समाप्त हो गईं।

शिक्षा पर प्रभाव

- पिछले वर्ष जैसे-जैसे शिक्षा को ऑनलाइन किया गया, भारत ने असमानताओं के एक नए विकराल रूप **'डिजिटल डिवाइड' (Digital Divide)** को देखा।
  - एक तरफ जहाँ निजी प्रदाताओं ने चर घातांकी संवृद्धि का अनुभव किया है, वहीं दूसरी तरफ भारत के सबसे गरीब 20% परिवारों में से केवल 3% के पास कंप्यूटर और सिर्फ 9% की इंटरनेट तक पहुँच थी।
- यह भी देखा गया कि स्कूली शिक्षा के लंबे समय तक बाधित होने के कारण **स्कूल ड्रॉपिंग रेट** (विशेष रूप से गरीबों के बीच) के दोगुना होने का जोखिम बढ़ गया है।

स्वास्थ्य संबंधी असमानताएँ

- ऑक्सफैम ने पाया कि चूँकि भारत सामाजिक-आर्थिक या सामाजिक श्रेणियों में डेटा संबंधी मामलों को अलग-अलग रिपोर्ट नहीं करता है, इसलिये विभिन्न समुदायों के बीच स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अनुमान लगाना मुश्किल है।
- वर्तमान में भारत COVID-19 के पॉज़िटिव मामलों की संख्या के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है और वैश्विक स्तर पर गरीब, वंचित एवं कमज़ोर वर्गों में COVID-19 की व्यापकता दर अधिक है।
- बीमारी का प्रसार उन गरीब समुदायों में तेज़ी से हुआ, जो प्राय: गंदगीयुक्त और अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में रहते थे तथा आम सुविधाओं, जैसे- शौचालय और पानी के स्रोतों का साझा उपयोग करते थे।

स्वास्थ्य सुविधा

- गौरतलब है कि भारत के 20% गरीब परिवारों में से 94% परिवार साझा सुविधाओं पर निर्भर हैं, जबकि शीर्ष 20% परिवारों में से केवल 7% लोग साझा सुविधाओं पर निर्भर हैं।
- जाति के संदर्भ में अनुसूचित जातियों के सिर्फ 37.2% परिवारों और अनुसूचित जनजातियों के 25.9% परिवारों की गैर-साझा स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच है, जबकि सामान्य आबादी के लिये यह 65.7% है।

लैंगिक असमानता

रोज़गार

- महिलाओं में बेरोज़गारी की दर 15% (COVID-19 से पहले) से बढ़कर 18% हो गई है।
- महिला बेरोज़गारी में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** में लगभग 8% या 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है।
- **'इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट'** के एक सर्वेक्षण के अनुसार, जिन महिलाओं ने अपनी नौकरी नहीं गँवाई उनमें से लगभग 83% महिलाओं को अपनी आय में कटौती का सामना करना पड़ा।

स्वास्थ्य

- आय और नौकरी के नुकसान के अलावा गरीब महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य सेवा तथा आंगनवाड़ी केंद्रों से मिलने वाला लाभ भी प्रभावित हुआ।

9 कला एवं संस्कृति

चौरी चौरा कांड के सौ वर्ष ★★★

चर्चा में क्यों?

चौरी चौरा कांड के शताब्दी को चिह्नित करने के लिये प्रधानमंत्री द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु

चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित एक कस्बा है। इस कस्बे में **4 फरवरी, 1922** को एक हिंसक घटना हुई। किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिस कारण कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना के मद्देनज़र महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन (वर्ष 1920-22) को वापस ले लिया।

पृष्ठभूमि

- **असहयोग आंदोलन की शुरुआत:** गांधीजी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ **1 अगस्त, 1920** को असहयोग आंदोलन शुरू किया था।
  - इस आंदोलन के तहत गांधीजी ने उन सभी वस्तुओं (विशेष रूप से मशीन निर्मित कपड़े), संस्थाओं और व्यवस्थाओं का बहिष्कार करने का फैसला लिया था जिनके तहत अंग्रेज़ भारतीयों पर शासन कर रहे थे।
- वर्ष 1921-22 की सर्दियों में **कॉन्ग्रेस के स्वयंसेवकों** और **खिलाफत आंदोलन** के कार्यकर्त्ताओं को एक **राष्ट्रीय स्वयंसेवक कोर** के रूप में संगठित किया गया।
  - प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर खलीफा के प्रभुत्व को पुनर्स्थापित करने तथा प्रदेशों की पुनर्व्यवस्था कर खलीफा को अधिक भू-क्षेत्र प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे नेताओं ने **खिलाफत कमेटी (1919 ई.)** का गठन कर देशव्यापी आंदोलन की नींव रखी।
  - कॉन्ग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और महात्मा गांधी के प्रयास से इसे असहयोग आंदोलन में मिला दिया गया।
- **चौरी चौरा कांड:** चौरी चौरा घटना से दो दिन पहले अर्थात् **2 फरवरी, 1922** को **भगवान अहीर** नामक एक सेवानिवृत्त सेना के सिपाही के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों ने बाज़ार में **उच्च खाद्य कीमतों** और **शराब की बिक्री** के खिलाफ विरोध किया।
  - जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारियों का स्थानीय पुलिस द्वारा दमन किया गया और चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
  - इसके विरोध में 4 फरवरी को स्वयंसेवकों ने पास के स्थानीय बाज़ार में पुलिस के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया।
- पुलिसकर्मियों ने उन्हें जुलूस निकालने से रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस और स्वयंसेवकों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें कुछ लोग मारे गए और कई घायल हो गए।
- गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसमें कुछ पुलिसकर्मी मारे गए।

अंग्रेज़ों की प्रतिक्रिया

ब्रिटिश राज ने अभियुक्तों पर आक्रामक तरीके से मुकदमा चलाया। सत्र अदालत ने लगभग 225 अभियुक्तों में से 172 को मौत की सज़ा सुनाई। हालाँकि अंततः दोषी ठहराए गए लोगों में से केवल 19 को फाँसी दी गई थी।

महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया

- गांधीजी ने पुलिसकर्मियों की हत्या की निंदा की और आस-पास के गाँवों में स्वयंसेवक समूहों को भंग कर दिया गया। इस घटना पर सहानुभूति जताने तथा प्रायश्चित करने के लिये एक **'चौरी चौरा सहायता कोष'** स्थापित किया गया था।
- गांधीजी ने असहयोग आंदोलन में हिंसा का प्रवेश देख इसे रोकने का फैसला किया। उन्होंने अपनी इच्छा **'कॉन्ग्रेस वर्किंग कमेटी'** को बताई और **फरवरी 1922** को यह आंदोलन औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया।

अन्य राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिक्रिया

- असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता हैरान थे कि गांधीजी ने संघर्ष को उस समय रोक दिया जब नागरिक प्रतिरोध ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी स्थिति मज़बूत कर ली थी।
- मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास जैसे अन्य नेताओं ने गांधीजी के फैसले पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की और स्वराज पार्टी की स्थापना का फैसला किया।
- ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों को सज़ा देने के फैसले को लेकर विरोध का एक तूफान खड़ा हो गया जिसे भारतीय कम्युनिस्ट नेता एम.एन. रॉय द्वारा **'कानूनी हत्या'** (Legalised Murder) के रूप में चित्रित किया गया था। जिन्होंने भारतीय कामगारों की सामान्य हड़ताल (General Strike) का आह्वान किया।

आंदोलन को वापस लेने का औचित्य

- गांधीजी ने अहिंसा में अपने अटूट विश्वास के आधार पर आंदोलन को वापस लिया जाना उचित ठहराया।
- बिपिन चंद्रा जैसे इतिहासकारों ने तर्क दिया है कि अहिंसा की गांधीवादी रणनीति का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि अहिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दमनकारी बल का उपयोग औपनिवेशिक राज्य के वास्तविक चरित्र को उजागर करेगा और अंततः उन पर नैतिक दबाव पड़ेगा, किंतु चौरी चौरा जैसी घटनाएँ इस रणनीति के विपरीत थीं।

10 आंतरिक सुरक्षा

अरुणाचल सीमा पर अवसंरचना विकास ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने **अरुणाचल प्रदेश** में महत्त्वपूर्ण अवसंरचना विकास के लिये **₹1,100 करोड़** से अधिक राशि की मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) ने **'भारत-चीन सीमा सड़क' (ICBR)** योजना के चरण II के तहत 32 सड़कों के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी है।
- इससे पूर्व सरकार द्वारा प्रतिबंधात्मक नीति का पालन किया जा रहा था और चीन की सीमा के साथ लगे क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था।

भारत-चीन सीमा का प्रबंधन

- भारत-चीन के साथ **3488 किलोमीटर** की सीमा साझा करता है जो **जम्मू और कश्मीर (संयुक्त), हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम** और **अरुणाचल प्रदेश राज्यों** के साथ लगती है।
- सीमा का पूरी तरह से सीमांकन नहीं किया गया है और वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control) को स्पष्ट करने एवं पुष्टि करने की प्रक्रिया जारी है।
- इस क्षेत्र में अधिक ऊँचाई के परिणामस्वरूप बुनियादी ढाँचे का अपर्याप्त विकास हुआ है।
- **भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP)** भारत-चीन सीमा पर तैनात सुरक्षा बल है। ITBP ने सीमा सुरक्षा को बेहतर करने की दिशा में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ **बॉर्डर आउट पोस्ट (BOPs)** की स्थापना की है।

राज्य	सीमा क्षेत्र	कुल लंबाई (कि.मी.)
जम्मू और कश्मीर (संयुक्त)	पश्चिमी क्षेत्र	1597
हिमाचल प्रदेश	मध्य क्षेत्र	200
उत्तराखंड		345
सिक्किम	पूर्वी क्षेत्र	220
अरुणाचल प्रदेश		1126
कुल		**3488**

भारत-चीन सीमा सड़क योजना

- इस योजना का **पहला चरण वर्ष 2005** में तब शुरू किया गया था, जब गृह मंत्रालय ने चीन से लगे क्षेत्रों में ₹912 करोड़ की लागत के साथ 608 किलोमीटर लंबी कुल 27 सड़कों का निर्माण करने और सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा 14 सड़कों का निर्माण किये जाने की योजना बनाई थी।
  - कुछ महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं में लद्दाख की दरबूक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (DSDBO) सड़क और रोहतांग सुरंग तथा पूर्वोत्तर में सेला सुरंग शामिल हैं।
- भारत-चीन सीमा सड़क योजना के **दूसरे चरण** के तहत कुल ₹12,434.90 करोड़ की लागत से 638.12 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की योजना बनाई गई है जो कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरेंगी।

अरुणाचल प्रदेश सीमा पर चीन के नए गाँव

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बुम ला दर्रे से 5 किलोमीटर की दूरी पर चीन द्वारा तीन गाँवों का निर्माण किये जाने की खबरें सामने आई हैं। बुम ला दर्रा भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच आधिकारिक सहमति वाले बॉर्डर पर्सनल मीटिंग (BPM) के चार पॉइंट्स में से एक है। इससे पहले वर्ष 2020 में चीन ने रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण एक रेलवे लाइन पर काम शुरू किया था जो सिचुआन प्रांत को तिब्बत में निंगची से जोड़ेगी। यह रेलवे लाइन भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। नवंबर 2020 तक की सैटेलाइट इमेज दर्शाती हैं कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में त्सारी चू (Tsari Chu) नदी के तट पर एक पूर्ण विकसित गाँव का निर्माण किया गया है। यह गाँव वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पार कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

अन्य संबंधित कदम

- भारत के सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) का **10 प्रतिशत** फंड केवल **चीन की सीमा** के साथ लगे क्षेत्रों की बुनियादी अवसंरचना में सुधार के लिये खर्च करने की योजना है।
- सीमा सड़क संगठन (BRO) ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर **दापोरिजो पुल** का निर्माण किया है।
- अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के पलायन (विशेष रूप से चीन सीमा के साथ लगे क्षेत्रों से) को रोकने के लिये केंद्र सरकार से पायलट विकास परियोजनाओं की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारत-चीन सीमा पर बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये पायलट परियोजनाओं के रूप में 10 **जनगणना शहरों** (Census Towns) के चयन की सिफारिश की है।
- वर्ष 2019 में अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी में स्थित **सिसेरी नदी पुल** (Sisseri River Bridge) का उद्घाटन किया गया था, जो दिबांग घाटी को सियांग से जोड़ता है।

11 अन्य चर्चित खबरें

(यूपीएससी एवं राज्य पीसीएस प्रारंभिक परीक्षाओं पर केंद्रित)

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

स्कूल बैग नीति-2020

- शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा जारी नई 'स्कूल बैग नीति-2020' (School Bag Policy-2020) का पालन करने के लिये सभी स्कूलों को एक परिपत्र जारी किया है।
- इस नीति के मुताबिक कक्षा I से X तक के छात्रों का स्कूल बैग उनके शरीर के वज़न के 10% से अधिक नहीं होना चाहिये। साथ ही, प्री-प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के लिये स्कूल बैग होना ही नहीं चाहिये।
- कक्षा II तक के छात्रों को कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिये, जबकि कक्षा III से V तक के छात्रों को प्रति सप्ताह अधिकतम दो घंटे, कक्षा VI से VIII तक के छात्रों को प्रतिदिन अधिकतम एक घंटे और कक्षा IX तथा उससे अधिक के छात्रों को प्रतिदिन अधिकतम दो घंटे का ही होमवर्क दिया जाना चाहिये।

श्रमशक्ति पोर्टल

- हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिये राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारु बनाने के लिये एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल- 'श्रमशक्ति' शुरू किया है, साथ ही श्रमिकों के लिये एक प्रशिक्षण पुस्तिका 'श्रमसाथी' का भी शुभारंभ किया गया।
- इस पोर्टल की शुरुआत आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डेटा एकत्र करने और उस डेटा को मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिये की गई है।

आर्थिक घटनाक्रम

कोच्चि-मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि-मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की।
- 450 किमी. लंबी इस गैस पाइपलाइन का निर्माण 'गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड' (GAIL) द्वारा किया गया है।
- लगभग 12 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन परिवहन क्षमता वाली इस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के माध्यम से कोच्चि स्थित तरलीकृत प्राकृतिक गैस रीगैसीफिकेशन टर्मिनल से मंगलुरु में प्राकृतिक गैस ले जाई जाएगी।
- इस परियोजना की कुल लागत लगभग ₹3,000 करोड़ थी और इसके निर्माण के दौरान लगभग 1.2 मिलियन लोगों के लिये रोजगार सृजित किया गया।

वर्चुअल एग्री-हैकथॉन-2020

- हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), पूसा के सहयोग से आयोजित वर्चुअल एग्री-हैकथॉन-2020 का उद्घाटन किया।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के बौद्धिक व्यक्तियों, रचनात्मक स्टार्ट-अप्स और स्मार्ट इनोवेटर्स के साथ उद्योग एवं सरकार के सबसे महत्त्वपूर्ण हितधारकों को एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा जो कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिये नवीन एवं मितव्ययी समाधानों की खोज करेंगे।
- इस कार्यक्रम में कृषि मशीनीकरण, परिशुद्धता कृषि, आपूर्ति शृंखला एवं खाद्य प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा आदि पर नवीन विचारों को स्वीकार किया जाएगा।
- अंतिम 24 विजेताओं को इनक्यूबेशन सपोर्ट, टेक एंड बिज़नेस परामर्श और कई अन्य लाभों के साथ ₹1,00,000 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
- यह कार्यक्रम नई तकनीक और उसके कारण कृषि क्षेत्र में होने वाले मूल्यवर्द्धन के दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण है।

मोनपा हस्तनिर्मित कागज़

- हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा अरुणाचल प्रदेश के मोनपा हस्तनिर्मित कागज़ (Monpa Handmade Paper) के पुनरुद्धार का प्रयास किया गया है।
- 'मोनपा हस्तनिर्मित कागज़ विरासत' निर्माण कला की शुरुआत 1000 वर्ष पूर्व हुई थी। यह उत्तम बनावट वाला हस्तनिर्मित कागज़ जिसे स्थानीय बोली में 'मोन शुगु' कहा जाता है, तवांग (अरुणाचल प्रदेश) में स्थानीय जनजातियों की जीवंत संस्कृति का अभिन्न अंग है।
- इस कागज़ का ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्व है क्योंकि इसका उपयोग बौद्ध मठों में धर्मग्रंथों और स्तुतिगान लिखने के लिये किया जाता था।
- मोनपा हस्तनिर्मित कागज़ 'शुगु शेंग' नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाता है जिसके अपने औषधीय गुण भी हैं।
- यह कला अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थानीय रीति-रिवाज़ों और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा थी।
- KVIC द्वारा तवांग ज़िले में मोनपा हस्तनिर्मित कागज़ बनाने की एक इकाई की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य न केवल कागज़ बनाने की इस कला को पुनर्जीवित करना है बल्कि स्थानीय युवाओं को इस कला के साथ पेशेवर रूप से जोड़ना तथा आय के साधन उपलब्ध कराना है।
- इस पुनरुद्धार कार्यक्रम को प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' (Vocal for Local) मंत्र के साथ जोड़ा गया है।

जिस्ट
उपयोगी पत्र-पत्रिकाओं के लेखों का सार

खंड संयोजन- निधि सिंह

संपूर्ण योजना (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

भारतीय साहित्य

संपूर्ण कुरुक्षेत्र (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

सशक्त होते ग्रामीण युवा

राजव्यवस्था एवं समाज

- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
- जाति और जनगणना के बारे में एक नया ढाँचा
- अन्य पिछड़ा वर्ग का उप-वर्गीकरण
- मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के तीन दशक

अर्थव्यवस्था

- छोटे किसान अभी भी कृषि ऋण के दायरे से बाहर
- कुछ वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने की आवश्यकता
- भारतीय पर्यटन
- भारत में अनुबंध खेती
- 2021 में तकनीकी रुझान: कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी व्यवसायों को नया रूप देगी?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- डिजिटल सुरक्षा
- डिजिटल चिकित्सा सेवाओं की विशेषता
- डेटा संरक्षण कानून को समकालीन बनाना

पर्यावरण

- जलवायु नीति के संबंध में नए विचारों की आवश्यकता
- नए दशक की जलवायु नीति
- भारत के कृषि क्षेत्र में डिजिटल ग्रीन इकोनॉमी की शुरुआत

संपूर्ण योजना (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

भारतीय साहित्य

परिचय

अर्जेंटीनियाई कथाकार, कवि और स्पेनिश भाषा के लेखक खोर्के लुइस बोर्ख़ेस ने कहा है, "लेखक मरते हैं तो पुस्तक बन जाते हैं। यह अवतार तो कुछ बुरा नहीं है।" साहित्य समाज की सभी बुराइयों का रामबाण उपचार है और सीखने-समझने का समर्थ साधन भी है। भारतीय साहित्य का प्रारंभ तो वेदों की ऋचाओं के साथ हो गया था जो समय के साथ-साथ नए-नए रूप और अभिव्यक्तियाँ ग्रहण करता गया। यह एक बहु-सांस्कृतिक पटल है जिस पर हज़ारों रंगों वाली विविधताएँ शब्दों की लय से अनूठा संगीत बुनती हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, प्रकाशक एवं उद्यमी मार्क ट्वेन कहते हैं, "भारत मानवजाति का पालना है, मनुष्य की वाणी का जन्म स्थान है, इतिहास की माता है, कथा-गाथाओं की दादी माँ है और परंपरा की परदादी है।"

रवीन्द्रनाथ टैगोर का साहित्यिक जीवन

- रवीन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई, 1861 को कोलकाता के जोडासांर्का की ठाकुरवाड़ी में द्वारकानाथ ठाकुर लेन स्थित उनके पैतृक 'वास भवन' में हुआ।
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर केवल बंगाल या भारत के ही नहीं, समग्र विश्व के कवि थे। रवीन्द्रनाथ एक साथ ही कवि, नाट्यकार, कथा-साहित्यकार एवं समालोचक, दर्शन, इतिहास, विज्ञान और धर्मतत्त्व व्याख्याता, चित्रशिल्पी, शिक्षाव्रती तथा समाज सुधारक थे।
- रवीन्द्रनाथ टैगोर पहले एशियाई थे जिन्हें साहित्य के लिये नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक क्षेत्र में उन्होंने संगीत की एक नई शैली को जन्म दिया, जो उनके नाम पर 'रवीन्द्र संगीत' कहलाई।
- 1896 में चित्रा में संकलित मन को झकझोर देने वाली कविता 'एबार फिराओ मोरे' में उन्होंने देहाती मज़दूरों के दयनीय जीवन पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है।
- उन्होंने अपने विभिन्न काव्य-संग्रहों में से बहुत-सी कविताएँ अनुवाद के लिये छाँटी। उनमें से 103 कविताओं का उन्होंने अनुवाद किया और संकलन को 'गीतांजलि' तथा अंग्रेज़ी में 'सॉन्ग ऑफ रिंग्स' नाम दिया।

मौखिक परंपरा और भारतीय साहित्य

परिचय

प्राचीन भारतीय साहित्य का वृहत अंश मौखिक अर्थात् बोले गए शब्द की अभिव्यक्ति स्वरूप है। विदेशी बौद्धिकों के आगमन के बाद भारतीय इतिहास में लेखक कला का पदार्पण देखा जाता है और ब्रिटिश शासन तंत्र में जाकर लेखन साहित्य का उद्भव हुआ।

प्रमुख बिंदु

- भारत में मौखिक परंपरा आज भी प्रचलित है, विशेषकर लोक साहित्य में। गाथा गायकों के खजाने में अनेकानेक गीतों की भरमार होती है जिसे वे विशाल दर्शकदीर्घाओं के सामने गाते हैं। तालमाडले समूहों के नाटक किसी नाट्य लिपि के बिना प्रदर्शित किये जाते हैं और 'सन्नता' नामक नाटक बहुत हद तक तात्कालिक रूप से तैयार होते हैं।
- संस्कृत के अलावा, अन्य सभी भारतीय भाषाएँ जब लेखन श्रेणी तक पहुँची तो लेखन तथा मौखिक परंपराओं से प्रेरणा प्राप्त कर उनका साहित्य विकसित हुआ। नौवीं सदी के लेखक नृपतुंग कहते हैं- 'कन्नड़ लोग पढ़ नहीं सकते परंतु वे काव्यकला सृजन में पारंगत हैं।'

निष्कर्ष

भारतीय साहित्य में लेखन परंपरा आधुनिक युग में आरंभ हुई क्योंकि सभी लेखक साक्षर रहे हैं। अब सुने जाने की बजाय कविता लिखी जा रही है। लेखन परंपरा का असर आधुनिक काव्यधारा पर छन्दरूप में देखा जा सकता है। एमर्सन का कथन, 'छंद नहीं अपितु छंदबद्ध दलीलें कविता का निर्माण करती हैं।'

भारतीय साहित्य का उद्भव

परिचय

देश में भाषाओं, भाषा परिवारों और बोलियों की संख्या काफी अधिक है। इन हज़ार से अधिक भाषाओं और बोलियों ने लोगों को अपने विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं को आगे बढ़ाने के लिये उचित मंच प्रदान किया, जिसका परिणाम बेहतरीन साहित्यिक रचनाओं के एक उदार मिश्रण के रूप में सामने आया।

आरंभिक काल

- शुरुआती दिनों में कोई पक्के नियम नहीं थे और इसलिये गायन, कविता, नृत्य, दर्शन आदि के बीच कोई विभाजन नहीं था, जैसे- कवि सबसे आश्चर्यजनक कविता तथा संगीत (जैसा कि सामवेद में है) और उच्चतम दर्शन (जैसा कि ऋग्वेद में है) की रचना कर रहे थे।
- यह केवल एक भाषा के साथ नहीं है। यदि यह सब उत्तरी क्षेत्रों में हो रहा था, तो दक्षिणी क्षेत्रों में असाधारण कविता और व्याकरण की रचना तमिल में की जा रही थी।
- यदि भरत ने उत्तर में नाट्य शास्त्र की रचना की तो तोल्कप्पियार (Tholkappiar) ने न केवल व्याकरण बल्कि कई सामाजिक नियमों के भी आश्चर्यजनक रूप से प्रभावकारी प्रदर्शन का प्रतिपादन किया। ऐसा नहीं है कि भारत में साहित्य की रचना केवल इन भाषाओं में ही हो रही थी। इसी दौरान बहुत सी मौखिक परंपराएँ पनप रही थीं जो कि गीत, किस्से, कहावतें, किंवदंतियाँ आदि सभी रूपों में आज तक जारी हैं।

संपूर्ण कुरुक्षेत्र (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

सशक्त होते ग्रामीण युवा

परिचय

- एक विश्लेषण से यह निष्कर्ष सामने आया है कि अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, जीवनयापन के लिये अवसर और निर्णय प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर सहभागिता से जीवन-स्तर की गुणवत्ता में सुधार निश्चित होता है। दक्ष युवा कार्यबल के लिये अच्छा स्वास्थ्य पहली आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 यह सुनिश्चित करती है कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संकल्पना भारत को विश्व में ज्ञान का सुपर पॉवर बनाना है।
- एक तरफ भारत सरकार युवाओं में नवाचार, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया और कौशल विकास के ज़रिये 'आत्मनिर्भर' भारत पर ज़ोर दे रही है तो दूसरी तरफ, युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिये खेलकूद और योग के प्रति जागरूक करने का भी पूरा प्रयास कर रही है।

युवा सशक्तीकरण से ग्रामीण भारत का पुनर्निर्माण

परिचय

35 साल से कम उम्र की लगभग 65 प्रतिशत आबादी वाले भारत को दुनिया का सबसे युवा देश कहा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण युवाओं की है।

युवा सशक्तीकरण के लिये सरकार द्वारा किये गए प्रयास

- कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिये अलग से **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय** का गठन 2014 में किया गया था। देश भर में कौशल विकास के प्रयासों को लागू करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये मज़बूत संस्थागत ढाँचा खड़ा करने के उद्देश्य से 15 जुलाई, 2015 को **राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन** का शुभारंभ किया गया।
- **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)**, ग्रामीण भारत में कौशल और रोज़गार की दिशा में एक कदम है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनेक पहलों में से एक है। देश में गरीबी में कमी लाने के उद्देश्य से शुरू की गई **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)** के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका में वृद्धि के लिये प्रयास किये जाते हैं।
- अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम-**प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)** के अंतर्गत एक करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है। यह 2015 में शुरू की गई थी और हाल ही में इसका तीसरा चरण पीएमकेवी-3.0 शुरू हो चुका है। इसका उद्देश्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और ज़िलों के और अधिक सहयोग से अधिक विकेंद्रित क्रियान्वयन ढाँचा तैयार करना है।
- नीति आयोग ने श्रम और रोज़गार मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, युवा कार्य मंत्रालय तथा कॉरपोरेट क्षेत्र के समर्थन और सहयोग से डिजिटल आजीविका तक पहुँच सुलभ बनाने वाले प्लेटफॉर्म-'उन्नति' के शुभारंभ की पहल की है।
- **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय** ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर आधारित आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मैपिंग **'असीम'** नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है जो विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमशक्ति की मांग और आपूर्ति के अंतर को दूर कर सकता है।
- **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए-दिशा)** का शुभारंभ ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता के प्रसार के लिये किया गया। इस अभियान को कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) के नेटवर्क के ज़रिये सुदृढ़ किया गया है जो छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से संचालित हमारे भविष्य की बुनियाद रखने के लिये हाल ही में 'राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पोर्टल' और 'युवाओं के लिये उत्तरदायित्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस' की शुरुआत की गई। डिजिटल इंडिया पहल ने कोविड-19 के प्रकोप के दौरान भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और **आरोग्य सेतु, ई-संजीवनी, माईगॉव** तथा अन्य सोशल मीडिया मंचों के ज़रिये लोगों को संवेदनशील बनाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया।
- हाल में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा पर ज़ोर देने से युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी और उनके व्यक्तित्व का चहुँमुखी विकास भी होगा।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव पर **अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस** मनाने के संकल्प को पारित किया। 2015 से दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और भारत में युवा इसके आयोजन का उत्साहपूर्वक नेतृत्व करते हैं।
- सरकार ने नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के साथ-साथ एन.सी.सी., स्काउट्स और गाइड्स तथा अन्य युवा संगठनों के सहयोग से शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहने के बारे में जन जागृति फैलाने के लिये **'फिट इंडिया अभियान'** की शुरुआत की।
- नीति आयोग ने 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलिम्पिक खेलों में 50 ओलिम्पिक पदक जीतने के लक्ष्य को हासिल करने के लिये 2016 में अपनी

राजव्यवस्था एवं समाज

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

संदर्भ

- विशेष रूप से बच्चों (18 वर्ष से कम उम्र के) को यौन हमलों से बचाने के लिये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences-POCSO Act) 2012 अधिनियमित किया गया था।
- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिस पर 1992 में भारत द्वारा हस्ताक्षर किये गए हैं, में भी यह प्रावधान है कि यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार को जघन्य अपराधों के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है।

हालिया संदर्भ:

- सतीश रगडे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय की आलोचना हुई है, जिसमें आरोपी को पोक्सो अधिनियम के तहत बरी कर दिया गया था।
- खंडपीठ ने यौन हमले के दोषी पाए गए एक व्यक्ति को इस आधार पर बरी कर दिया था कि उसने पीड़िता को उसके कपड़ों के ऊपर से ज़बरदस्ती छुआ था और उनके बीच त्वचा से कोई संपर्क नहीं था। हालाँकि इस मामले पर शीर्ष अदालत ने आरोपी को बरी किये जाने के निर्णय पर रोक लगा दी।
- पोक्सो अधिनियम की धारा 7 में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि जो कोई भी यौन इरादे से बच्चे के स्तन को छूता है, तो उसे यौन हमला माना जाएगा।
- अधिनियम की धारा 8 में यौन हमले के लिये तीन वर्ष के न्यूनतम कारावास की सज़ा का प्रावधान है, जबकि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 में किसी महिला का शील भंग करने (Outraging the Modesty of a Woman) के लिये न्यूनतम एक वर्ष के कारावास की सज़ा का प्रावधान है।

आईपीसी और पोक्सो में अंतर

- आईपीसी में 'किसी महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर किये गए हमले या आपराधिक बल' की परिभाषा सामान्य है जबकि पोक्सो में यौन हमले के कृत्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जैसे कि विभिन्न गुप्तांगों को छूना या कोई अन्य कार्य करना जिसमें प्रवेशन (Penetration) के बिना शारीरिक संपर्क शामिल है।
- आईपीसी के तहत पीड़िता किसी भी उम्र की होने पर उसके खिलाफ उक्त अपराध के लिये सज़ा का प्रावधान है, जबकि पोक्सो बच्चों की सुरक्षा के लिये विशिष्ट है। पोक्सो के तहत अधिक सज़ा का प्रावधान इसलिये नहीं किया गया है कि यौन हमले के अधिक गंभीर आरोपों की आवश्यकता होती है, बल्कि इसलिये किया गया है क्योंकि विधायिका चाहती है कि यदि पीड़ित बच्चे हैं तो सज़ा अधिक निवारक हो।
- 'विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)' में उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि महिला के शील से संबंधित अपराध को तुच्छ नहीं माना जा सकता है। 'पप्पू सिंह राजपूत बनाम छत्तीसगढ़ राज्य' के मामले में (2015) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हालाँकि आईपीसी की धारा 354 के तहत आरोपी को बरी कर दिया था क्योंकि अपराध में 'आपराधिक बल या हमले' का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन धारा 354क के तहत उसे यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया था, जिसमें 'शारीरिक संपर्क' और 'लैंगिक प्रस्ताव' एक आवश्यक तत्त्व शामिल होता है।

निष्कर्ष

यू.के. के यौन अपराध अधिनियम, 2003 में यह उल्लेख है कि स्पर्श (यौन इरादे के साथ) में किसी भी चीज़ के साथ या किसी भी चीज़ के माध्यम से शरीर के किसी भी हिस्से को स्पर्श करना शामिल है। पोक्सो अधिनियम में किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, जिसके तहत त्वचा से त्वचा का स्पर्श अपराध का अनिवार्य तत्त्व होता है, किसी भी निर्वचन को जो बच्चों की सुरक्षा को कमज़ोर करता है, उसे अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिये।

Source : The Hindu

जाति और जनगणना के बारे में एक नया ढाँचा

संदर्भ

किसी समाज की आबादी की गणना करना, उसका वर्णन करना और समझना तथा लोगों के लिये क्या सुलभ है और उन्हें किससे बाहर रखा गया है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना न केवल सामाजिक वैज्ञानिकों के लिये ही बल्कि नीतियों का कार्यान्वन करने वालों और सरकार के लिये भी महत्त्वपूर्ण है। इस संबंध में भारत की जनगणना में, जो अपनी तरह की सबसे बड़ी जनगणना है, भारतीय जनसंख्या के बारे में जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक जानकारी एकत्र की जाती है।

जनगणना के बारे में

- भारत में दशकीय जनगणना 1881 में औपनिवेशिक शासन काल से की जा रही है, जिसका समय के साथ-साथ क्रमिक विकास हुआ है और इसका उपयोग सरकार, नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों एवं अन्य लोगों द्वारा भारतीय जनसंख्या से संबंधित आँकड़े एकत्र करने, संसाधनों तक इसकी पहुँच और सामाजिक परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये किया गया है।
- हालाँकि, जनगणना की उपयोगिता की अवहेलना नहीं की जा सकती है, उदाहरण के लिये परिसीमन के बारे में कुछ मुद्दों के संबंध में गहराई की कमी होती है। इस संदर्भ में, जाति और उसकी गणना के बारे में चर्चा विवादास्पद रही है। आज़ादी के बाद से जनगणना के आँकड़ों में शिक्षा जैसे कुछ मापदंडों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आँकड़े एकत्र किये गए हैं।

अर्थव्यवस्था

छोटे किसान अभी भी कृषि ऋण के दायरे से बाहर

संदर्भ

1 फरवरी को बजट दिवस पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिये फिर से एक नया कृषि ऋण लक्ष्य निर्धारित किया। 2011-12 में यह लक्ष्य ₹4.75 लाख करोड़ का था; अब 2020-21 में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़कर ₹15 लाख करोड़ तक पहुँच गया है जिसमें ₹21,175 करोड़ की आवंटित सब्सिडी शामिल है।

छोटे किसान

- पिछले 10 वर्षों में कृषि ऋण में 500% की वृद्धि हुई है, लेकिन यह 12.56 करोड़ लघु और सीमांत किसानों में से 20% किसानों तक भी नहीं पहुँच पाया है। कृषि-ऋण में वृद्धि के बावजूद, आज भी देश में बेचे जाने वाले 95% ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों का वित्तपोषण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों या एनबीएफसी द्वारा 18% ब्याज दर पर किया जा रहा है; जबकि इन उपकरणों की खरीद के लिये बैंकों के दीर्घावधि ऋण की ब्याज दर 11% है।
- कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार देश में लघु और सीमांत किसान परिवारों की कुल संख्या 12.56 करोड़ थी। ये लघु और सीमांत जोत कुल जोत का 86.1% हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कराए गए कृषि परिवारों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार जोत बढ़ने के साथ-साथ संस्थागत ऋणों की हिस्सेदारी बढ़ती जाती है, जो यह दर्शाता है कि सब्सिडी वाले कृषि ऋण का एक बड़ा हिस्सा बड़े किसानों और कृषि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों को चला जाता है।
- कृषि ऋण की अस्पष्ट परिभाषा के कारण कृषि व्यवसाय से जुड़ी बड़ी कंपनियाँ रियायती दरों पर ऋण प्राप्त कर लेती हैं। यद्यपि आरबीआई ने यह सीमा निर्धारित की है कि बैंक के कुल समायोजित निवल बैंक ऋण में से 18% ऋण कृषि क्षेत्र को जाना चाहिये, और इसमें से 8% लघु एवं सीमांत किसानों को तथा 4.5% अप्रत्यक्ष ऋण के लिये जाना चाहिये, लेकिन बैंक अग्रिम नियमित रूप से इस सीमा को तोड़ते हैं।
- 2017 में, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा महाराष्ट्र को दिये गए कृषि ऋण का 53% मुंबई शहर और उपनगरों को आवंटित किया गया था, जहाँ कोई कृषक नहीं है, केवल कृषि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियाँ हैं।

अनियमितताएँ

- 2019 में आरबीआई के आंतरिक कार्य-समूह द्वारा की गई समीक्षा में विभिन्न विसंगतियाँ पाई गईं। इसमें पाया गया कि कुछ राज्यों में कृषि क्षेत्र के लिये दिया गया ऋण उनके कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से अधिक था तथा दिये गए फसल ऋण और इनपुट की आवश्यकता के बीच अनुपात में बहुत असमानता है।
- इसके उदाहरण केरल (326%), आंध्र प्रदेश (254%), तमिलनाडु (245%), पंजाब (231%) और तेलंगाना (210%) हैं। जो यह दर्शाता है कि कृषि ऋण का उपयोग गैर-कृषि प्रयोजनों के लिये हो रहा है। इसका एक कारण यह है कि 4% से 7% ब्याज दर पर लिये गए रियायती ऋण को छोटे किसानों को और खुले बाज़ार में 36% तक की ब्याज दर पर दिया जा रहा है।

आगे की राह

- लघु और सीमांत किसानों को सब्सिडी वाला ऋण देने की बजाय प्रति हेक्टेयर के आधार पर प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया जाए। कमोडिटी स्टॉक के आधार पर किसान उत्पादक संगठनों या छोटे किसानों के किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को अधिक फसल ऋण प्रदान करने के लिये कृषि ऋण प्रणाली को सुव्यवस्थित करना कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिये लाभकारी मॉडल हो सकता है।
- भारत में 89.1% से अधिक कृषि परिवारों के पास मोबाइल फोन है, इसलिये प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से संस्थागत ऋण वितरण में सुधार के लिये गंभीर प्रयास करके कृषि परिवारों के वित्तीय अपवर्जन (Financial Exclusion) को काफी हद तक कम किया जा सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, किसान मोबाइल फोन एप के ज़रिये स्वयं ऋण ले सकते हैं।
- अन्य उपाय भूमि को पट्टे पर दिये जाने के ढाँचे में सुधार करना तथा राज्यों और केंद्र के बीच आम सहमति बनाने के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी का निर्माण करना है ताकि इस अंतराल को दूर किया जा सके तथा अधिक-से-अधिक लघु और सीमांत किसानों तक पहुँचा जा सके।

Source : The Hindu

कुछ वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने की आवश्यकता

संदर्भ

- जब द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हो गया, तो भारत के रक्षा अधिनियम का कोई औचित्य नहीं था और इसे निरसित कर दिया गया। हालाँकि, 'आवश्यक' वस्तुओं पर सरकारी नियंत्रण का औचित्य था, जिसमें 'आवश्यक' को आवश्यक और अपरिहार्य के रूप में परिभाषित किया गया था।
- तदनुसार, 1946 में पहले एक अध्यादेश लाया गया और फिर एक अधिनियम 'आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियाँ) अधिनियम' बनाया गया। इस अधिनियम की प्रस्तावना और नाम से संकेत मिलता है कि यह अस्थायी था। इस बीच, हमारे संविधान का निर्माण हुआ और अनुच्छेद 269 के तहत केंद्र सरकार के पास राज्य सूची में सम्मिलित वस्तुओं के लिये कानून बनाने की शक्तियाँ थीं, जैसे कि वे समवर्ती सूची में थीं। लेकिन ये शक्तियाँ 'संविधान के प्रारंभ से' केवल पाँच वर्ष के लिये थीं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

डिजिटल सुरक्षा

संदर्भ

डेटा पहले से कहीं अधिक मूल्यवान है, लेकिन इसके साथ-साथ इसकी चोरी का खतरा भी बढ़ गया है। अधिक एप्लीकेशंस और अधिक स्थानों में डेटा का वैश्विक प्रसार होने के कारण डेटा जोखिम प्रबंधन एक कठिन काम हो गया है। जहाँ एक ओर एंड-यूज़र्स अपने निजता के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधी हमलों की नई-नई रणनीतियाँ अपना रहे हैं।

निजता के अधिकारों की रक्षा और साइबर सुरक्षा

- डेटा को बड़े पैमाने पर असंरचित डेटा स्टोरों (एनएएस और ऑब्जेक्ट) में छोड़कर आसानी से भुलाया जा सकता है, जो वर्षों तक नियमों का उल्लंघन करता है। हालाँकि, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (General Data Protection Regulation-GDPR) जैसा कानून एंड-यूज़र्स की सुरक्षा करता है, जो उन्हें भुलाए जाने और उनके बारे में एकत्र की गई सूचनाओं की कॉपी तक पहुँच प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
- साइबर सिक्योरिटी वेंचर्स के अनुसार, डेटा के अव्यवस्थित रूप से फैलाव के साथ-साथ साइबर हमले और तेज़ हो गए हैं, अब हर 11 सेकंड में हमला हो रहा है। 'एक सेवा के रूप में रैनसमवेयर', खतरनाक वायरसों की बढ़ती संख्या और डेटा को सुरक्षित रखने की कठिनाई के कारण अधिकांश संगठनों के लिये यह सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अब वे बैकअप डेटा को डिलीट करने और डेटा एन्क्रिप्ट करने के अलावा कंपनी की सबसे निजी जानकारी चुराते हैं और इसे इंटरनेट पर पोस्ट करने की धमकी देते हैं।

डेटा जोखिम प्रोफाइल तैयार करने के लिये तीन प्रमुख घटक

- डेटा को वर्गीकृत करना और उनसे संबंधित नीतियाँ तैयार करना, इनमें संरक्षण, सुरक्षा, प्रतिधारण (Retention), खोज (Search), पुनर्प्राप्ति (Retrieval) और पहुँच प्रबंधन (Access Management) शामिल होने चाहिये।
- किसी कंपनी के वातावरण में डेटा की खोज डेटा बैकअप में मदद करती है, जो किसी संगठन में डेटासेट्स को ट्रैक करने का एक तरीका होता है।
- मेटाडेटा और/या सामग्री-आधारित नियमों के माध्यम से डेटा के लिये नीतियाँ निर्धारित करना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि डेटा का अव्यवस्थित रूप से फैलाव जारी रहता है, इसलिये जोखिम प्रोफाइल को स्वचालित रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है अन्यथा वे काम नहीं करेंगे।

आगे की राह

- ऐसे समय में जब जनता को डेटा की चोरी और डेटा के दुरुपयोग के बारे में अनेक कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं, तब जोखिम संरक्षण एक विभेदक के रूप में काम कर सकता है।
- प्रमाणपत्र प्रकाशित करके, डेटा प्रबंधन विशेषज्ञों की टीम का प्रचार करके और मुख्य डेटा अधिकारी (सीडीओ) नियुक्त करके डेटा जोखिम प्रबंधन और संरक्षण के लिये परिपक्व दृष्टिकोण का प्रदर्शन करके ग्राहक को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।
- प्रत्येक डेटा के जोखिम के विभिन्न स्तरों को पहचानना तथा उनका आकलन करना कंपनियों को अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और खुद की बेहतर सुरक्षा करने में मदद कर सकता है।

Source : Times of India

डिजिटल चिकित्सा सेवाओं की विशेषता

संदर्भ

- कोविड-19 महामारी ने हमारी स्वास्थ्य प्रणाली को एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता पर बल दिया है। अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर महामारी के प्रभाव को दूर करने के लिये डिजिटल उपकरणों का उपयोग एक महत्त्वपूर्ण घटना है जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) आरंभ करने के समान है जिसने बैंकिंग और लेन-देन प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया।
- प्रधानमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हेतु अपने दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की जो एक ऐतिहासिक कदम है और इंडिया हेल्थ स्टैक के सिद्धांतों पर आधारित है तथा इसका उद्देश्य स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्पर्श-बिंदुओं, जैसे- स्वास्थ्य सूचना संभरक से स्वास्थ्य सूचना उपयोगकर्त्ता से सहमति प्रबंधक को डिजिटल उपकरणों के माध्यम से जोड़ना है ताकि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य-देखभाल तक वहनीय पहुँच प्रदान की जा सके। एनडीएचएम का उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि निवारक और सहायक स्वास्थ्य-देखभाल एक ही व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत आ सके।

प्रमुख बिंदु

- वास्तविक समय में डेटा तक डिजिटल पहुँच त्वरित और पारदर्शी निर्णयों में मदद करती है तथा ऐसे मंच रोगी-हितैषी भी होते हैं। टेली-कंसल्टेशंस का बढ़ता हुआ उपयोग- दिसंबर में, महामारी के दौरान चिकित्सा में ई-संजीवनी मंच के माध्यम से टेली-परामर्श तकरीबन एक मिलियन पहुँच गया था।
- आपूर्ति पक्ष पर ई-फार्मेसी मॉडल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने से स्वास्थ्य प्रणाली को नैदानिक सटीकता में सुधार करने संबंधी मदद मिल रही है। स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के माध्यम से, एनडीएचएम स्वास्थ्य सेवा-प्रदाताओं को किसी व्यक्ति के चिकित्सा इतिहास का विश्लेषण करने और उसे समझने में सहायता करके एक दीर्घकालिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- एक बार डेटा रिकॉर्ड हो जाए और विश्लेषण के लिये उपलब्ध हो तो यह प्रणाली को रोग संचरण और भू-स्थानिक कवरेज (Geospatial

पर्यावरण

जलवायु नीति के संबंध में नए विचारों की आवश्यकता

संदर्भ

- 2021 एक नई वैश्विक जलवायु नीति का वर्ष होगा और भारत के पास उच्च एवं निम्न उत्सर्जन वाले देशों को एक साथ लाने की सॉफ्ट पॉवर है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से भारत 2030 के अपने पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त कर सकने की दिशा में अग्रसर है। इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का एक तिहाई है।
- जलवायु समझौते में असमानता विद्यमान है। जिसकी वजह से भारत चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया है, भले ही संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व के 1% सबसे अमीर लोग सबसे गरीब 50% लोगों द्वारा किये उत्सर्जन से दो गुना से अधिक उत्सर्जन करते हैं। स्पष्ट है कि 2050 तक शुद्ध शून्य या कार्बन तटस्थता (Net Zero or Carbon Neutrality) का लक्ष्य प्राप्त करना और इसके लिये उत्सर्जनों की ऊपरी सीमा निर्धारित करना केवल उच्च प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, जीडीपी और कल्याण वाले देशों पर लागू होता है।

सोच में बदलाव

- भौतिक राशियों पर ध्यान केंद्रित करना प्रकृति पर प्रभाव को दर्शाता है जबकि समाधान के लिये संसाधनों के उपयोग के प्रेरकों, प्रवृत्तियों और पैटर्नों के विश्लेषण की आवश्यकता होती है। यह विसंगति बताती है कि कल्याण, ऊर्जा के उपयोग और उत्सर्जन के बीच संबंध वैश्विक एजेंडे में क्यों नहीं है।
- 'कार्बन न्यूट्रैलिटी' एक अस्पष्ट शब्द है जिसका अर्थ है उत्सर्जित होने वाले कार्बन और वनों द्वारा वातावरण से अवशोषित कार्बन के बीच संतुलन करना।
- ऐसे देश पहले से ही निम्न ऊर्जा-उपभोग के रास्ते पर हैं जो दूसरों के पारिस्थितिकीय स्थान का अतिक्रमण नहीं करेंगे; इन देशों में युवा आबादी अधिक है और वे तेज़ी से विकास कर रहे हैं ताकि पहले से ही शहरीकृत और मध्यमवर्गीय देशों के कल्याण के तुलनीय स्तर तक पहुँच सकें।

विश्व के विभिन्न देशों की स्थिति

- 1950 तक, कुल उत्सर्जन में अमेरिका का योगदान सर्वाधिक 40% था। यह गिरकर लगभग 26% रह गया है, जो दुनिया में सबसे बड़ी गिरावट है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में दुनिया की एक चौथाई से कम आबादी है, लेकिन वे वैश्विक सामग्री के लगभग आधे उपयोग के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- 2010 में यह हिस्सेदारी घटकर 20 प्रतिशत रह गई, जब दुनिया की आधी आबादी वाले एशिया ने वैश्विक संसाधनों के उपयोग का अपना वैध आधा हिस्सा इस्तेमाल किया। लेकिन पारिस्थितिकीय क्षति पहले ही हो चुकी है। चीन में अमेरिका की चार गुना आबादी है और वह संचयी उत्सर्जन के 12% के लिये ज़िम्मेदार है, जबकि भारत, जिसकी आबादी चीन के लगभग बराबर है, केवल 3% संचयी उत्सर्जन के लिये ज़िम्मेदार है। इस उत्सर्जन से वैश्विक तापवृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) होती है।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पश्चिम में पुनर्निर्माण ने भौतिक उपयोग में तेज़ी ला दी, जिसके परिणामस्वरूप उत्सर्जन और 1970 के आसपास वैश्विक तापमान में तेज़ वृद्धि हुई, जबकि एशिया में विकास इसके बाद शुरू हुआ।
- आवास के आकार व घनत्व, सार्वजनिक साइकिल परिवहन और खाद्य कचरे को समाप्त करने जैसे प्रत्येक संधारणीयता बेंचमार्क में भारत पश्चिम की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

सॉफ्ट पॉवर

- भारतीय हर साल सिर्फ 4 किलो माँस खाते हैं जबकि उनकी तुलना में यूरोपीय संघ के लोग लगभग 65 किलो माँस खाते हैं और अमेरिकी लगभग 100 किलो माँस खाते हैं। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये कि औसत अमेरिकी परिवार अपने भोजन का लगभग एक तिहाई बर्बाद करता है।
- परिवहन उत्सर्जन वैश्विक उत्सर्जन में एक चौथाई योगदान करता है। वे दुनिया भर में सबसे तेज़ी से बढ़ते उत्सर्जन वाले देश हैं और अमेरिका बिजली उत्पादन से उत्सर्जन के लक्ष्य को पार कर गया है। परिवहन उत्सर्जन पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है और यह वैश्विक एजेंडे में नहीं है।
- कोयले का ऊर्जा उपयोग में एक चौथाई योगदान है। इसने उपनिवेशवाद को शक्ति प्रदान की। विकासशील एशिया तीन-चौथाई कोयला उपयोग करता है क्योंकि कोयला उद्योग को संचालित करता है और शहरों में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने में सहायता करता है।
- भारत में कोयले का प्रचुर भंडार है और प्रति व्यक्ति बिजली उपयोग अमेरिका का दसवाँ हिस्सा है, फिर भी उस पर कोयले का उपयोग बंद करने का दबाव है, भले ही भारत का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर शिफ्ट होना और तेल के उपयोग को समाप्त करना है।

निष्कर्ष

भारत के पास वैश्विक औसत से कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वाले देशों के लिये वैकल्पिक 2050 लक्ष्य को आगे बढ़ाने की विश्वसनीयता और वैधता है- उदाहरण के लिये, पारिस्थितिकीय सीमाओं के भीतर कल्याण का लक्ष्य, सतत् विकास लक्ष्यों की रूपरेखा, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा दक्षता, बिल्डिंग इंसुलेशन के बारे में बहुपक्षीय तकनीकी ज्ञान में सहयोग। भारत अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है इसलिये उसे संधारणीयता की ओर बदलाव के लिये अपनी सभ्यता और दीर्घकालिक वैकल्पिक मूल्यों के आधार पर नए विचारों को आगे बढ़ाना चाहिये।

Source : The Hindu

फैक्टशीट

महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट, सर्वेक्षण, शोध तथा सूचकांकों पर आधारित

हेनले पासपोर्ट सूचकांक-2021

हाल ही में जारी **हेनले पासपोर्ट सूचकांक-2021** में भारतीय पासपोर्ट को 85वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

हेनले पासपोर्ट सूचकांक

- मूल रूप से डॉ. क्रिश्चियन एच. केलिन (हेनले एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष) द्वारा बनाई गई यह रैंकिंग पूरी तरह से **'इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन' (IATA)** के डेटा पर आधारित है जो विश्व में यात्राओं का सटीक और सबसे बड़ा डेटाबेस रखता है।
- इसे वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था और इसमें 199 पासपोर्ट शामिल हैं।

शीर्ष रैंक वाले देश

- जापान इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। जापानी पासपोर्ट धारक विश्व भर के 191 देशों में पूर्व वीज़ा के बिना भी यात्रा कर सकते हैं।
- इस सूचकांक में सिंगापुर (स्कोर-190) दूसरे स्थान पर और जर्मनी एवं दक्षिण कोरिया (स्कोर-189) सामूहिक रूप से तीसरे स्थान पर हैं।

निम्न रैंक वाले देश

सीरिया, इराक एवं अफगानिस्तान क्रमशः 29, 28 और 26 के स्कोर के साथ सबसे खराब पासपोर्ट वाले देश बने हुए हैं।

भारत का प्रदर्शन

- इस सूचकांक में **भारत 58 के स्कोर के साथ 85वें स्थान पर** मौजूद है जबकि पाकिस्तान को 107वाँ और नेपाल को 104वाँ स्थान प्राप्त हुआ।
- भारतीय पासपोर्ट का प्रदर्शन इससे पहले वर्ष 2020 (84वें) और वर्ष 2019 (82वें) में बेहतर रहा था।

सड़क दुर्घटनाओं पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा **'ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसएबिलिटीज़: द बर्डन ऑन इंडिया सोसाइटी'** (Traffic Crash Injurie And Disabilities: The Burden on India Society) शीर्षक से विश्व बैंक की रिपोर्ट जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट को **एनजीओ- सेव लाइफ फाउंडेशन** (Save Life Foundation) के सहयोग से तैयार किया गया है।
- सर्वेक्षण में शामिल किये गए आँकड़ों को भारत के चार राज्यों- उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से एकत्र किया गया था।

सड़क दुर्घटना के कारण मृत्यु के वैश्विक आँकड़े

- सड़क यातायात के कारण चोटिल (Road Traffic Injuries-RTIs) होना मृत्यु का आठवाँ प्रमुख कारण है।
- सड़क दुर्घटना मृत्यु दर (Road Crash Fatality Rate) उच्च आय वाले देशों की तुलना में निम्न आय वाले देशों में तीन गुना अधिक है।
- सड़क दुर्घटनाओं के कारण विश्व भर में होने वाली कुल मौतों में से 11% मौतें भारत में होती हैं जो कि विश्व में सर्वाधिक है, जबकि भारत के पास दुनिया के केवल 1 प्रतिशत वाहन हैं। प्रतिवर्ष लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2020

हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, दक्ष (DAKSH), विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और टीआईएसएस-प्रयास (TISS-Prayas) तथा राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल के सहयोग से **इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2020** (India Justice Report-2020) जारी की है।

प्रमुख बिंदु

यह रिपोर्ट विभिन्न राज्यों की न्याय करने की क्षमता का आकलन करती है। इस रिपोर्ट में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों तथा 7 छोटे राज्यों में व्यय, रिक्तियों, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, मानव संसाधन, बुनियादी ढाँचा, कार्यभार और विविधता का विश्लेषण किया गया है।

अन्य प्रमुख बिंदु

- **समग्र रैंकिंग:** समग्र रैंकिंग न्याय वितरण प्रणाली के चार स्तंभों- न्यायपालिका, पुलिस, जेल और विधिक सहायता में राज्य की रैंकिंग को दर्शाती है।
  - 18 राज्यों में महाराष्ट्र लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर मौजूद है उसके बाद तमिलनाडु एवं तेलंगाना हैं तथा सबसे अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है।
  - छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष स्थान पर कायम है जबकि सबसे निचले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश मौजूद है।
- **पुलिस बल में महिला अनुपात:** बिहार राज्य पुलिस बल में 25.3% महिलाओं को रोज़गार देने के साथ 25 राज्यों की सूची में शीर्ष पर है। पुलिस बल में 20% से अधिक महिलाओं की भागीदारी वाला यह एकमात्र राज्य है। हालाँकि अधिकारी श्रेणी में केवल 6.1% महिलाएँ हैं।
  - तमिलनाडु में महिला पुलिस अधिकारियों का उच्चतम प्रतिशत (24.8%) है, इसके बाद मिज़ोरम (20.1%) का स्थान है।

निबंध खंड

UPSC-2020 परीक्षा में पूछे गए निबंधों के मॉडल उत्तर

मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है

-भावेश आर. द्विवेदी

असम की समाज सेविका बीरूबाला राभा ने 15 वर्षों से अधिक समय से डायन प्रताड़ना (विच हंटिंग) के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। बिना किसी स्वार्थ के परहित भाव से मानवीय मूल्यों की स्थापना हेतु अपने संगठन 'मिशन बीरूबाला' के माध्यम से उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाया; उन्हीं के प्रयासों की बदौलत वर्ष 2015 में असम में विच हंटिंग के खिलाफ कानून भी लाया गया। बीरूबाला ने थॉमस हॉब्स के मनुष्य के स्वार्थी होने के सिद्धांत को धता बताते हुए अन्य महिलाओं की सुरक्षा व उनके हितों की रक्षा करने तथा समाज से अमानवीय प्रथा के उन्मूलन हेतु जो योगदान दिया है, वह उन्हें मनुष्य होने की श्रेणी से अलग कर मानव बनने (बीइंग ह्यूमन) की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। मानवता की इस मिसाल के लिये जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित पंक्तियाँ पूर्णत: चरितार्थ होती हैं-

औरों को हँसता देखो मनु, हँसो और सुख पाओ,
अपने सुख को विस्तृत कर लो, सब को सुखी बनाओ।

मनुष्य (ह्यूमन बीइंग) से मानव बनने (बीइंग ह्यूमन) के बीच मूलभूत अंतर मूल्यों के संवर्द्धन का है जिसमें 'स्व' के भाव से हटकर 'पर' के भाव को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति अपरिहार्य है। इसमें जीवनयापन की प्रवृत्ति से आगे बढ़कर समाज और देश व वैश्विक कल्याण के प्रति संवेदनशील होने की प्रवृत्ति शामिल है। इस कल्याणकारी प्रवृत्ति में मानव कल्याण के साथ-साथ पर्यावरणीय संवृद्धि, अन्य जीव-जंतुओं के कल्याण और सभी वंचित वर्गों व पीड़ितों, जैसे- पिछड़े, दलित, महिलाओं आदि के उत्थान से संबंधित क्रियाविधियाँ शामिल हैं। इस तरह बिना किसी भेदभाव के सभी मानवों व प्राणी मात्र के हितों को साधने हेतु प्रयासरत रहना तथा 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' के दृष्टिकोण पर कार्य करना ही मानवता की परम सेवा है। किसी की खुशियों का कारण बनकर स्वसंतोष की अनुभूति भी इसी प्रकिया का हिस्सा है। किंतु मानव बनने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल भी है, वस्तुत: इसमें इस बात का जीवनपर्यंत ध्यान रखा जाना चाहिये कि जो भूमिका व्यक्ति-विशेष द्वारा निष्पादित की जा रही है, उसकी महत्त्वाकांक्षा मानवता के लक्ष्यों के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिये।

मानव जीवन अपूर्णता से भरा हुआ है और उस अपूर्णता के साथ जीवन को संचालित करना तथा उससे सीख लेना मानव होने का अभूतपूर्व लक्षण है, इसलिये हम कह सकते हैं कि मानव होना एक अति सहज संयोग है। वस्तुत: जन्म के समय हर इंसान एक साधारण मनुष्य ही होता है, जीवन के विविध चरणों में उसे परिवार, समाज, मित्र-समूह, शिक्षा एवं संस्कृति आदि से प्राप्त होने वाले अनुभव और मूल्य ही उसे गांधी या हिटलर बनाते हैं। किंतु यह कतई आवश्यक नहीं है कि हर इंसान, केवल इन्हीं दो वर्गों में ही शामिल होता है; वरन् एक साधारण मूल्यों और 'स्व' के भाव के साथ जीवनयापन करने वाला एक आम इंसान जिसे मानवता के संरक्षण या नुकसान का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, भी इंसानी बिरादरी का ही एक अभिन्न अंग है। हर इंसान में कुछ-न-कुछ अच्छी व बुरी आदतें होती हैं और अपने अंदर की नकारात्मकता, लालच, ईर्ष्या, स्वार्थ आदि का त्याग करके करुणा, दयालुता, समानुभूति, सहानुभूति, क्षमा, परहित आदि को बढ़ावा देकर मनुष्य होने से मानव बनने की प्रक्रिया को सुकर बनाया जा सकता है।

इंसानों की संगत में रहने के बावजूद हममें बार-बार अपनी मानव बिरादरी में ही यह साबित करने की होड़ लगी रहती है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं। दरअसल, इंसान भौतिकवाद, उपभोक्तावाद के पसोपेश में नकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा को ढोते हुए अपने मानवीय मूल्यों के साथ समझौता करने पर आमादा है। सहजीविता के सिद्धांत के इतर लालच, स्वार्थ, अभिमान और क्रोध ने प्रेम व करुणा जैसी मानवीय प्रवृत्तियों को मानव के वस्तुकरण से परिवर्तित कर दिया है और वस्तुओं का मानवों से अधिक मोल हो गया है। तार्किकता के आधुनिक दौर में भी इंसानों की अमानवीयता गाहे-बगाहे आतंकवाद, बलात्कार, नस्लीय व जातीय भेदभाव, महिला व बाल शोषण तथा जानवरों पर क्रूरता आदि के रूप में प्रकट होती रहती है। लेकिन कोविड-19 महामारी के मौजूदा दौर में जब देश इतिहास के सबसे बड़े आंतरिक प्रवासन की वीभत्सता से जूझ रहा था, तब कुछ लोग इन प्रवासियों की पीड़ा को समझते हुए उन्हें भोजन, वित्त आदि की सहायता प्रदान करने में भी संलग्न थे। इसी मानवीय सहृदयता के लिये ही गांधीजी ने यह कहा था, "आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिये। मानवता सागर के समान है, यदि सागर की कुछ बूँदें गंदी हैं, तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता।"

जीवन जन्म से लेकर मरण तक की गाथा है, लेकिन यह मानव होने से लेकर मानव बनने की लंबी यात्रा का चित्रण भी है। जन्म के साथ ही शुरू होने वाली इस जीवनपर्यंत यात्रा में आने वाले विभिन्न पड़ावों, संक्रमण कालों, अनुभवों व घटनाओं आदि के माध्यम से मानव अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक माहौल देने तथा सार्थकता की पराकाष्ठा को अपने अंदर समाहित करते हुए समाज तथा देश के कल्याण हेतु संलग्न

कहा जाना चाहिये। उक्त घटनाओं को भारत के प्रौद्योगिकीय विकास को विदेश नीति के साथ संयोजित कर अंतर्राष्ट्रीय संबंध संचालित करने के प्रखर उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है।

हालिया संदर्भों में बात की जाए तो भारत अपनी उपग्रह कूटनीति के माध्यम से भी पड़ोस में तथा दुनिया भर में द्विपक्षीय संबंध बेहतर बना रहा है। 2017 में इसरो ने जब 103 उपग्रह प्रक्षेपित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था तब उस बेड़े में यूएस के 96 उपग्रह तथा नीदरलैंड्स, इज़राइल, कज़ाखस्तान इत्यादि देशों के 1-1 उपग्रह भी शामिल थे। साथ ही, सार्क उपग्रह के प्रक्षेपण के माध्यम से भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध मज़बूत किये। 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी तब उसकी वैक्सीन की प्रतीक्षा करते हुए सबको यही लग रहा था कि वैक्सीन विकसित हो जाने की स्थिति में दुनिया के सभी देश सबसे पहले अपने नागरिकों का संपूर्ण टीकाकरण करेंगे, लेकिन जनवरी 2021 में भारत द्वारा वैक्सीन विकसित किये जाने के बाद यहाँ से वैक्सीन की डोज़ भूटान, नेपाल, बांग्लादेश इत्यादि देशों में भेजी गई। इस कठिन समय में पहले तो भारत ने अपनी प्रौद्योगिकीय कुशलता से कोरोना महामारी की काट खोज ली और बाद में 'वैक्सीन कूटनीति' से अपने पड़ोसियों तथा क्षेत्र के अन्य देशों तक भी सहायता पहुँचाई। पड़ोसी देशों के बाद भारत ने पश्चिम एशिया के देशों में भी वैक्सीन पहुँचाई है और आगे अफ्रीकी देशों में भी वैक्सीन भेजे जाने की योजना है। उल्लेखनीय है कि अब तक भारत ऐसा करने वाला दुनिया का एकमात्र देश है और इस कदम से भारत को 'फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड' की संज्ञा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त भारत ने रक्षा, साइबर इत्यादि क्षेत्रों में पड़ोसी व दुनिया के अन्य देशों के साथ लेन-देन करते हुए प्रौद्योगिकी को अपनी विदेश नीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अविच्छिन्न कारक बनाया है।

हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग का नकारात्मक पक्ष यह है कि इससे एक नई तरह की प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिलेगा और 20वीं सदी के अनुभवों से पूरी दुनिया ने यह सीखा है कि प्रौद्योगिकी की प्रतिस्पर्द्धा संसार को प्रतिकूल रूप से भी प्रभावित कर सकती है। उल्लेखनीय है कि शीतयुद्ध के पूरे दौर में अमेरिका व पूर्व सोवियत संघ एक-दूसरे से बेहतर शस्त्र-प्रौद्योगिकी विकसित करने की होड़ में निरंतर लगे रहे और शीतयुद्ध में अमेरिका की निर्णायक विजय में उनकी प्रौद्योगिकी की बेहतर प्रस्थिति का भी महत्त्वपूर्ण योगदान था। ऐसी प्रतिस्पर्द्धा यदि वर्तमान में भी अनियंत्रित तरीके से बढ़ती है तो सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि यह शस्त्रों की प्रौद्योगिकी तक सीमित न रहते हुए प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों, यथा- साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी इत्यादि में भी होगी और इस प्रकार उत्पन्न होने वाले किसी संघर्ष से होने वाली क्षति महज़ अस्त्र-शस्त्र के युद्ध से कहीं अधिक होगी। इसके अलावा, प्रौद्योगिकीय स्तर पर पहले से उन्नत देशों द्वारा यदि प्रौद्योगिकियाँ अथवा उनसे होने वाले लाभ कम विकसित देशों के साथ ईमानदारी व सदाशयता के साथ नहीं साझा किये जाते हैं, तो इससे नए तरीके की असमानता दुनिया में जन्म लेगी।

यह कहना उचित होगा कि विगत 2-3 दशकों में हुए तीव्र प्रौद्योगिकीय विकास ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व विदेश नीति के संचालन को भी नई गति दी है। आज अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विज्ञान-प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप पहले से कहीं अधिक हुआ है और आधुनिक समाज में यह लगातार बढ़ रहा है। वैश्वीकरण की अधिकांश प्रक्रियाएँ व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली समाजों के बीच की परस्पर-निर्भरता विज्ञान-प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा लाए गए बदलावों से सृजित होती हैं। प्रौद्योगिकी ने आधुनिक समाज को एक ज्ञान-आधारित समाज बनाने में सहायता की है जहाँ सूचना का प्रवाह तत्काल और परिस्थितियों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने वाला होता है। वैश्वीकरण के कारकों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रगति ने सहयोग और प्रतिस्पर्द्धा के नए युग को प्रभावित करने वाले राजनीतिक और कॉर्पोरेट एजेंडे को प्रभावित किया है। इस बदलते युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रौद्योगिकीय आयाम और भविष्य की कूटनीति के बदलते पैटर्न को समझना अवश्यंभावी होगा। वैश्विक पहुँच वाली प्रौद्योगिकियाँ भू-राजनीति के मानकों व समय-सीमा तथा कूटनीतिक अवधारणाओं को तेज़ी से बदल रही हैं। इस कारण दुनिया भर में प्रौद्योगिकी को आर्थिक संवृद्धि और सैन्य शक्ति में योगदान के साथ राष्ट्रों के उस नज़रिये को बदलने में भी मददगार समझा जा रहा है, जो वैश्विक शक्ति संतुलन का निर्धारण करता है। इसलिये आने वाले समय में प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सर्वाधिक मांग रखने वाला उत्पाद बना रहेगा।

निबंध प्रतियोगिता

प्रिय पाठको,

इस प्रतियोगिता के अंतर्गत निबंध का एक विषय दिया जाता है। आप इस विषय पर अधिकतम 1500 शब्दों में निबंध टाइप कराकर निर्धारित तिथि तक हमें भेज सकते हैं। आपके प्रोत्साहन के लिये 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' की तरफ से पुरस्कार का प्रावधान भी किया गया है जिसके अंतर्गत **प्रथम तीन विजेताओं को क्रमशः एक साल, 9 महीने एवं 6 महीने तक 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' पत्रिका निःशुल्क भेजी जाएगी।**

प्रतियोगिता के संबंध में महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ इस प्रकार हैं-

निबंध प्रतियोगिता क्रमांक-69

विषय: ओवर द प्लेटफॉर्म (OTT) एप्लीकेशन्स को सेंसर किया जाना कितना आवश्यक है?

प्रतियोगिता के नियम:

1. निबंध अधिकतम 1500 शब्दों में ही होना चाहिये।
2. निबंध मुद्रित (टाइप) कराकर ही भेजें। यदि ई-मेल द्वारा निबंध भेज रहे हैं तो वर्ड फॉर्मेट में भेजें। ध्यान रखें कि हस्तलिखित निबंध स्वीकार नहीं किये जाएंगे। पिछली प्रतियोगिताओं में देखने में आया है कि कुछ प्रतिभागियों के विचार तो अच्छे होते हैं परंतु उनमें शाब्दिक अशुद्धियाँ प्रचुर मात्रा में होती हैं। आपसे निवेदन है कि इसका ध्यान रखें। निबंधों के मूल्यांकन में इसका भी ध्यान रखा जाता है।
3. निबंध की प्रविष्टि दिये गए पते पर रजिस्टर्ड डाक या ई-मेल द्वारा ही भेजें। प्रविष्टि भेजने का पता है- कार्यकारी संपादक, दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 तथा ई-मेल आईडी है- purushottam@groupdrishti.com। लिफाफे के ऊपर 'निबंध प्रतियोगिता के लिये प्रविष्टि' ज़रूर लिखें।
4. निबंध की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होनी चाहिये।
5. अपनी प्रविष्टि के साथ इसी पृष्ठ पर दिये गए फॉर्म में अपना व्यक्तिगत परिचय लिखकर अवश्य भेजें। ध्यान रखें कि इस फॉर्म के बिना भेजे गए किसी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. आपकी प्रविष्टि ***20 अप्रैल, 2021*** तक पहुँच जानी चाहिये। उसके बाद पहुँचने वाली प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रतियोगिता का परिणाम ***जून*** अंक में प्रकाशित होगा।
7. आपके विचार मौलिक होने चाहिये। किसी भी रूप में पूर्व-प्रकाशित व पुरस्कृत निबंधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. निबंध के परिणाम के संबंध में सर्वाधिकार 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' के पास सुरक्षित हैं। पुरस्कार विजेताओं के नाम पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशित किये जाएंगे। प्रतियोगिता के परिणाम के संदर्भ में किसी भी किस्म का पत्राचार अथवा टेलीफोन न करें।

नोट: जो प्रतिभागी निबंध प्रतियोगिता हेतु प्रथम, द्वितीय और तृतीय में से कोई भी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं उनकी प्रविष्टियों पर उस अंक से लेकर अगले एक वर्ष के अंक तक कोई विचार नहीं किया जाएगा। आप हमें डाक के अतिरिक्त ई-मेल द्वारा भी निबंध भेज सकते हैं। ई-मेल आई डी ऊपर दिये गए नियमों में उल्लिखित है। कृपया निबंध भेजने में इस बात का ध्यान रखें कि आप डाक या ई-मेल में से एक माध्यम से ही निबंध भेजें। दोनों माध्यमों से भेजने पर निबंध पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

निबंध प्रतियोगिता क्रमांक-67 के सभी विजेताओं को ढेरों बधाइयाँ, प्रथम तीन विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं- प्रथम पुरस्कार- देवेन्द्र चौधरी (हाथरस, उत्तर प्रदेश) द्वितीय पुरस्कार- निशा कुमारी, (खगड़िया, बिहार), तृतीय पुरस्कार- जयशंकर तिवारी (प्रयागराज, उत्तर प्रदेश)।

निबंध प्रतियोगिता का फॉर्म

(कृपया इस फॉर्म को फाड़कर अपने निबंध के साथ संलग्न करें। मूल फॉर्म ही भेजें, फोटोकॉपी नहीं।)

प्रतिभागी का नाम ..... मोबाइल नंबर .....

पत्राचार हेतु पता .....

.....

ई-मेल पता .....

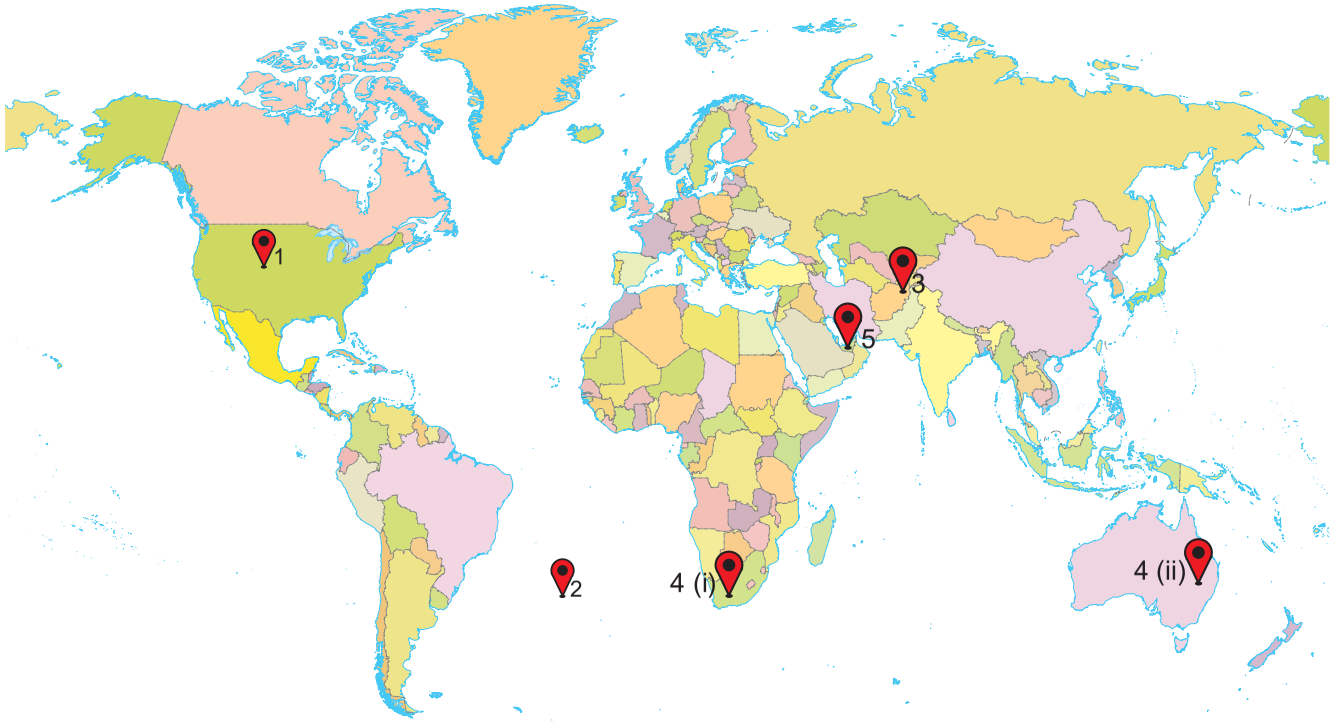

मानचित्र-1 (विश्व)

प्रश्न

1. उस देश को पहचाने जो हाल ही में UNFCCC पेरिस समझौते में पुनः शामिल हुआ।
2. उस क्षेत्र को पहचाने जिसे अटलांटिक महासागर में पूर्णतः संरक्षित सबसे बड़ा समुद्री भंडार घोषित किया गया था।
3. उस देश को पहचाने जहाँ शहतूत बांध के निर्माण में भारत सहयोग कर रहा है।
4. उन देशों को पहचाने जहाँ 'स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्ज़र्वेटरी' (SKAO) के दो रेडियो टेलीस्कोप नेटवर्क स्थापित किये जाएंगे।
5. उस देश को पहचाने जहाँ NAVDEX 21 (नौसेना रक्षा प्रदर्शनी) एवं IDEX 21 (अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी) आयोजित की गई थीं।

(इस मानचित्र के उत्तर पेज-209 पर देखें)

से सीखें

रेखांकित स्थानों को पहचानते हैं?

मानचित्र-2 (भारत)

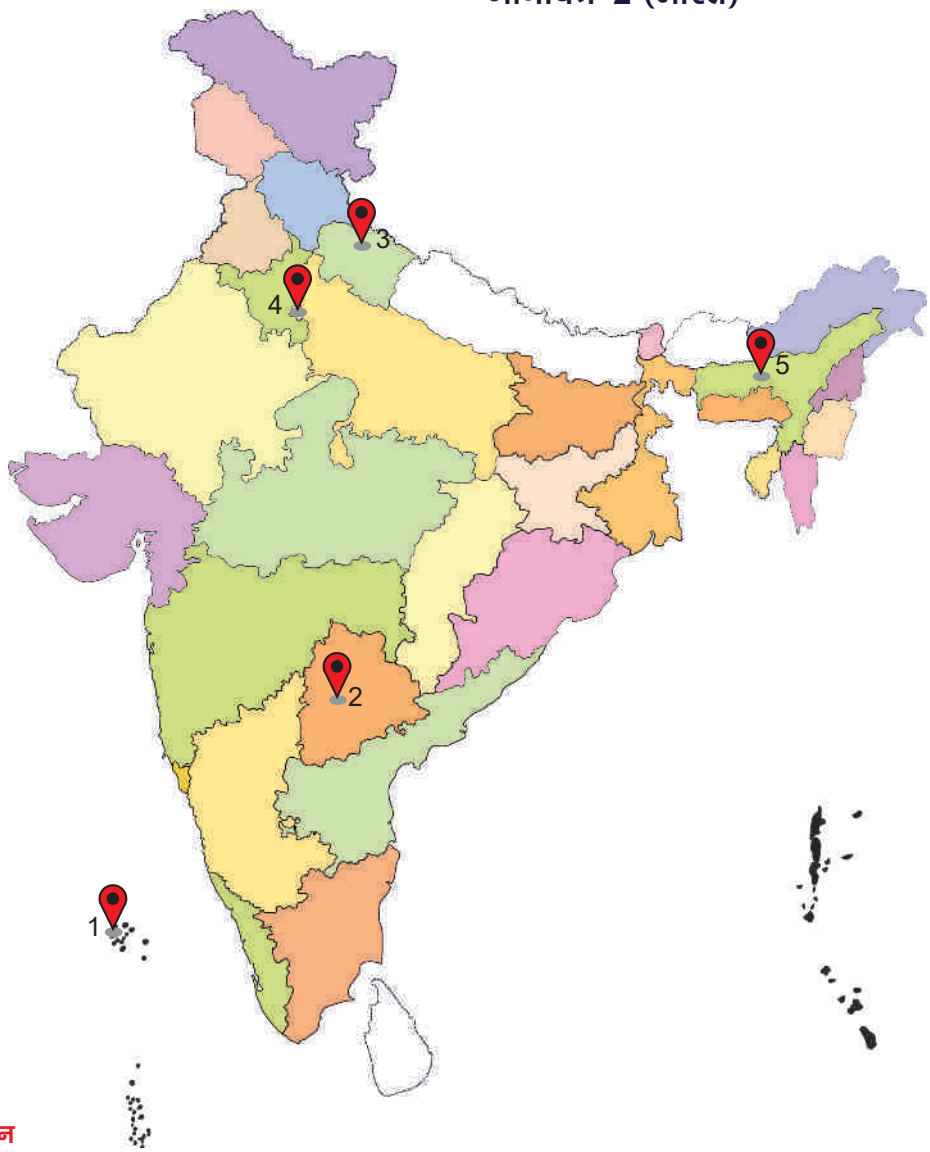

प्रश्न

1. उस स्थान को पहचाने जहाँ हाल ही में 'अटल पर्यावरण भवन' का उद्घाटन किया गया है।
2. उस शहर को पहचाने जिसे हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन ने 'ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड' के रूप में मान्यता प्रदान की है।
3. धौलीगंगा नदी के उद्गम स्थल को पहचाने जिसमें हाल ही में हिमस्खलन के कारण बाढ़ आई थी।
4. उस स्थान को पहचाने जहाँ अब्दुर्रहीम खान-ए-खाना का मकबरा अवस्थित है।
5. उस संरक्षित क्षेत्र को पहचाने जहाँ भारतीय गैंडों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है।

(इस मानचित्र के उत्तर पेज-209 पर देखें)

अब घर बैठे कीजिये
आई.ए.एस. की तैयारी
क्योंकि हम आ रहे हैं
आपके घर

आई.ए.एस. प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स
(IAS Prelims Online Course)

मोड : ऑनलाइन / पेन ड्राइव

सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम के कम परिणाम की बड़ी वजह यह है कि प्रिलिम्स में ही बहुत कम विद्यार्थी सफल हो पाते हैं। यह कोर्स इसलिये बनाया गया है ताकि दिल्ली न आ सकने वाले विद्यार्थी अपने घर पर रहकर ही आसानी से सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों से पढ़ सकें और प्रिलिम्स परीक्षा की चुनौती को तोड़ सकें।

यह कोर्स ऑनलाइन मोड (ऐप) के अलावा पेन ड्राइव में भी उपलब्ध है। यदि आप इंटरनेट नेटवर्क की कमी या किसी अन्य कारण से यह कोर्स मोबाइल फोन की बजाय लैपटॉप/कंप्यूटर पर करना चाहते हैं तो कृपया ऐप के होम पेज पर जाकर पेनड्राइव कोर्स की टैब पर क्लिक करें।

एडमिशन प्रारंभ

कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल **Drishti IAS** की प्लेलिस्ट **Online Courses** में देखें

ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट **www.drishtiias.com** या **Drishti Learning App** पर **FAQs** पेज देखें

इस कोर्स से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406442 नंबर पर सीधे बात या मैसेज करें

IAS प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

1. 500+ घंटे की सामान्य अध्ययन की कक्षाएँ।
2. 120+ घंटे की सीसैट की कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा ताकि आप रिवीज़न भी कर सकें।
4. कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल। इमेज, वीडियो आदि की मदद से कठिन विषय समझाने की शैली।
5. हर क्लास के अंत में उस टॉपिक से IAS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का अभ्यास।
6. स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
7. प्रिलिम्स के ठीक पहले करेंट अफेयर्स की 30 ऑनलाइन कक्षाएँ (निशुल्क)।
8. ऑनलाइन प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़ (25+5 टेस्ट) की निशुल्क सुविधा।
9. क्विक बुक सीरीज़ की 8 पुस्तकें निशुल्क, जिनके अलावा कोई और स्टडी मैटीरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं।
10. इस कोर्स को करने के बाद अगर आप दृष्टि की किसी भी शाखा में सामान्य अध्ययन (फाउंडेशन कोर्स) करते हैं तो आपकी ऑनलाइन कोर्स की फीस की 50% राशि की छूट दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिये अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

Drishti Learning App

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) :
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) :
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 87501 87501

माइंड मैप

सामान्य अध्ययन के टॉपिक्स पर सटीक व बिंदुवार सामग्री

मूल अधिकार

परिचय
- संविधान के अनुच्छेद-12-35 (भाग-III) में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इनमें अनुच्छेद 14-35 तक विशिष्ट मूल अधिकार वर्णित हैं।
- मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन के उपरांत इसमें से संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद-31) को हटा दिये जाने के बाद से इसमें सिर्फ छः वर्ग शेष हैं।

समता का अधिकार
- **अनुच्छेद-14:** विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण।
- **अनुच्छेद-15:** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।
- **अनुच्छेद-16:** लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।
- **अनुच्छेद-17:** अस्पृश्यता का उन्मूलन।
- **अनुच्छेद-18:** उपाधियों का अंत।

स्वतंत्रता का अधिकार
- अनुच्छेद-19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 अधिकार।
- **अनुच्छेद-20:** अपराधों के लिये दोष-सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार।
- **अनुच्छेद-21:** प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
- **अनुच्छेद-21क:** प्राथमिक शिक्षा (6-14 वर्ष की आयु तक) का अधिकार। (86वाँ संशोधन)
- **अनुच्छेद-22 :** कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार।

शोषण के विरुद्ध अधिकार
- **अनुच्छेद-23:** मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम और बेगार का प्रतिषेध।
- **अनुच्छेद-24:** कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
- **अनुच्छेद-25:** अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद-26:** धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद-27:** किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिये कर नहीं देने की स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद-28:** कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
- **अनुच्छेद-29:** भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने की स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद-30:** शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।

सवैधानिक उपचारों का अधिकार
- **अनुच्छेद-32:** सवैधानिक उपचारों का अधिकार।

मूल अधिकारों में शामिल अन्य उपबंध
- **अनुच्छेद-12:** संविधान के भाग 3 के प्रयोजन के लिये राज्य की परिभाषा।
- **अनुच्छेद-13:** संविधान-पूर्व या संविधान पश्चात् निर्मित अन्य विधियों से मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी।
- **अनुच्छेद-33:** सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों, आसूचना संगठनों आदि के मूल अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति।
- **अनुच्छेद-34:** सेना विधि लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति।
- **अनुच्छेद-35:** इस भाग (भाग 3) में अपराध घोषित किये गए कार्यों के लिये दंड निर्धारित करने हेतु विधि बनाने की संसद की शक्ति।
- **अनुच्छेद-31:** संपत्ति का अधिकार था इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से संविधान से हटा दिया गया है।

मूल अधिकारों का निलंबन एवं निर्बंधन
- संविधान के अनुच्छेद-19(2) से 19(6) तक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन आरोपित किये गए हैं। इसके अलावा, अनुच्छेद 25 तथा अनुच्छेद 31(क, ख तथा ग) में भी मूल अधिकारों को सीमित किया गया है।
- अनुच्छेद 33 के तहत संसद विधि बनाकर प्रतिरक्षा सेना, पुलिस, आसूचना तथा दूरसंचार आदि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मूल अधिकारों को उस सीमा तक निर्बंधित या समाप्त कर सकती है जिस सीमा तक ऐसा करने से उनमें अनुशासन बना रहे।
- संविधान का अनुच्छेद 34 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि यदि भारत के किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो तो संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों पर पूर्णतः या अंशतः निर्बंधन आरोपित कर सकती है।
- संविधान के अनुच्छेद 358 तथा 359 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देश में आपातकाल लागू होने की उद्घोषणा करता है तो कुछ मूल अधिकार निलंबित किये जा सकते हैं।

करेंट अफेयर्स से जुड़े

संभावित प्रश्न-उत्तर

(मुख्य परीक्षा के लिये)

खंड संयोजन- शशि भूषण (विवेक राही)

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

आधुनिक भारत

प्रश्न: "ब्रिटिश भू-राजस्व नीति के परिणामस्वरूप भारतीय ग्रामीण समाज का पूरा ढाँचा टूटने लगा।" स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: बंगाल की दिवानी प्राप्त होने के पश्चात् अंग्रेज़ों ने अधिक-से-अधिक राजस्व प्राप्त करने एवं भारत से कच्चे माल का निर्यात करने के उद्देश्य से प्रचलित भूमि-व्यवस्था में परिवर्तन किया। अंग्रेज़ों ने भू-नीति के तहत स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महालवाड़ी व्यवस्था को देश के विभिन्न भागों में लागू किया।

अंग्रेज़ी भूमि-नीति के परिणाम

- **ज़मीन का हस्तांतरणीय बनना:** अब ज़मीन आसानी से एक व्यक्ति के हाथों से दूसरों के हाथों में लगान चुकाने के लिये बेची या गिरवी रखी जा सकती थी। इसका भारतीय सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। संयुक्त परिवार टूटने लगे और मुकदमेबाज़ी का विकास हुआ।
- **भूमि को पूंजी-विनिमय का साधन बनाना:** ज़मीन पर स्वामित्व प्राप्त होने से महाजनों एवं साहूकारों का आकर्षण ज़मीन की तरफ बढ़ने लगा। ऋण अदा न करने की स्थिति में वे किसानों की ज़मीन नीलाम करवाकर उस पर कब्ज़ा कायम कर लेते थे। इसके परिणामस्वरूप किसान अपनी ज़मीन खोकर मज़दूरों की श्रेणी में आ गया।
- **किसानों पर कर्ज़ का बोझ बढ़ना:** नई भूमि-व्यवस्था ने किसानों को कर्ज़ के बोझ तले दबा दिया। लगान एवं ज़मींदारी अंशों को चुकाकर किसानों के पास अपने खाने और फसल को बेचकर अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने जितना भी अंश नहीं बच पाता था। सूखे या बाढ़ के चलते किसान की दशा और भी दयनीय हो जाती थी, अत: मजबूर होकर उसे कर्ज़ लेना ही पड़ता था।
- **उत्पादन में कमी:** ज़मीन को हस्तांतरणीय और विभाज्य बनाकर उसे विखंडित कर दिया गया। इससे ज़मीन छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटने लगी। छोटे-छोटे टुकड़ों पर सुगमतापूर्वक खेती नहीं की जा सकती थी। परिणामस्वरूप, उत्पादन में लगातार कमी आती गई जिसका दुष्परिणाम किसानों को ही भुगतना पड़ा।
- **ज़मींदार वर्ग का उदय:** स्थायी भूमि व्यवस्था ने एक शक्तिशाली, साधनसंपन्न ज़मींदार वर्ग को जन्म दिया जो किसानों और सरकार के बीच बिचौलिये का काम करता था। यह वर्ग किसानों का शोषक बन गया। ज़मींदारों के अत्याचार किसानों पर लगातार बढ़ते चले गए।
- **कृषि उत्पादनों का निर्यात:** खाद्यान्न एवं कच्चे माल के निर्यात के लिये अंग्रेज़ ज़मींदारों के माध्यम से किसानों से उन फसलों की खेती करवाते थे जिसका निर्यात कर सरकार मुनाफा कमा सकती थी, जैसे- रूई, चाय, नील, पटसन, अफीम आदि। इससे भी किसानों की दशा दयनीय हुई। चंपारण के किसानों के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है।

इस प्रकार नई भू-राजस्व नीति से समाज में ज़मींदार और साहूकार प्रधान बन गए, भूमिहीन श्रमिकों की संख्या बढ़ गई, कृषि के वाणिज्यीकरण से ज़मीन पर बोझ बढ़ गया। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण समाज का पूरा ढाँचा टूटने लगा।

सामाजिक मुद्दे

प्रश्न: भारत में कुपोषण हेतु उत्तरदायी मुख्य कारणों की चर्चा करते हुए इसके उन्मूलन हेतु आवश्यक उपायों का उल्लेख करें।

उत्तर: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के अनुसार भारत में-

- पाँच वर्ष से कम आयु वर्ग के एक-तिहाई बच्चे ठिगनेपन एवं दुबलेपन संबंधी समस्या से ग्रस्त हैं।
- एक वर्ष से चार वर्ष आयु वर्ग के 40 प्रतिशत बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं।
- आधे से अधिक गर्भवती एवं गैर-गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से ग्रस्त पाया गया है।

कारण

- भारत में गरीबी का स्तर उच्च होने के कारण सभी को पर्याप्त भोजन सुलभ तौर पर उपलब्ध नहीं है।
- लोगों में पोषण संबंधित आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता का व्यापक अभाव पाया जाता है।
- स्वास्थ्य ढाँचे का अविकसित होना।
- स्वच्छता एवं पर्यावरण से संबंधित निम्नस्तरीय दशाओं के कारण विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रसार होता है। इससे बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास बाधित होता है।
- स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की अनुपलब्धता के कारण उचित रूप से भोजन का पाचन एवं पोषक तत्त्वों का अवशोषण नहीं हो पाता।
- लड़कियों का कम उम्र में विवाह होने से वे अल्पायु में गर्भवती हो जाती हैं। इससे उनका स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, नवजात शिशु को भी आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता।
- महिलाओं की साक्षरता दर का कम होना।
- पुरुष प्रधान संयुक्त परिवार की प्रणाली जिसमें महिलाएँ पुरुषों के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करती हैं जिससे उन्हें कम पोषक भोजन उपलब्ध होता है।

उपाय

- नीति आयोग द्वारा जारी पोषण अभियान पर तीसरी प्रगति रिपोर्ट में सुझाए गए उपायों को अपनाना, जैसे-
  - ठिगनेपन का समाधान करने के लिये पूरक आहार में सुधार करना।

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

टारगेट प्रिलिम्स 2021 : तीसरी कड़ी

प्रिय अभ्यर्थियो,

'टारगेट प्रिलिम्स' की इस कड़ी में हम 'भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था' पर सामग्री दे रहे हैं। ध्यातव्य है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज़ से यह खंड अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में इस खंड से पूछे गए प्रश्नों पर गौर करें तो प्रत्येक वर्ष इस खंड से औसतन 11–12 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। सामान्य अध्ययन का यह खंड अत्यंत रुचिकर है एवं बहुत कम समय में इसे तैयार कर सामान्य अध्ययन के 11–12 प्रश्नों पर आसानी से पकड़ स्थापित की जा सकती है। इन बातों को ध्यान में रखकर ही यह पाठ्यसामग्री तैयार की गई है। हमें उम्मीद है कि आपकी तैयारी को संपूर्ण बनाने में यह पाठ्यसामग्री लाभदायक सिद्ध होगी।

भारतीय संविधान की विशेषताएँ एवं प्रस्तावना

भारतीय संविधान का दर्शन

हर संविधान का एक दर्शन होता है। भारत के संविधान का भी एक दर्शन है जो पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य संकल्प में निहित है। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की 'प्रस्तावना' का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के 'दर्शन' को मूर्त रूप प्रदान किया। इसमें निहित कुछ मुख्य बातें निम्नवत् हैं:

- भारत को एक 'स्वतंत्र तथा संप्रभु गणराज्य' के रूप में स्थापित किया जाए।
- भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी।
- इस गणराज्य में भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त होगी।
- भारत के समस्त नागरिकों को विचार व अभिव्यक्ति, संस्था बनाने, कोई व्यवसाय करने, किसी भी धर्म तथा मत को मानने या न मानने की स्वतंत्रता होगी।
- अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिये उपयुक्त रक्षोपाय किये जाएंगे।
- देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा।
- भारत की प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान व अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति व मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा।

ये समस्त दार्शनिक तत्त्व वस्तुत: लोकतांत्रिक राज्य के आदर्शवादी मूल्य होते हैं और ये मूल्य ही शासन में मूलभूत होते हैं जिनसे कल्याणकारी राज्य और प्रगतिशील समाज की रचना होती है।

भारतीय संविधान की विशेषताएँ

- हमारे संविधान ने विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ली है, अर्थात् ज्ञात संविधानों की उन बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है जो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त थीं। उदाहरण के लिये **ब्रिटेन** के संविधान से **'संसदीय शासन व्यवस्था'**।
- भारतीय संविधान वृहद् रूप से लिखित संविधान है।
- **संविधान की सर्वोच्चता** इसकी एक प्रमुख विशेषता है जिसका अर्थ है कि कोई भी कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता।
- संशोधनों की प्रक्रिया के आधार पर यह **अनम्य और नम्य संविधानों का मिश्रण** है।
- भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर उन्मुख **संघीय** संविधान है।
- संविधान के अनुपूरक विधायन की शक्ति संसद को दी गई है, अर्थात् विधान बनाकर संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने की शक्ति संसद में निहित है।
- संविधान में परंपराओं की भूमिका को भी महत्त्व दिया गया है।
- इसमें मूल अधिकारों की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही, मूल कर्त्तव्यों की भी घोषणा की गई है कि एक नागरिक के क्या-क्या कर्त्तव्य हैं।
- संविधान कानून के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप व्याख्यायित होता है, जैसे– विधि का शासन, नैसर्गिक न्याय आदि।
- भारतीय संविधान संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता में अभूतपूर्व सामंजस्य बनाए रखता है।
- वयस्क मताधिकार को मान्यता देता है जिससे लोकतंत्र और मज़बूत होता है।
- भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्त्वों का समावेश किया गया है, जिससे राज्य को किस दिशा में आगे बढ़ना है यह निर्देश प्राप्त होता रहता है।
- एकल नागरिकता भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है।
- स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है।

भारतीय संविधान पर अन्य देशों से ग्रहण किये गए स्रोतों का विवरण

देश	प्रावधान
ब्रिटेन	संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख।
संयुक्त राज्य अमेरिका	मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद।
कनाडा	एक सशक्त केंद्र के साथ अर्द्ध-संघ सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, शक्ति विभाजन (संघ एवं राज्य के बीच), राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन।
आयरलैंड	राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाजसेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया।
द. अफ्रीका	संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया।
फ्राँस	स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था।
ऑस्ट्रेलिया	समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
जर्मनी (वाइमर संविधान)	आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन।
जापान	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
पूर्व सोवियत संघ	मूल कर्त्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श।
नोट: भारतीय संविधान में 'राज्यों का संघ' की संकल्पना को **ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका** अधिनियम से प्राप्त किया गया है।	

'आपके पत्र'

दृष्टि द्वारा पाठक- प्रतिक्रिया के रूप में 'आपके पत्र' एक उत्साहपूर्ण एवं अनूठी पहल है। करेंट अफेयर्स के बढ़ते महत्त्व की तर्ज पर बाज़ार में धड़ल्ले से बिक रही तमाम पत्रिकाओं में न केवल अभ्यर्थियों के लिये बेतरतीब अध्ययन सामग्री है बल्कि उनकी सफलता में बाधक भी है। इसके इतर, दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे सिविल सेवा परीक्षा पर पूर्णत: केंद्रित एक अभूतपूर्व एवं बहुआयामी पत्रिका है। मैं स्वयं अक्तूबर 2019 से इसकी नियमित पाठिका हूँ। नवाचार, संतुलित एप्रोच और परीक्षोन्मुखी गुणवत्तापूर्ण सामग्री के मामले में यह पत्रिका यकीनन बेजोड़ है। परीक्षा के तीनों स्तरों पर यह तैयारी को धारदार बनाती है। चाहे आर्टिकल, जिस्ट या करेंट खंड हो या फिर निबंध, अभ्यास प्रश्न-पत्र और परीक्षा पूर्व सप्लीमेंट सामग्री। माइंड मैप, मानचित्र और फैक्टशीट तो सुपरफास्ट रिवीज़न में बेहद उपयोगी है। विकास सर के नीर-क्षीर- विवेकी विचारों से लैस 'संपादकीय कॉलम' और 'टॉपर से बातचीत' परीक्षा की तैयारी के दौरान होने वाले मानसिक तनाव और द्वंद्व को निर्मूल कर देते हैं। निश्चित तौर पर यह पत्रिका सिविल सेवा परीक्षा की समग्रता को समेकित करने का एक अत्यंत सार्थक तथा सफल प्रयास है।

-चित्रा चौधरी, जोधपुर (पुरस्कृत पत्र)

मैं पिछले ढाई वर्षों से 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' मैगज़ीन का नियमित पाठक हूँ। इस मैगज़ीन की शुरुआत 'संपादक की कलम' से होती है जो बहुत ही शानदार और प्रभावित करने वाली होती है। इस पत्रिका का प्रत्येक खंड, जैसे- लेख, जिस्ट, माइंडमैप, फैक्टशीट, मैप आदि विषयों के साथ जोड़कर कम समय में हम जैसे गाँव में रहकर आईएएस का सपना देखने वाले छात्रों के लिये वास्तव में वरदान है। इस मैगज़ीन को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिये मैं डॉ. विकास दिव्यकीर्ति सर एवं दृष्टि ग्रुप को कोटि-कोटि धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ।

-प्रवीण कुमार सिंह (प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश)

यह मैगज़ीन स्वयं में एक दुनिया है। इस मैगज़ीन में तथ्यों का विश्लेषण इतने बेहतर तरीके से किया गया है कि इसको पढ़ने के बाद एक बेहतर समझ विकसित होती है। महत्त्वपूर्ण लेख जो परीक्षाओं की दृष्टि से तो महत्त्वपूर्ण होते ही हैं, साथ ही यह हमें चीज़ों को अलग ढंग से और निष्पक्ष ढंग से देखने में सहायक होती है। इसका हर एक खंड सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हर अभ्यर्थी के लिये एक वरदान है। साथ ही, उन जिज्ञासु लोगों या छात्रों के लिये भी जो वर्तमान मुद्दों में अपनी रुचि रखते हैं।

-शशांक शेखर

मैं गुजरात के एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। सिविल सर्विस के लिये यहाँ जागरूकता का बहुत ही अभाव पाया जाता है। (सिविल सर्विस जैसा कोई एग्जाम है वही नहीं ज्ञात।) और ऐसे क्षेत्र में से यूपीएससी क्लीयर करना एक 'सपना' जैसा था जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन 'करेंट अफेयर्स टुडे' जब मैंने पहली बार पढ़ी तो ऐसा लगा जैसे एक नई उम्मीद जगी हो। माइंड मैप को मैं मानता हूँ कि यह 'माइंड ब्लोइंग मैप' है। टॉपर से बातचीत से हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा विकास सर और उनकी पूरी टीम को जो ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिये जड़ी-बूटियाँ साबित हो रहे हैं। मैं गुजरात और गुजरात के साथ जो भी मुझसे परामर्श लेगा तो मैं करेंट अफेयर्स टुडे का परामर्श दूंगा। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि करेंट अफेयर्स का निकनेम ही 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' रख देना चाहिये। धन्यवाद टीम दृष्टि

-पार्थ जनी (गुजरात)

सर्वप्रथम तो मैं दृष्टि आईएएस का आभारी हूँ कि इन्होंने यूट्यूब एवं इंस्टाग्राम जैसी सोशल साइट्स का प्रयोग छात्रों के मार्गदर्शन के लिये किया। 'दृष्टि मैगज़ीन' का मैं 2019 से नियमित पाठक हूँ, इस मैगज़ीन की खास बात यह है कि इसमें विषयों का खंडवार तौर पर विश्लेषित और सारगर्भित आकलन किया जाता है। 'संपादक की कलम से' और 'टॉपर्स टॉक' खंड द्वारा आत्मविश्वास का समायोजन अद्वितीय है। लेख खंड से किसी मुद्दे को समझने और परखने के अवसर प्राप्त होते हैं। करेंट अफेयर्स के तौर पर तो यह मैगज़ीन किसी संजीवनी से कमतर नहीं है। 'फैक्टशीट, जिस्ट एवं क्लासिक पुस्तक' खंड से विचारशीलता के नए द्वार खुलते हैं। मुख्य परीक्षा विशेष एवं टारगेट प्रिलिम्स खंड से पाठ्यक्रम को रिवीज़न करने की महती सामग्री का समावेशन निश्चित तौर पर सहायक है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह मैगज़ीन आईएएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने वाली एकमात्र मैगज़ीन है। टीम दृष्टि को मेरा सधन्यवाद..

-त्र्यम्बकेश्वर नारायण मिश्र, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

मैं विगत 5 वर्षों से इस पत्रिका का नियमित पाठक होने के कारण इसके कलेवर में आए निरंतर परिवर्तन का साक्षी हूँ। दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे का नवीनतम अंक हाथों में आते ही सर्वप्रथम संपादक की कलम से ही पढ़ने की इच्छा होती है। करेंट अफेयर्स टुडे का फैक्टशीट तथा जिस्ट हमेशा की तरह सारगर्भित और परीक्षोपयोगी प्रस्तुत किया गया है। क्लासिक पुस्तकें खंड के तहत प्रसिद्ध पुस्तकों के संबंध में संक्षिप्त चर्चा हमारे लिये संबंधित पुस्तक की संपूर्ण चर्चा से कम नहीं होती है। इस अंक में पेडेगॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड- पाओलो फ्रेरे की पुस्तक चर्चा शिक्षा के क्षेत्र में उत्पीड़न के सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण कर नए आयाम की चर्चा करती है।

-प्रभाष पाठक, पटना (बिहार)

करेंट अफेयर्स के विविध स्रोतों को समेटकर उपयोगी रूप में पढ़ना सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिये हमेशा से एक चुनौती रही है, परंतु 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' प्रत्याशियों के लिये वरदान साबित हुई है। मुझे जीएस के फाउंडेशन कोर्स के साथ यह मैगज़ीन प्राप्त हुई। इसे पढ़ना अपने आप में एक रोचक अनुभव है। इसमें वे सभी खंड सहज भाषा में वर्णित किये गए हैं जो परीक्षोपयोगी हैं। विकास सर का पढ़ाने का तरीका मेरे विचार में अद्वितीय है। उनके द्वारा लिखित 'संपादक की कलम से' खंड ने मुझ पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। मैगज़ीन में वे खंड भी शामिल हैं जो करेंट अफेयर्स के साथ-साथ प्रिलिम्स और मेन्स की तैयारी को भी मज़बूत करते हैं। यथा- निबंध खंड, माइंड मैप, टारगेट प्रिलिम्स। मैं सभी छात्रों की ओर से दृष्टि संस्थान को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

आदित्य कुमार शर्मा, दौसा (राजस्थान)

मैं दिसंबर 2017 से दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे मैगज़ीन का नियमित पाठक रहा हूँ। इस मैगज़ीन का कोई भी खंड पढ़ने से मिस करने का मन नहीं करता। हर खंड की अपनी अलग ही विशेषता है। करेंट अफेयर्स, फैक्टशीट, जिस्ट, निबंध खंड, संभावित प्रश्नोत्तर सीरीज़ और पीसीएस विशेष (नई प्रस्तुति) अत्यंत प्रिय टॉपिक हैं जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी में सीधे-सीधे मददगार साबित हुए हैं। ऊपर से विकास दिव्यकीर्ति सर का लेख 'संपादक की कलम से... या इनका लिखा कोई अन्य खंड लेख' इस मैगज़ीन को जैसे तारों के बीच चमकता पूनम का चांद बनकर पूरे आकाश की शोभा बढ़ा देता है।

-राम दुवेश यादव (बरेली)

इनके भी पत्र मिले- *आदर्श कुमार शुक्ल, चित्रकूट (उत्तर प्रदेश), मुन्ना लाल विश्नोई, खेजड़ली (राजस्थान), रोहित सांखला मंदसौर (मध्य प्रदेश), बिपुल कुमार, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश), संदीप कुमार, हनुमन्त विहार, कानपुर (नगर), उत्तर प्रदेश।*

आप सभी पाठकों की बहुमूल्य प्रतिक्रिया के लिये हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएँ हमें हौसला देती हैं एवं निरंतर बेहतर करने के लिये प्रोत्साहित करती हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कार्यकारी संपादक की ई-मेल आईडी *purushottam@groupdrishti.com* पर भेजें। आपकी चुनिंदा प्रतिक्रियाओं को हम आपके नाम के साथ मैगज़ीन में छापेंगे तथा सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया भेजने वाले को उपहारस्वरूप अगले तीन महीने की मैगज़ीन भेजेंगे।

धन्यवाद

ISSN: 2455-6025

RNI : DELHIN/2015/63103

Postal Regn. No. : DL(N)/353/2019-21
Posted at New Subji Mandi
PO Delhi, 9-10 March, 2021
Publishing Date : 4th March, 2021

प्रयागराज केंद्र

(ऑफलाइन बैच)

सामान्य अध्ययन

IAS+UPPCS

प्रारंभ **5 अप्रैल**

प्रातः 8:00 बजे

जयपुर केंद्र

(ऑफलाइन बैच)

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के निर्देशन में

RAS फाउंडेशन बैच

प्रारंभ **18 मार्च**

प्रातः 8 बजे

IAS फाउंडेशन बैच

प्रारंभ **2 अप्रैल**

शाम 6 बजे

एडमिशन लेने वाले पहले 500 विद्यार्थियों को शुल्क में विशेष छूट

करेंट अफेयर्स से जुड़े दैनिक अपडेट्स के लिये देखें हमारी वेबसाइट : drishtiias.com,
हमारा YouTube चैनल और Drishti Learning App

अब आप 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' को Drishti Learning App से भी खरीद सकते हैं।

ISSN 2455-6025
9 772455 602504